खण्ड-307, अंक-3
सोमवार, 20 ज्येष्ठ, शक संवत् 1896
(10 जून, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

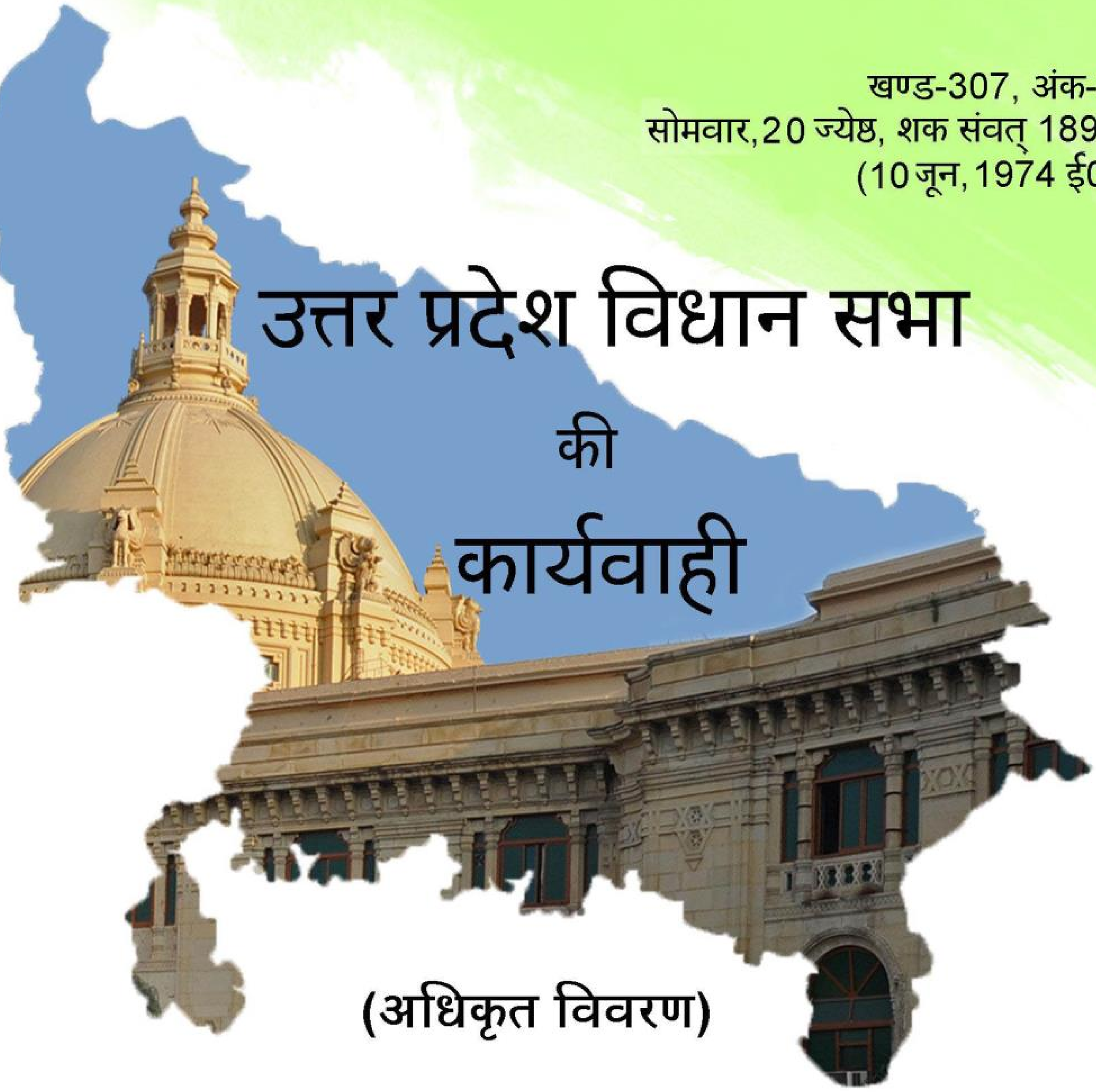

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 307 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 10 जून, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—376

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील एडवोकेट (उर्फ जिमी मियां)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह,

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया (जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोरा, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेणी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनरायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण, सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निसार अहमद अंसारी, श्री
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू

प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त , श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुररहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव , श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही , श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
(जिला जालौन)
मलखान सिंह सेनी, श्री
(जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री

राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर , श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजीलाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती विन्द, एडवोकेट,
(जिला वाराणसी)
रामरती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम,श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री

शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खण्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट--लघु उद्योग मंत्री, श्री इस्तफा हुसैन भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 10 जून, 1974

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

शुगर फैक्टरी, काशीपुर द्वारा गन्ने का कम मूल्य देने से उत्पादकों में असन्तोष

**1--चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि शुगर फैक्टरी, काशीपुर द्वारा दो रुपया प्रति कुन्तल कम दाम पर गन्ना खरीदने के कारण गन्ना उत्पादकों में व्यापक असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

जी नहीं ।

उप सचिव, कार्यालय, मुख्य मंत्री के विरुद्ध जांच

**2—सर्वश्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी), श्री गिरजाशंकर पाठक तथा रामरती विन्द एडवोकेट (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत राष्ट्रपति शासन काल में इलाहाबाद के तत्कालीन ए० डी० एम० के विरुद्ध शिकायतें होने पर प्रमुख सलाहकार श्री सतीशचन्द्र ने उनका स्थानान्तरण अल्मोड़ा कर दिया था और उनके खिलाफ तहकीकात करने के लिये बिजिलेन्स को मामला सौंप दिया था ? क्या उस अधिकारी को मुख्य मंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त कर लिया गया है जब कि उक्त उप सचिव का पद पहले कभी नहीं रहा ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

विगत राष्ट्रपति शासन काल में इलाहाबाद के तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) के प्रशासनिक कारणों से अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन), चमोली के पद पर स्थानान्तरण के आदेश किये गये थे। उनका स्थानान्तरण अल्मोड़ा नहीं किया गया था। इलाहाबाद की नियुक्ति की अवधि से सम्बन्धित किसी शिकायत के आधार पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई मामला सर्तकता अधिष्ठान को जांच के लिये नहीं सौंपा गया है।

यह सही है कि उक्त अधिकारी को उप सचिव, मुख्य मंत्री के अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया है किन्तु यह सही नहीं है कि इस प्रकार का उप सचिव का पद पहले कभी नहीं रहा है। वर्ष 1970 में भी मुख्य मंत्री के सचिवालय में उप सचिव का एक अस्थायी पद विद्यमान था।

श्री रामसेवक यादव—

यह जो प्रश्न है उसमें मैंने नहीं पूछा कि इलाहाबाद की अवधि में कोई ऐसा हुआ, इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कभी भी, किसी भी अवधि में, कहीं भी वह रहे हों तो इनके खिलाफ कोई सतर्कता आयोग ने जांच की, यानी आयोग द्वारा जांच हुई और जांच के फलस्वरूप इनके प्रासीक्यूशन की सिफारिश की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, प्रश्न तो स्पष्ट था। पढ़ने से लगता है कि जैसे इलाहाबाद के सिलसिले में है। इसमें पढ़े,—"प्रमुख सलाहकार श्री सतीश चन्द्र ने उनका स्थानान्तरण अल्मोड़ा कर दिया था और उनके खिलाफ तहकीकात करने के लिए विजिलेंस को मामला सौंप दिया था?" तो सतीशचन्द्र ने इनके खिलाफ कोई मामला विजिलेंस को नहीं सौंपा—नम्बर 1, नम्बर 2—नहीं पहले कभी कोई मामला विजिलेंस में गया हो तो भी विजिलेंस ने आज की तारीख तक कोई सिफारिश प्रासीक्यूशन की उनके खिलाफ नहीं की है।

चौधरी चरण सिंह—

मामूली सी बात है। और इससे यह ध्वनि भी निकलती हो कि सतीशचन्द्र जी ने मामला सुपुर्द किया सतर्कता आयोग को और उन्होंने नहीं किया तो गवर्नमेन्ट का फर्ज था कि सारे फैक्ट्स सदन के सामने रखती। अगर यह पूछा जाय कि 19 तारीख को एक्सीडेन्ट में फलां जगह कोई शक्स मर गया कार के जरिये ? तो चाहे अगले रोज या पहले रोज मरा हो, हमेशा यह जवाब गवर्नमेन्ट देती रही है और देना चाहिये कि उस तारीख को यह ऐक्सीडेन्ट नहीं हुआ, लेकिन पहले या बाद में हुआ। अब अगर सतीशचन्द्र ने इलाहाबाद के किसी सिलसिले में इनका मामला सुपुर्द नहीं किया विजिलेंस को और किसी और में किया हो तो गवर्नमेन्ट को बताना चाहिये था। वरना सवाल यह है कि मानो गवर्नमेन्ट कोई बात को छिपाना चाहती है। अब भी आपका जवाब यह है कि अगर किया है तो इलाहाबाद में नहीं किया।

सारा सवाल है कि कभी गवर्नमेन्ट ने सतर्कता आयोग को जब वह असिस्टेन्ट सेल्स टैक्स कमिश्नर थे या फलां जिले में एस० डी० एम० थे, तब किसी मामले में कभी इनका मामला तहकीकात के लिए सुपुर्द किया था सतर्कता आयोग को या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, सारी सर्विस का मामला तो सीमित प्रश्न के कारण मैं पूरा देख नहीं सका इसलिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री राम सेवक यादव--

सारी सर्विस का नहीं बल्कि सिर्फ दो ही मौकों का, एक तो जब वह यहां असिस्टेन्ट सेल्स टैक्स कमिश्नर थे और दूसरे जब पुवायां में एस० डी० एम० थे तो बोर्ड आफ रेवेन्यू और सतर्कता आयोग की मिली-जुली जांच के परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ प्रासीक्यूशन की सिफारिश की गयी थी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

एक प्रश्न का तो मैंने उत्तर दे दिया कि आज की तारीख तक इनके विरुद्ध प्रासीक्यूशन की कोई भी सिफारिश गवर्नमेन्ट के सामने नहीं आयी । यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि जब 8 नवम्बर को हम यहां आये थे तो मेरे यह स्पष्ट आदेश थे कि जिन अधिकारियों के खिलाफ विजिलेन्स ने प्रासीक्यूशन का मामला कह दिया है उनके विरुद्ध वह मामले तत्काल चलाये जाएं । आज की तारीख तक मेरे सामने यह फाइल नहीं आयी कि विजिलेन्स ने इनका प्रासीक्यूशन किया हो ।

चौधरी चरण सिंह--

क्या यह वाक्या है या नहीं कि सर्तकता आयोग इनके खिलाफ किन्हीं चार्जेज की तहकीकात कर रहा था और इनके ट्रांसफर के आर्डर हो चुके थे ? तब आप कम्युनिकेशन मिनिस्टर की हैसियत से इस आफिसर को अपने पास बुला लेते हैं देहली । तो पहली बात तो यह है कि क्या जब आपने इस आफिसर को अपने पास देहली बुलाया तो सतर्कता आयोग की कोई तहकीकात हो रही थी ? दूसरे, क्या इनमें खूबी थी जो आपने इन्हें अपने पास बुलाया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जिस वक्त मैंने इनको दिल्ली बुलाया उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी थी कि इनके खिलाफ विजिलेन्स की चाराजोई हो रही है । अगर उत्तर प्रदेश की सरकार यह लिख कर भेजती तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देता । रहा खूबी का सवाल, तो मैंने पहले ही कहा था एक रोज कि मैं सदन में किसी आफिसर को न तो सार्टिफिकेट देना चाहता हूं और न मैं किसी आफिसर के खिलाफ बात कहना चाहता हूं । इसके लिये फोरम अलग होना चाहिये । लेकिन जब नेता विरोधी दल इतने जोरों से बात कह रहे हैं तो मैं जरूर देखूंगा कि इनके खिलाफ कोई सतर्कता आयोग की जांच हुई थी या नहीं । इतना मैं जरूर कहता हूं कि जब मैंने इन्हें दिल्ली बुलाया था तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिखित या मौखिक रूप से यह नहीं बताया था कि इनके खिलाफ सतर्कता आयोग की जांच हो रही है । जिस तारीख से यहां आये हैं उसके बाद से भी सतर्कता आयोग की जांच नहीं हो रही है । जहां तक तहसील पुवायां में इनके एस० डी० एम० रहने के समय की बात है, मैं जानता नहीं । इनके असिस्टेन्ट सेल्स टैक्स कमिश्नर रहने के समय की बात भी मैं जानता नहीं । अगर मैं इनकी खूबी की बात करूं तो कुछ तारीफ हो जायेगी इसलिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता । इतना ही कह सकता हूं कि मैंने इनको एक कान्सेन्शस वर्कर पाया है ।

चौधरी चरण सिंह--

अगर आप इनके बारे में जानकारी कर लें तो यह सर्टिफिकेट आपको वापस लेना पड़ेगा। और खूबी, मैं जानता हूं इनकी लेकिन वह मैं यहां कहना नहीं चाहता।

जब यह सवाल माननीय मुख्य मंत्री के सामने पहुंचा तो उन्होंने यह जानने की कोशिश की या नहीं कि इनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जब सवाल हमारे सामने आता है तो सारी हिस्ट्री सामने नहीं आती। जब मैं सन्तुष्ट हो जाता हूं कि सवाल का पूरा जवाब आ चुका, क्योंकि जब माननीय राम सेवक यादव जैसे प्रश्नकर्ता हैं तो मैं नहीं समझता कि कुछ भूल के आधार पर प्रश्न हो रहा है बल्कि खूब सोच समझ कर प्रश्न किया है। जितना प्रश्न था उसका जब उत्तर आ गया तो मैंने उसे यहां दे दिया।

चौधरी चरण सिंह--

जब माननीय उपनेता विरोधी दल यह सवाल कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि तहकीकात सतर्कता आयोग की हो रही है तो चीफ मिनिस्टर के मन में यह बात पहले ही आनी चाहिये थी कि होम सेक्रेटरी को बुला कर पूछें कि क्या कोई ऐसी बात है कि कोई इन्क्वायरी चल रही है ? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सवाल के जाने के बाद और पढ़ने के बाद इसके बारे में आपने होम सेक्रेटरी से या विजिलेन्स के सेक्रेटरी से पूछा या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने इसलिये नहीं पूछा कि प्रश्नकर्ता ने यह लिखा था प्रश्न में कि श्री सतीशचन्द्र ने उनका ट्रान्सफर अल्मोड़ा कर दिया था और मामला सतर्कता आयोग को सौंप दिया था। फिर पूछा था कि उप सचिव का पद दे दिया ? माननीय चौधरी साहब जब मुख्य मंत्री थे तो मिस्टर डी0 जी0 व्यास, आई0ए0एस0 उनके उप-सचिव थे 1-3-70 से 31-12-70 तक...

चौधरी चरण सिंह--

मैं उस वक्त चीफ मिनिस्टर कहां था...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

1-3-70 को आप रहे या नहीं ? आप जब बनाकर चले गये तो...

चौधरी चरण सिंह--

सवाल यह नहीं है, मुझे याद भी नहीं पड़ता है कि मैंने किसी को डिप्टी सेक्रेटरी बनाया अपना, 31-12-70 को तो मैं नियुक्त कर ही नहीं सकता था...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

1-3-1970 को आपने बनाया था। अब जो सेक्रेटेरियट का ढांचा है, उसमें उसको इतना समय लग गया...

चौधरी चरण सिंह--

मैं कहता कि जब यह जवाब आ गया आपके पास तो क्या इससे आप सैटिस्फाइड हो गये ? मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस तरह से टेक्नीकल जवाब देने से आप के कान्शेन्स को सैटिस्फाइड नहीं होना चाहिये। जब एक जिम्मेदार आदमी की तरफ से यह प्रश्न भेजा गया तो आपने पूरी जांच क्यों नहीं की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरे कान्शेन्स का जहां तक सवाल है, इट इज राऊज्ड टु दि फुल।

चौधरी चरण सिंह—

आपने उसके बाद जानने की कोशिश क्यों नहीं की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अगर आप लिख देते तो यह गलती न होती। रामसेवक यादव जी ने इस तरह लिख कर हमें और आपको इस सवाल में फंसा दिया और खुद चुपचाप ` ` हैं।

श्री रामसेवक यादव—

मुख्य मंत्री जैसे व्यक्ति को यह तो जानकारी होना चाहिये कि विजिलेन्स द्वारा जांच हुई कि नहीं हुई। इस तरह से टैक्नीकल तरीके से बचना नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इसका उपचार आपके पास है।

(10 जून, 1974 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

*1—श्री सुखद राज सिंह—

[2रे मंगलवार के लिए तारांकित श्न 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*2—श्री बाबू लाल वर्मा—

[मा0 सदस्य के ार्थना पर 3रे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बंगला देश शरणार्थी सहायता कोष

*3—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बंगला देश शरणार्थी सहायता कोष को, जिसे अब बाढ़ तथा सूखा सहायता कोष के नाम पर 10 पैसे का रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर वसूल किया जा रहा है, समाप्त करने की कृपा करेगी ? यदि हां, ो कब से तथा यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं। जिस उद्देश्य से यह कर लगाया गया है, उसे ध्यान में रखते हुये इस कर को समाप्त करना जनहित में न होगा।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कर को समाप्त करना जनहित में क्यों नहीं है जबकि यह एक अस्थाई कर है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने इस कर के अस्थाई या स्थायी होने का जो उल्लेख किया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कर कोई स्थायी या अस्थायी सम्भवतः पब्लिक फाइनेन्सेज की स्थिति के अनुसार हुआ नहीं करता। कोई भी कर किसी समय रह सकता है या जनहित म उसम संशोधन हो सकता है और उसमें भी वृद्धि हो सकती है, उसमें कमी हो सकती है। यह कर सूखा और बा कार्यों के लिय चालू किया गया है और चालू रहेगा।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में इस कर के द्वारा कितना-कितना धन प्राप्त हुआ और उसका उपयोग किन-किन जिलों में किन कामों में कितना-कितना किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न की परिधि को बढ़ा रहे हैं इसके लिये दूसरे प्रश्न की आवश्यकता पड़ेगी।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल---

पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कितना-कितना धन इस कर से प्राप्त हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर स्टाम्प से 60 लाख रुपये, इन्टरटेनमेंट टैक्स से 1 करोड़ 33 लाख रुपये, पसेन्जर और रोड टक्स से 2 करोड़ रुपये, कुल 4 करोड़ रुपया की आमदनी हुयी है।

श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)---

श्रीमन् मैं चाहूंगा कि जनहित में इस कर को समाप्त कर दें क्योंकि बंगला देश की समस्या समाप्त हो गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जब तक सम्मानित सदस्य की कृपा रहेगी यह कर चलता रहेगा।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)---

आवश्यकता है पैसे की इसलिये कर तो लगता है। इसका नाम है बंगला देश शरणार्थी सहायता कोष, तो इसका नाम बदलने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन् इसका नाम है बाढ़ तथा सूखा सहायता कोष।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, यह जो 4 करोड़ की धनराशि है इसको किन किन-कामों में खर्च किया जा रहा है? सूखा के अन्दर या बाढ़ के अन्दर या किसी अन्य काम में ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, यह बाढ़ तथा सूखा सहायता कार्यों में खर्च किया जा रहा है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या माननीय मंत्री जी इसको देखते हुये कि बंगला देश की सहायता की अब कोई आवश्यकता नहीं है इस कर को कम करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई

*4---श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर देश की वह चीनी मिलें कौन-कौन है, जिन्होंने राज्य की अनुमति लेने के पूर्व ही वर्तमान सीजन में पेराई का काय बन्द कर दिया तथा उनक विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक कोई भी चीनी मिल बिना अपने क्षेत्र का सम्पूर्ण उपलब्ध गन्ना पेरे हुये बन्द नहीं हुई ।

चीनी मिलों द्वारा गन्ने का मूल्य घटाकर गन्ने की खरीद

*5--श्री हिम्मत सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में ऐसी चीनी मिलें कौन-कौन हैं, जिन्होंने वर्तमान सीजन के अन्त में गन्ने का मूल्य घटाकर खरीददारी प्रारम्भ कर दी थी ? क्या उन्होंने ऐसा करने की अनुमति शासन से प्राप्त की थी ? यदि नहीं, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

देश की जिन चीनी मिलों ने वर्तमान सीजन 1973-74 के अन्त में गन्ना का मूल्य घटाकर गन्ने की खरीद की थी उसका विवरण तालिका 'क' पर अंकित है। गन्ने के मूल्य को घटाने की कोई अनुमति न मिलों ने शासन से प्राप्त नहीं की थी। किन्तु गन्ना मूल्य घटाए जाने की स्थिति जब शासन के सामने आई तो शुगर मिल एसोशियेशन के प्रतिनिधियों से टा की तिथि से बढ़ी कीमत देने को कहा गया और वह सहमत हो गये ।

(देखिये नत ो 'क' आगे पृष्ठ 267--268 पर ।)

श्री हिम्मत सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कष्ट करेंगे कि पिपराइच मिल, जिला गोरखपुर समय से पूर्व ही बन्द कर दी गई थी और गन्ना पिराई का काम रह गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन, पिपराइच मिल मशीन में खराबी एवं टेक्निकल कारणों से बन्द की गई। उसका गन्ना दूसरी मिलों में पिराई के लिये भेज दिया गया। इसी प्रकार देवालय मिल में टरबाइन टूट जाने के कारण मिल को बन्द करना पड़ा और वहां के गन्ने की दूसरी मिलों में पिराई के लिये भेजा गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनकी जानकारी में है कि प्रदेश की मिलों ने स्वीकृत दरों से 2 रु0 प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत घटा दी थी ? सरकार के परामर्श से उन्होंने फिर उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी और वहीं कीमत दने लगे जो सरकार और एसोशियशन ने दिये थे। इस बीच जो कीमत घटाई थी क्या उसका रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से किसानों को पेमेन्ट किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, उनसे यह कहा गया और रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से 12 1/4 रु0 के हिसाब से पेमेन्ट दिया जाय। करीब 32 मिलों ने यह कटौती की थी। सभी ने रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से पेमेन्ट कर दिया है। 8 मिलों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है और उनसे भी रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से पेमेन्ट करने को कहा जा रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिपराइच गन्ना मिल क्यों बन्द कर दी गई ? इससे कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। सरकार इस बारे में क्या कायवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सम्मानित सदस्य पिपराइच मिल की मशीनी स्थिति से भलीभांति अवगत है। सरकार का विचार है कि उसका जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जाय। जब तक यह सम्भव नहीं है तब तक पिपराइच मिल का गन्ना दूसरी मिल को दिया जायेगा।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय उद्योग मंत्री जी को यह पता है कि बरेली और मुरादाबाद में अभी भी गन्ने की फसल खड़ी है और जो 10 मील का गन्ने क्षेत्र सीमित कर दिया गया है तो उससे किसानों के हित को ध्यान में रखकर क्या ऐसे स्थान पर गन्ना पिराई के लिये सरकार क्रेशर देने की अनुमति देगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य को ज्ञात है कि शासन की पहले से ही नीति रही है कि उत्पादन के राष्ट्र हित को देखते हुये जहां तक सम्भव हो क्रेशर दे दिये जायं और सरकार उसका पालन करती रही है।

जहां तक एक सूचना है कि बरेली और मुरादाबाद की मिलें चालू हैं और गन्ना पेरा जा रहा है। बाकी जो मिलें हैं वे तब बन्द की गई जब करीब-करीब वहां गन्ना नहीं आ रहा है।

श्री ीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मिलों में ढुलाई के नाम पर जो 32 पैसे कटौती आऊट सेन्टर पर होती है उसको बढ़ाकर सवा रु0 और 2 रु0 मिल मालिकों ने कर दिया है। क्या सरकार की इसकी अनुमति है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मुझे ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं है कि किस मिल ने 2 रु0 या सवा रु0 ढुलाई की कटौती की है। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में लिखकर दे देंगे तो उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि नियोजी मिल 'रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट' से पेमेन्ट करते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, नियोजी मिल उन 8 मिलों में से एक है उनसे कहा जायेगा कि वह 'विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट' से पमेन्ट कर।

श्री सोहन लाल (जिला रामपुर)--

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि रामपुर शुगर मिल से 75 से लेकर डेढ़ रुपये तक की कटौती की है और इससे भी ज्यादा तथा गन्ना का दाम भी कम दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो मिल मालिकों ने कटौती की है उसका पैसा किसानों को वापिस कर दिया कि नहीं तथा जिन 8 मिलों ने सूचना नहीं दी है उनके प्रति सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं सम्मानित सदस्य को यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इन 8 मिलों ने बढ़ी हुई कीमत का पैसा नहीं दिया, बल्कि जिस थोड़ी अवधि का पैसा का पैसा नहीं दिया गया है उनके भुगतान के लिये उनके कहा जायेगा।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बिना अनुमति के उन्होंने मूल्य घटा दिया तो उन मिल-मालिकों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चका है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

क्या उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में जो क्शर लगाने की स्थिति है पिपराइच मिल के बन्द हो जाने के कारण, उस बदली हुई स्थिति में क्या उनको क्शर लगाने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस बात पर विचार कर लिया जायेगा।

बिक्री-कर से आय तथा बकाया

*6--श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1970-71 से वर्ष 1972-73 तक प्रत्येक वर्षों में कितनी आय बिक्री-कर से हुई और प्रत्येक वर्ष कितना बिक्री-कर बकाया रहा और अब तक कितना कर किस कारण से वसूल नहीं हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में प्रत्येक वर्ष क्रमशः 52.08 करोड़, 58.65 करोड़ तथा 70.97 करोड़ रुपये की आय बिक्रीकर से हुई तथा अब मार्च, 1974 के अन्त में इन वर्षों का क्रमशः 4.04 करोड़, 4.63 करोड़ तथा 7.45 करोड़ रुपया वसूल याबी के लिए शेष है।

उक्त तीनों वर्षों का कुल 16.12 करोड़ रुपया बकाया होता है जिसमें 4.05 करोड़ बकाया को वसूली समर्थ अधिकारियों के आदेशानुसार स्थगित कर देने के कारण तथा 45 लाख रुपये की वसूली अप्रतिलभ्य होने के कारण वसूल नहीं हो सकी। शेष 11.62 करोड़ रुपये की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष 11 करोड़ 62 लाख रुपये जो वसूल करने क लिये बाकी हैं, उस सम्बन्ध में किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिला कलेक्टरों को बकाया वसूली को राजस्व की वसूली की तरह वसूल करने के आदेश दे दिये गय है। 10 जिलों में जैसे आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरली, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, झांसी और अलीगढ़ म जहां बकाये का 2/3 हिस्सा केन्द्रित है, वहां विशेष व्यवस्था की गई है। डिप्टी कलक्टर संग्रह और बिक्री कर अधिकारी (संग्रह) की एक संयुक्त टीम सीधे सेल्स टक्स कमिश्नर के अन्तर्गत वसूल करते है।

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सन् 1972 में सेल्स टैक्स बचाने वालों के विरुद्ध एक ड्राइव हुआ था। उस ड्राइव में 10 बड़ी फर्मों जैसे हिन्डालको, बिड़ला, जी0ई0सी0, बरेली सिन्थेटिक, पालीवाल ग्लास वर्क्स, हिन्दुस्तान लैंस आदि के रिकर्ड्स सीज हुये थे जो विशेष अनुसंधान शाखा बिक्री-कर के लिये काम करती है, तो क्या उसने कोई रिपोर्ट दी है और यदि नहीं दी है तो सरकार ने क्यों नहीं मंगाई और क्या उस रिपोर्ट को भविष्य में मंगाकर सदन के पटल पर रखने की कृपा माननीय मंत्री करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो जानकारी का प्रश्न है। अगर ऐसी कोई चीज है तो वह हाइपोथेटिकल होगी।

श्री रामसेवक यादव--

यह जो 11 करोड़ के ऊपर बकाये की रकम है, जिसकी वसूली के लिये कार्यवाही चल रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या कार्यवाही हो रही है और जो 10 बड़े बकाएदार है, वह कौन-कौन से हैं और उनके ऊपर कितनी धनराशि है ?

श्री अध्यक्ष--

पहला जवाब दे चुके हैं कि लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूली होगी। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, वह ब्योरे की बात है, वह सूचना आगे से दे दी जाएगी।

श्री ऊदल--

क्या माननीय वित्त मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से लैण्ड रेवेन्यू या जो दूसरे सरकार के बकाये हैं, उनकी वसूली के लिये कुर्की, नीलामी आदि की जाती है, इन मामलों में भी किसी के ऊपर ऐसी कार्यवाही या गिरफ्तारी की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जब सभी कार्यवाही लैंड रेवेन्यू की तरीके से होती है, तो नीलामी वगैरह भी होती ही है मान्यवर, यह जो प्रश्न का प्रकार है, यह प्रादेशिक प्रकार का है, किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं है।

श्री मधुकर दिघे--

दो-चार नाम तो बता ही सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

श्री ऊदल के प्रश्न का जवाब आ चुका है। अब आगे चलते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 3 सालों से क्या कोई ऐसी फर्में या व्यक्ति हैं जो लगातार डिफाल्टर चल रहे हैं और सबसे बड़ी रकम किस फर्म या व्यक्ति पर है जिसके खिलाफ सरकार ने कानूनी कार्यवाही के आदेश दिये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया है, वह सारे प्रदेश की बिक्री-कर के बकाये के बारे में पूछा गया है कि कितना बकाया है। यह नहीं पूछा गया कि किस फर्म या व्यक्ति पर कितना बकाया है मैं तो सारी सूचना देने को तैयार हूं। लेकिन प्रश्न का आकार ऐसा था कि विभाग ने इसको उपलब्ध नहीं कराया। माननीय सदस्य कोई अन्य प्रश्न पूछ लें तो मैं अनुग्रहीत होऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

विस्तार का प्रश्न है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मंत्रीजी को जानकारी तो है ही कि किसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। केवल एक फर्म का नाम बता दें।

श्री अध्यक्ष—

वह कोई एक के बारे में नहीं बात रहे हैं।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो स्थगन आदेश दिये गये हैं, उनमें वे दो प्रकार के हैं, एक न्यायालय की ओर से मिले होंगे और कुछ में शासन की ओर से भी गये होंगे तो शासन की ओर से किस-किस फर्म के खिलाफ स्थगन आदेश दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह ब्योरे का प्रश्न है। अलग से प्रश्न कर सकते हैं।

श्री रामसेवक यादव—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इसकी वसूली रेवेन्यू वसूली की तरह से की जा रही है तो क्या किसी के खिलाफ कोई अटेचमेंट की कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

आप अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से सही उत्तर दिलवाने के लिये प्रतिपक्ष की सहायता करेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि किन-किन लोगों पर किस-किस स्थान के यह बकाया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूचना आप मेरे पास भेज दें। मंत्री महोदय इसे नोट कर लेंगे और सदन के पटल पर रख दिया जायगा कि किस-किस पर बकाया है ?

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

मोटर स्प्रिट और बिक्री-कर ऐक्ट, 1939 का कुल बकाया इसी 11 करोड़ 60 लाख में सम्मिलित है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कुछ लोग अपने को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं ताकि बिक्री-कर का बकाया उनसे वसूल न हो सके लेकिन बाद में उनको लायसेन्स तथा रजिस्ट्रेशन कैसे मिल जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह एक काल्पनिक प्रश्न है।

श्री सत्यपाल मलिक—

हर साल टैक्सों की चोरी होती है और हर साल बकाया रहा है इस बारे में विशेष अनुसंधान शाखा ने अपनी रिपोर्ट दी है वह सरकार के पास क्यों नहीं है ? क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्री त्रिपाठी जी के किसी सुपुत्र की अल्म्यूनियम फैक्टरी पर बिक्रीकर का बकाया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यक्तिगत प्रश्न है। आप अलग से प्रश्न कर लें।

फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद की सस्ते गल्ले की दूकानों की शिकायत

*7—श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—तथा श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद की राजकीय सस्ते गल्ले की दूकानों के विरुद्ध दिनांक 31 अक्टूबर, 1973 से 11 मार्च, 1974 के भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र मिले हैं। यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई)—

जी हां, जिलाधिकारी फतेहगढ़ को कुछ दुकानों के विरुद्ध लिखित एवं मौखिक शिकायतें मिली थीं। जांच के फलस्वरूप एक सस्ते गल्ले की दुकान निलम्बित की गई और उसके विक्रेता को गिरफ्तार किया गया, तथा एक अन्य दूकान को निरस्त करके उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर ली गई।

मुद्रांक एवं निबन्धक अधिकारी, लखनऊ द्वारा जांच में विलम्ब

*8—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बताएंगे कि निरीक्षक, मुद्रांक एवं निबन्धक अधिकारी, लखनऊ को 1971–72 में कानपुर क्षेत्र में कहां-कहां के किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध जांच सौंपी गई और उनमें अलग-अलग क्या कार्यवाही उनके जरिये से की गई और क्या यह सही है कि जांच सम्बन्धी मामलों में उनकी ओर से विलम्ब किया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष 1971–72 में कानपुर क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित शिकायतों की जांच, निरीक्षक स्टाम्प तथा निबन्धन, लखनऊ क्षेत्र को जब यह कानपर क्षेत्र के भी इन्चार्ज को सौंपी गई थी।

(1) उप निबन्धक डेरापुर (कानपुर) के विरुद्ध शिकायत जांच के लिये 5–1–72 को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट 21-8-72 को जिला निबन्धक, कानपुर को प्रस्तुत की गई। आरोप सिद्ध नहीं हुए।

(2) उप निबन्धक, बिन्दकी के विरुद्ध शिकायत जांच के लिये 30–12–71 को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट 21–9–72 को प्रस्तुत की गई। आरोप सिद्ध नहीं हुए।

(3) उप निबन्धक, निबन्धन लिपिक घाटमपुर कानपुर, के विरुद्ध शिकायत के लिये जांच 5–1–72 को सौंपी गई। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट 20–12–72 को दी गई। अन्तिम आदेश फरवरी 1974 में दिये गये। जांच के फलस्वरूप उप निबन्धक को चेतावनी दी गई।

(4) उप निबन्धक डेरापुर के विरुद्ध शिकायत जांच के लिये 15-12-71 को सौंपी गई। जांच प्रतिवेदन 6-7-72 को प्रस्तुत किया गया। शिकायत कर्ता जांच के समय अनुपस्थित रहे।

(5) उप निबन्धक तथा निबन्धन लिपिक, खागा के विरुद्ध शिकायत जांच के लिये 15-12-71 को सौंपी गई। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट 6-7-72 को दी गई। जांच पूरी हो चुकी है। जिला रजिस्ट्रार की आज्ञा का इन्तजार है। उसके बाद कार्यवाही की जायगी।

इस जांच के दौरान में मामला सिविल न्यायालय में चला गया था। अतः इसे पूर्ण करने में समय लगा।

(6) निबन्धन लिपिक, घाटमपुर के विरुद्ध शिकायत 31-1-72 को जांच के लिये सौंपी गई। जब प्रतिवेदन 6-7-72 को प्रस्तुत किया गया। आरोप सिद्ध नहीं हुए।

(7) उप निबन्धक, घाटमपुर के विरुद्ध शिकायत जांच के लिये 5-8-71 को सौंपी गई। जांच प्रतिवेदन 1-1-72 को प्रस्तुत किया गया। आरोप सिद्ध नहीं हुए।

(8) उप निबन्धक, कानपुर के विरुद्ध शिकायत जांच के लिये 15-10-71 को सौंपी गई। जांच प्रतिवेदन 20-8-72 को प्रस्तुत किया गया। शिकायत कर्ता आरोप सिद्ध करने उपस्थित नहीं हुए।

(9) उप निबन्धक, बिन्दकी के विरुद्ध शिकायत जांच के लिये 29-10-71 को जिला निबन्धक को सौंपी गई। जांच प्रतिवेदन 20-8-72 को प्रस्तुत किया गया। अन्तिम निर्णय नवम्बर, 73 में हुआ जिसके फलस्वरूप उप निबन्धक को चेतावनी दी गई।

(10) उप निबन्धक, बिल्हौर के विरुद्ध शिकायत जांच के लिये 5-12-71 को सौंपी गई। जांच प्रतिवेदन 6-7-72 को प्रस्तुत किया गया। शिकायत सिद्ध नहीं हुई।

(11) उप निबन्धक, डेरापुर के विरुद्ध शिकायत जांच के लिये निरीक्षक, कानपुर को 26-8-71 को सौंपी गई। उन्होंने 19-2-73 को यह शिकायत निरीक्षक लखनऊ क्षेत्र जो कानपुर क्षेत्र के भी प्रभारी निरीक्षक थे को जांच के लिये दिया। शिकायत-कर्ता आरोप के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः जांच समाप्त कर दी गई।

शासन को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि किसी मामले में निरीक्षक ने जांच करने में अनावश्यक विलम्ब किया। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवी प्रसाद बाजपेयी द्वारा कानपुर की डेरापुर, तहसील के सब रजिस्ट्रार के विरुद्ध शिकायत

*9—चौधरी राम पाल सिंह यादव—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के सब-रजिस्ट्रार के विरुद्ध दिसम्बर, 1971 में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मनमानी करने की शिकायत श्री देवी प्रसाद बाजपेयी द्वारा की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किसके जरिये जांच की गई और उक्त सब रजिस्ट्रार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री देवी प्रसाद बाजपेयी, डेरापुर ने उप निबन्धक, डेरापुर के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की थी जिसकी जांच निरीक्षक लखनऊ क्षेत्र की जिला निबन्धक के पत्र दिनांक 15-12-71 द्वारा सौंपी गई थी। निरीक्षक ने 17-2-72 को जांच के लिये उक्त स्टाम्प वेन्डर को समय दिया था जिसके लिये पूर्व नोटिस जारी की गई जो श्री बाजपेई को 14-2-72 को प्राप्त हो चुकी है। शासन की सूचना के अनुसार उक्त श्री बाजपेई अपने आरोपों को सिद्ध करने हेतु उपस्थित नहीं हुए और न कोई अन्य साक्ष्य या प्रमाण दिया। इस आशय की जांच रिपोर्ट निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 6-7-72 द्वारा जिला निबन्धक को भेज दिया था। उप निबन्धक या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध बिना आरोप सिद्ध हुए कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि यह जो निरीक्षक महोदय हैं जिनको जांच के 11 मामले सुपुर्द किए गए थे जिनमें से केवल दो को चेतावनी दी गयी और नौ का इसलिए समाप्त कर दिया गया कि शिकायत कर्ताओं को केवल एक ही बार बुलाया गया था ? मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि शिकायत कर्ता को एक बार बुलाया गया, दोबारा क्यों नहीं बुलाया गया ? जिन 9 मामलों को ऐसे ही समाप्त कर दिया गया है तो माननीय मन्त्रीजी उनकी दोबारा जांच करायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें तीन चार मामले ऐसे हैं जिनमें बार-बार बुलाने पर भी शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए। माननीय सदस्य जानते हैं कि उन्होंने जब एक बार स्वयं शिकायत प्रस्तुत की थी तो सम्बन्धित अधिकारी को शासन की ओर से निलम्बित किया गया था। चूंकि शिकायत कर्ता उपस्थित नहीं हुए इसलिए रिपोर्ट दूसरे प्रकार की गयी। अगर माननीय सदस्य कोई जानकारी देंगे तो उसकी जांच फिर करा लेंगे।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

जिनको एक बार ही बुलाया गया तो क्या उनको दुबारा मौका दिया जाएगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

11 शिकायतें थीं और मैंने पूरा ब्योरा सदन के सामने रख दिया है। अगर किसी केस में दोबारा बुलाये जाने की आवश्यकता माननीय सदस्य समझते हैं तो हम अवश्य बुलायेंगे।

दुद्धी-मिर्जापुर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की आपूर्ति

*10—श्री शिवसम्पत्ति (जिला मिर्जापुर) तथा श्री सूबेदार (जिला मिर्जापुर)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी मिर्जापुर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की आपूर्ति बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक बन्द रहेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ग्रामीण क्षेत्रों में साधारणतया खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है। अभाव ग्रस्त होने की दशा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तदर्थ आधार पर मोटे अनाज की व्यवस्था की जाती है। अप्रैल, 1974 तक आवश्यकतानुसार मिर्जापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण हेतु शासन द्वारा मोटे अनाज का आवंटन किया गया। मई 1974 से रबी फसल की आमद को ध्यान में रखते हुए कोई आवंटन नहीं किया गया है। भविष्य में स्थिति को देखते हुए मिर्जापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मोटे अनाज के आवंटन पर विचार किया जायेगा।

श्री सूबेदार—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगी कि मिर्जापुर जिले को कब से अभावग्रस्त माना गया और जब से अभाव ग्रस्त क्षेत्र इलाका माना गया तब से अप्रैल, 1974 तक चारों तहसीलों में कितना-कितना मोटा अनाज प्रतिमाह वहां दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुत ब्योरे का प्रश्न आपने पूछा है। अलग-अलग करके पूछना चाहिए।

श्री सूबेदार—

मान्यवर, केवल दुद्धी तहसील के बारे में ही बता दें कि अप्रैल तक कितना मोटा अनाज वहां गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार 1974 जनवरी में 1 हजार टन, फरवरी में 400 टन, मार्च में 200 टन, और अप्रैल में 1000 टन। लेकिन समय-समय पर जिलाधिकारी दुद्धी तहसील के जो-जो आवश्यकता बताते गये उसी के हिसाब से यहां से अनाज भेजा गया। पता चला है कि वहां मार्च से 23 टन मोटा अनाज वितरित हुआ है जब कि 200 टन आबंटित हुआ था। अप्रैल में 1000 टन आबंटित हुआ था जब कि 153 टन ही वितरित हुआ। मई से इसलिए उसको रोक दिया गया क्योंकि वहां आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सरकार के पास जैसे ही जिलाधिकारियों द्वारा या सूचना ग्रामीण अंचलों से आती है कि टेस्ट वर्क की आवश्यकता है तो उसके अनुसार मोटे अनाज का आबंटन किया जाता है। अगर इस क्षेत्र में पुनः उसकी आवश्यकता होगी तो सरकार उसके लिए पुनः वक्त से आबंटन करेगी।

श्री शिव सम्पत्ति—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगी कि मिर्जापुर जिले का दुद्धी का इलाका एक सूखा क्षेत्र है क्योंकि वहां पर वर्षा नहीं हुई है ? इसका प्रमाण यह है कि रिहन्द डैम में पानी नहीं है, तो यह सरकार को कैसे पता चल गया कि वहां गल्ले की आवश्यकता नहीं है लिहाजा वहां गल्ला न भेजा जाय ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये हैं उनसे स्पष्ट होता है कि जितने मोटे अनाज का गल्ला वहां आबंटित किया गया उतना भी वितरित नहीं हो पाया। इससे स्पष्ट होता है कि फिलहाल वहां आवश्यकता नहीं है।

श्री शिव सम्पत्ति—

सरकार की ओर से जो गल्ला वहां जाता था वह सब राबर्ट्सगंज के बाजारों में ब्लैक होता है और आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाता है। जो रिपोर्ट जिलाधिकारियों ने दी है वह गलत है। वहां जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री शिव सम्पत्ति—

तो क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं उसे पूरा महत्व देती हूं और उसकी जांच करा लूंगी और यदि वहां आवश्यकता हुई तो अवश्य गल्ला भिजवाऊंगी। सरकार की कोई मंशा नहीं है कि जनता को परेशान किया जाय।

श्री कल्याण सिंह—

अभी मन्त्री जी ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने का प्राविधान नहीं है और सरकार की नीति है कि 15 क्विंटल से अधिक हम किसी किसान के पास नहीं रहने देंगे। देहातों में बहुत बड़ी आबादी है ऐसी स्थिति में जिनके पास खेत नहीं हैं, मजदूरी करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है उनके लिये सरकार राशन की व्यवस्था करने का क्या इंतजाम कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह सामान्य नीति का प्रश्न है। इसके बारे में आप खाद्यान्न पर हुई बहस के समय कह सकते हैं। यों भी इसमें लिखा है—अभावग्रस्त होने की दशा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तदर्थ आधार पर मोटे अनाज की व्यवस्था की जाती है।

श्री मधुकर दिघे—

जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ओले, पाले आदि के कारण फसल बर्बाद हो गई है जैसे जिला गोरखपुर में, वहां के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ? वहां पर सस्ते गल्ले की दुकानों पर मोटा या महीन कोई अनाज सरकार दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो केवल मिर्जापुर जिले के बारे में प्रश्न है।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

जिला मिर्जापुर में जो भूमिहीन हैं, खेतिहर मजदूर या छोटे-छोटे व्यापारी और दुकानदार हैं, जिनके पास खेती का कोई जरिया नहीं है, उन पर कितना गल्ला साल में खर्च होगा ? सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यापक प्रश्न है। अलग से पूंछ सकते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

जब से आपने दुद्धी, मिर्जापुर के ग्रामीण अंचल में सस्ते गल्ले की आपूर्ति बन्द कर दी है, उसके बाद कितना अनाज वहां के लोगों को दिया, कितना अनाज टेस्ट-वर्क के जरिये दिया ? ऐसा तो नहीं है कि वहां बिना खाए लोग रह रहे हैं, इसके बारे में आप जवाब दें ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप कल्पना कर रहे हैं।

रावर्ट्सगंज तहसील, जिला मिर्जापुर की सस्ते गल्ले की दुकानों में धांधली

*11—श्री सूबेदार तथा श्री शिव सम्पत्ति—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 1974 में रावर्ट्सगंज तहसील, जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत सस्ता गल्ला के डीलरों द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में जनता की ओर से आये शिकायती-पत्रों पर प्रश्नकर्ता ने जांच कराये जाने के लिए सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जनवरी, 74 में राबर्ट्सगंज तहसील जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत दो सस्ते गल्ले के रिटेलरों के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे।

दोनों मामलों में तहसीलदार राबर्ट्सगंज द्वारा जांच कराई गई। परिणामस्वरूप एक दूकान निरस्त कर दी गई। दूसरे मामले में अभी जांच समाप्त नहीं हुई है।

श्री सूबेदार—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि राबर्ट्सगंज के जिन रिटेलरों के खिलाफ शिकायतें आई हैं, वे कौन-कौन से हैं, और उनके खिलाफ शिकायतें क्या हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जनवरी, 1974 में श्री गौरीशंकर, सस्ता गल्ला दूकानदार के खिलाफ शिकायत हुई थी और जांच के उपरांत यह पता चला कि इसमें जो अनियमितताएं हैं, वे सही हैं। इसलिए दुकान को निरस्त किया गया। फिर श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, उनकी दुकान पर भी जो अनियमितताएं थीं कि ठीक से खाद्यान्न और चीनी का वितरण नहीं करते थे :—

इसलिए शिकायत हुई, इसकी जांच की गई लेकिन अभी तक इसकी जांच पूरी नहीं हुई है। ऊपर से इसके लिए रिमाइंडर भेजा गया है। बाकी तीन हैं श्री गिरिजाशंकर, श्री हरिहरसिंह और श्री बिशनलाल, इन तीनों के खिलाफ रिपोर्ट हुई थी।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं खाद्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के बुद्धो जैसे ग्रामीण अंचल में जहां खाद्यान्नों की हमेशा कमी रहती है, मंत्री जी ने बताया कि गल्ला भेजा गया वहां के लोगों ने उठाया नहीं।

श्री अध्यक्ष—

वह प्रश्न समाप्त हो गया है। अब आगे चले गये हैं। राबर्ट्सगंज तहसील, जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत सस्ता गल्ला के रिटेलरों द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में है। इसलिये यह प्रश्न सीमित है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

यह जिन दूकानदारों के खिलाफ शिकायत की जांच अभी तक जारी है, वह चीनी और दूसरी आवश्यक वस्तुओं का कोटा अभी तक निलम्बित हो है अथवा किसी दूसरी दूकान पर आबंटन कर वहां की जनता की सहायता की जा रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नियम यह है कि जब एक दूकान निरस्त की जाती है या सस्पेंड कर दी जाती है तो उसकी यूनिट्स दूसरी नजदीक की दूकान पर लगा दी जाती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

ऐसा देखने में आया है जो शिकायतें आती हैं दूकानों के बारे में इसकी जांच होती है, जांच कराने वाले बहुत देर कर देते हैं, क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि समय निश्चित हो जाय एक महीने या पंद्रह रोज के अन्दर निश्चित रूप से इनक्वायरी करके नतीजा सामने आ जाय ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं, उनका एक महत्वपूर्ण सुझाव है, आज ही प्रातःकाल जब इन प्रश्नों के ऊपर बातें कर रही थीं जो इस प्रकार के आदेश अपने सचिव को दिये हैं कि एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया जाय इसके अन्दर (व्यवधान) मैंने यह कहा है कि तीन महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तीन महीने बहुत हैं। 15 दिन मैक्सिमम टाइम हो।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है सुझाव है आप का।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने अधिक से अधिक बात कही। 24 घंटे में ही हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, 8 दिन में भी हो सकता है। हमारी कोशिश है कि कम से कम समय लिया जाय। जैसे छः महीने या साल भर लग जाता है, परन्तु हमारी कोशिश दूसरी है। पिछले दिनों में हमने इस बात की कोशिश की है कि अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

श्री रामसेवक यादव—

क्या माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी है कि पूर्ति विभाग, तहसील और विकास खंड तीनों से मिलकर जो ये चीनी के कोटेदार हैं एक दूसरे का लाइसेंस रद्द करवाते हैं और अपने को दिलवाते हैं, इस तरह का भ्रष्टाचार चला हुआ है, क्या शासन ऐसा आदेश देने जा रहा है दूसरे का लाइसेंस रद्द करने के बाद कोटेदार को नहीं दिया जायगा, जो भी व्यवस्था करनी पड़े, ताकि भ्रष्टाचार का अन्त हो ?

श्री अध्यक्ष—

यह सुझाव है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आप का सुझाव ध्यान में रखेंगे।

श्री रामसेवक यादव—

जानकारी है तो हमारे सुझाव को मद्देनजर रख कर मंत्री महोदय कोई कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री धीरेंद्र सहाय—

जो दूकानें रद्द हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। एक प्रश्न उन्होंने किया है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

किसी एक कोटेदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है तो उसको फिर लाइसेंस देते हैं।

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि प्रश्नों का उत्तर ठीक से आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

इनका प्रश्न यह है कि कई दफा ईर्ष्यावश कुछ कोटेदार एक दूसरे के विरुद्ध मामला कर देते हैं तो जो निकल जाये उसकी जगह पर कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

किसी भी प्रकार ऐसी अनियमितता यदि शासन के नोटिस में लाई जायेगी तो उसके लिए कार्यवाही की जायेगी। कहीं पर ऐसा प्रश्न आयेगा तो उस पर ऐक्शन लिया जायेगा।

(व्यवधान)

वर्ष १९७४-७५ में राज्य सरकार द्वारा गेहूं के क्रय का लक्ष्य

*12--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष 1974 में रबी के उत्पादन में राज्य सरकार द्वारा कितना गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष गेहूं के खरीद का लक्ष्य क्या था तथा कितना गेहूं खरीदा जा सका।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

वर्ष 1974-75 में राज्य सरकार द्वारा गेहूं की खरीद का लक्ष्य 7.44 लाख टन निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष गेहूं की खरीद का लक्ष्य 18.61 लाख टन रखा गया था तथा कुल 8.01 लाख टन गेहूं खरीदा गया था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, बस्ती जिले में सदैव बाढ़ आती है। वहां बिजली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और पिछले वर्ष भी उपलवृष्टि से फसल खराब हो गयी है तो क्या ऐसे जिलों को छापा मार योजना से मुक्त कर रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह योजना तो सारे प्रदेश में जारी है और बड़े किसानों से तो हम गल्ला लेंगे ही।

सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर गेहूं के मूल्य में वृद्धि

*13--कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अप्रैल, 1974 मास में प्रदेश की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर बिकने वाले गेहूं का दाम 1 रु0 किलो से बढ़ाकर 1.33 रुपया किलो करने का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

भारत सरकार द्वारा गेहूं की केन्द्रीय निर्गत दर दिनांक 15 अप्रैल, 1974 से 90 रुपये से 125 रुपये प्रति कुंतल बढ़ा दिए जाने के कारण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर बिकने वाले गेहूं के दाम बढ़ाकर 1 रुपया 33 पैसे प्रति किलो किए गए हैं।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*14—कुंवर श्रीपाल सिंह—

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)

गोरखपुर के ब्रह्मपुर, सरदार नगर एवं खोराबार ब्लाकों की सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों के विरुद्ध शिकायत

*15—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य व रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर, सरदार नगर एवं खोराबार के किन-किन सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों के विरुद्ध चीनी व तेल वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें जुलाई, 1973 से मार्च, 10, 1974 की अवधि में जिला अधिकारियों को प्राप्त हुयीं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिए मत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 369 पर)

रामपुर में चावल को राज्य के बाहर ले जाते पकड़ा जाना

*16—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल) तथा श्री ऊदल—

क्या खाद्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि रामपुर जिले में नवम्बर, 1973 में तीन वैगन अरहर को चावल के नाम से बाहर ले जाते हुए पकड़ा गया ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मामले की जांच कराई गई ? जांच की रिपोर्ट क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं। चावल के नाम पर अरहर नहीं अपितु अरहर के नाम पर चावल के तीन वैगन रामपुर जिले में मिलक रेलवे स्टेशन से गुजरात राज्य को भेजे जाते पकड़े गये थे। मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) को सौंप दी गयी है। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

*17—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री गोविंद सिंह नेगी तथा श्री ऊदल—

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)

राजकीय अग्रगामी यन्त्रालय, बकेवर जिला इटावा का बन्द किया जाना

*18—श्री राम लखन (जिला इटावा)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अग्रगामी यन्त्रालय, बकेवर, जिला इटावा को बन्द कर देने का इरादा शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

लघु उद्योग मन्त्री (श्री इस्तफा हुसैन)—

आयोजनेतर पक्ष में खर्च किफायत की दृष्टि से शासन ने यह निर्णय लिया है कि इस यन्त्रालय को बन्द कर दिया जाय।

राजकीय अग्रगामी यन्त्रालय, बकेवर जिला इटावा में प्रशिक्षण

*19—श्री राम लखन—

क्या उद्योग मन्त्री यह भी बतायेंगे कि राजकीय अग्रगामी यन्त्रालय, बकेवर, जिला इटावा में अगस्त, 1973 से प्रारम्भ होने वाले सत्र के लिए प्रशिक्षार्थियों की भर्ती करने के बाद

3 मास का प्रशिक्षण देकर सत्र के मध्य में ही उन्हें वापस कर दिया गया ? यदि हां, तो प्रशिक्षण कितने दिन दिया गया और कितने प्रशिक्षार्थी थे ? सत्र के मध्य में प्रशिक्षण बन्द कर देने का क्या कारण था तथा इस प्रशिक्षण पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री इस्तफा हुसैन--

पचास प्रशिक्षार्थियों को 16-8-73 से 3-11-73 तक (80 दिन) प्रशिक्षण दिया गया। उक्त यन्त्रालय को बन्द करने के लिए निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप ही प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया। इस पर कोई धन नहीं व्यय हुआ।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

*20--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और किस निश्चित तिथि तक सरकार उनका राष्ट्रीयकरण कर लेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रदेश की चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने की सरकार की घोषित नीति है। सरकार ने इस नीति को कार्यान्वित किए जाने से संबंधित उपने प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रखे हैं। उस पर निर्णय प्राप्त करने का प्रयास जारी है। वर्तमान परिस्थिति में किसी निश्चित तिथि का प्रश्न ही नहीं उठता।

*21--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेशीय सरकार में कोई विचार विनिमय हुआ है ? यदि हां, तो उस विचार विनिमय के फलस्वरूप क्या निर्णय हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

अलीगढ़ में खाद बनाने का कारखाना

*22--श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलीगढ़ जिले में खाद बनाने का कोई कारखाना खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो कारखाना किस क्षेत्र में तथा कहां और कब तक खोला जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

*23--श्री श्रीनारायण तथा श्री हरकेवल--

(उरे सोमवार के लिए स्थगित।)

*24--श्री वीर सिंह सेंगर--

(उरे सोमवार के लिए स्थगित।)

बाराबंकी जनपद को मोटे अनाज का आवंटन

*25—श्री राम सेवक यादव तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या खाद्य मन्त्री एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1974 में क्या और कितनी मात्रा में मोटे अनाज बाराबंकी जनपद को राज्य सरकार की ओर से सप्लाई किया गया और इस अनाज का वितरण कहां और किस प्रकार से किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

राज्य सरकार द्वारा माह जनवरी, 1974 में बाराबंकी जनपद को 920 कुन्टल मोटा अनाज आवंटित किया गया जिसमें स्थानीय अधिकारियों द्वारा नवाबगंज में 255 कुन्टल बंकी में 40 कुन्टल तथा जदपुर में 180 कुन्टल मक्का सस्ते गल्ले की ुकानों द्वारा कार्ड ारकों में 2 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से वितरण हेतु दिया गया ।

बाराबंकी जनपद के कस्बा सफदरगंज में सीमेन्ट एजेन्ट तथा उनका कोटा

*26—श्री राम सेवक यादव तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत कस्बा सफदरगंज में सीमेन्ट के कितने एजेन्ट हैं और उन एजेन्टों को दिसम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 तक अलग-अलग कितनी मात्रा में सीमेन्ट वितरण हेतु दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत सफदरगंज में सीमेन्ट के पांच स्टाकिस्ट है, जिनके द्वारा प्रश्नगत अवधि में वितरण हेतु आयातित सीमेन्ट का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

प्राप्त मात्रा बोरी

क्रम-संख्या	स्टाकिस्ट का नाम		दिसम्बर 1973	जनवरी 1974	फरवरी 1974	योग
1	मेसर्स फतेहचन्द्र जगदीश राय	..	1041	944	..	1985
2	मसर्स त्रिलोचन नाथ बाजपेयी	..	..	1037	2082	3119
3	मसर्स गुरमुख राय बज नाथ	..	..	4938	..	4938
4	मेसर्स रामलाल सागर मल	..	..	2985	..	2985
5	मेसर्स बाल कृष्ण ोद्दार	..	..	..	..	..
		योग ..	1041	9904	2082	13027

विसुनपुरा ब्लाक जिला देवरिया में सस्ते कपड़े की दूकानें

*27—श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया) तथा श्री कृपाशंकर (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पड़रौना तहसील, जिला देवरिया विसुनपुरा ब्लाक की 81 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों के लिय सस्ते कपड़े के लिये कितनी दुकानें एलाट की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

एक दुकान एलाट की गई है ।

कालपी, जिला जालौन के शकर के कोटेदारों के विरुद्ध शिकायतें

*28—श्री बीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 में कालपी तहसील, जिला जालौन के शकर के किन-किन कोटेदारों क विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें जिलाधिकारं को मिलीं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

कुल 17 कोटेदारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच के फलस्वरूप 6 दूकानें निरस्त की गई, 2 निलम्बित की गई, 1 के विरुद्ध जांच चल रही है तथा 2 दूकानोंदारों ने त्याग पत्र दे दिया है जो स्वीकृत किया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 370 पर।)

सेल्स टैक्स की चोरी

*29—श्री सत्यपाल मलिक—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार की सेल्स टैक्स की चोरी की रोक-थाम के लिये प्रदेश में कोई विशेष शाखा काम कर रही है ? यदि हां, तो कब से तथा उसमें क्या कोई ऐसी रिपोर्ट दी थी कि बड़े संस्थान उत्पादन छुपा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रक्खेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। बिक्रीकर विभाग में विशेष अनुसंधान शाखा की जांच इकाइयों निम्नलिखित स्थानों पर उनके सम्मुख लिखित वित्तीय वर्षों से कार्य कर रही हैं :—

1—कानपुर	1954–55
2—आगरा	1956–57
3—मेरठ	1956–57
4—लखनऊ	1959–60
5—वाराणसी	1959–60
6—बरेली	1965–66
7—इलाहाबाद	1967–68
8—गोरखपुर	1970–71

इन जांच इकाइयों के कार्य का मार्ग दर्शन आयुक्त बिक्रीकर (पुलिस अधीक्षक) विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा वर्ष 1967–68 से किया जा रहा है। इनके द्वारा बड़े व्यापारिक संस्थानों, जिनमें उत्पादन करने वाले संस्थान शामिल हैं, के संबंध में आसूचना एकत्रित करके छापा इत्यादि मार कर आवंचन को रोकना है। इस शाखा की रिपोर्ट साधारणतया शासन के पास नहीं आती। रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारियों को विवेचना के बाद कर निर्धारण के लिये भेजी जाती है। अस्तु, किसी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तथा पूर्ति विभाग के पूर्ति निरीक्षकों की छटनी

*30—श्री मधुकर दिघे तथा मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खाद्य तथा पूर्ति विभाग के जिलास्तर के पूर्ति निरीक्षकों की छटनी की जा रही है ? यदि हां, तो कितने की और क्यों तथा छटनी का आधार क्या होगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

छटनी नहीं बल्कि नियुक्तियों को नियमानुसार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन के माध्यम से सफल घोषित अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिये सीधा भर्ती द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये 100 पूर्ति निरीक्षकों को हटाया जा रहा है क्योंकि उनका नियमित चयन आयोग के माध्यम से नहीं हुआ है।

हटाये जाने का आधार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के निर्धारित कोटे को ध्यान में रखते हुये अन्त में आये पहले जायें (Last come first go.) होगा।

भिनगा, जिला बहराइच में सरकारी सस्ते गल्ले की व्यवस्था न होना

*31--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के भिनगा कस्बे में सटकारी सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें हैं तथा इनके मालिकों ने कितने महीनों से गल्ला नहीं उठाया ? जनता की कठिनाइयों को देखते हुये क्या इस सम्बन्ध में दूसरी व्यवस्था की जायेगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

छोटे नगरों के लिये खाद्यान्न की व्यवस्था साधारणतः नहीं की जाती है। भिनगा के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। शासन स्तर से इस कस्बे के लिये खाद्यान्नो का आवंटन नहीं होता है। अतः दूसरी व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता है।

*32--श्री मोहम्मद रफी खां--

(3रे सोमवार के लिये स्थगित।)

बस्ती जिले में गैर-कानूनी ढंग से ले जाते हुए खाद्यान्न सामग्री का पकड़ा जाना

*33--श्री प्रभू दयाल (जिला बस्ती)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1974 में राप्ती नदी पर से गैर-कानूनी ढंग पर चावल आदि खाद्यान्न पार करके लाते समय जिलाधिकारी बस्ती के आदेश पर ट्रक पर लदी कितनी खाद्यान्न सामग्री पकड़ी गई और उसका मूल्य क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

लगभग 380 कुन्टल खाद्यान्न सामग्री पकड़ी गयी जिसका मूल्य लगभग 80,000 रुपया है।

बस्ती जनपद में चीनी की दूकानों का निरस्त किया जाना

*34--श्री प्रभू दयाल--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में जनवरी, 1974 से अप्रैल, 1974 तक चीनी की कितनी दूकानें निरस्त की गई हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जनवरी 74 से अप्रैल 1974 तक बस्ती जनद में 14 चीनी की दुकानें निरस्त की गयी।

केन डेवलपमेन्ट इन्स्पेक्टर, सहकारी गन्ना विकास समिति, भोजीपुरा, जिला बरेली के विरुद्ध शिकायत

*35--श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भोजीपुरा सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, भोजीपुरा, जिला बरेली के केन डेवलपमेन्ट इन्स्पेक्टर (अवैतनिक सचिव) के विरुद्ध बिना प्रस्ताव पारित कराये मनमाने ढंग से रुपया खर्च करने, बिना व्यय किये धन व्यय दिखाकर रुपया वसूल करवाने आदि के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें वर्ष 1973 व 1974 में अब तक विभाग को प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मार्च, 1974 में एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ नवम्बर 1973 में दिये गये एक शिकायती पत्र की प्रति भी संलग्न थी। इस सम्बन्ध में जांच हो रही है जिसकी रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

*36--श्री सत्य पाल मलिक तथा श्री ओम प्रकाश--

(3रे सोमवार के लिए स्थगित।)

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

*37--श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल के "राष्ट्रीयकरण" से संबंधित सरकारी नीति को अब तक सरकार ने कार्यान्वित क्यों नहीं किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है। प्रदेश सरकार ने तत्संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार के पास भी भेज रखे हैं।

अतारांकित प्रश्न

बी० डी० ओ० मिठवल, जिला बस्ती द्वारा वितरित सीमेन्ट के परमिट

1--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष के 1973-74 में जिला बस्ती के बी0 डी0 ओ0 मिठवल द्वारा कितना सीमेंट का परमिट काटा गया और किस-किस के नाम तथा कब-कब ?

†डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

†सूचना सदन के पटल पर रख ी गई है।

औद्योगिक संस्थानों का शिलान्यास तथा निर्माण-कार्य

2--श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जनवरी तथा फरवरी 1974 में किन-किन औद्योगिक संस्थानों का शिलान्यास किया गया उनमें से किस-किस का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा जो शेष बचे उनका निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है?

---

†छापी नहीं गई।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रदेश में जनवरी तथा फरवरी 1974 में 18 औद्योगिक संस्थानों का शिलान्यास किया गया। इनमें से 9 का निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया है। शेष 9 के लिये भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

औद्योगिक संस्थान जिनका शिलान्यास जनवरी/फरवरी, 1974 में किया गया :--

1--किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, हरदुआगंज, अलीगढ़।
2--किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 सठियांव, आजमगढ़।
3--कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, रसड़ा, बलिया।
4--शुगर मिल्स कायमगंज, फर्रुखाबाद।
5--कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री नदेही (नैनीताल)।
6--चीनी मिल छाता, जिला मथुरा।
7--कताई मिल्स, काशीपुर, नैनीताल।
8--कताई मिल्स, संडीला, हरदोई।
9--कताई मिल्स, बाराबंकी।
10--स्पिनिंग मिल, खेलार, झांसी।
11--कताई मिल्स (अकबरपुर) फैजाबाद।
12--कताई मिल्स, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़।
13--कताई मिल्स, रायबरेली।
14--ए0सी0एस0आर0, कन्डक्टर उद्योग, काठगोदाम, नैनीताल।
15--डाला सीमेन्ट फैक्ट्री की विस्तार योजना।
16--लकड़ी की संगठित इकायी, गर्बाणा, उत्तरकाशी।
17--ट्रांसफारमर फैक्ट्री, खेलार, झांसी।
18--उर्वरक कारखाना, फूलपुर, इलाहाबाद।

औद्योगिक संस्थान जिनका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है :--

1--किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, हरदुआगंज, अलीगढ़।
2--किसान सहकारी चीनी मिल्स, लि0 सठियांव, आजमगढ़।
3--कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, रसड़ा, बलिया।
4--शुगर मिल्स कायमगंज, फर्रुखाबाद।
5--कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, नदही (नैनीताल)।
6--कताई मिल्स, काशीपुर, नैनीताल।
7--ए0सी0एस0आर0 कन्डक्टर उद्योग, काठगोदाम, नैनीताल।
8--लकड़ी की संगठित इकाई, गर्बाणा, उत्तरकाशी।
9--डाला सीमन्ट फैक्ट्री की बिस्तार योजना।

औद्योगिक संस्थानों के नाम जिनके लिये भूमि की अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

1--चीनी मिल छाता, जिला मथुरा।
2--कताई मिल्स, संडीला, हरदोई।
3--कताई मिल्स, रायबरेली।
4--कताई मिल्स, बाराबंकी।
5--स्पिनिंग मिल्स, खेलार, झांसी।
6--कताई मिल्स, अकबरपुर (फैजाबाद)।

7--कताई मिल्स मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ ।
8--ट्रांसफारमर फैक्ट्री, खेलार, झांसी ।
9--उर्वरक कारखाना, फूलपुर, इलाहाबाद ।

विकास खण्ड जसपुरा, जिला बांदा को सीमेन्ट तथा उसका वितरण

3--श्री मधुकर दिघे--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड जसपुरा को मार्च, 1973 से लेकर मार्च 1974 तक प्रति माह कितनी कितनी सीमेन्ट प्रदान की गई और उस सीमेन्ट को प्रतिमाह किन-किन लोगों को कितनी-कितनी बोरी सीमेन्ट के परमिट देकर वितरित किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

प्रश्नगत अवधि में जिला बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड जसपुरा को दी गई सीमेन्ट एवं उसके सम्बन्ध में जारी किये गये परमिटों की †सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

जरवल रोड चीनी मिल (बहराइच) पर गन्ना मूल्य का बकाया

4--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच), श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जरवल रोड चीनी मिल (बहराइच) पर पिछले कई वर्षों का गन्ने का मूल्य बकाया है ? यदि हां, तो यह रकम कब तक अदा हो जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जरवल रोड चीनी मिल (बहराइच) पर दिनांक 30-4-74 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित पिछले सीजनों का कुल गन्ना मूल्य रु0 39.60 लाख बकाया है :

सीजन					गन्ना मूल्य बकाया (लाख 0 में)
1968-69	..	..	..	..	5.21
1969-70	..	..	..	..	13.60
1970-71	..	..	..	..	15.84
1971-72	..	..	..	..	2.30
1972-73	..	..	..	..	2.65
			योग	..	39.60

उपरोक्त बकाया के अतिरिक्त सीजन 1973-74 (वर्तमान सीजन) का गन्ना मूल्य रु0 11.07 लाख है । इस प्रकार कुल बकाया 0 50.67 लाख है ।

पुराने वर्षों की बकाया देयों की वसूली के अभिप्राय ही उक्त मिल को उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर लिया गया था, किन्तु मिल मालिकों ने इस कार्यवाही के विरुद्ध स्थगन आदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त कर लिया। तदोपरान्त

†छापी नहीं गई ।

]श्री नारायण दत्त तिवारी[

दिनांक 29-7-72 को इस मिल में रिसीवर नियक्त कर दिया गया और इस समय से यह मिल रिसीवर के अन्तर्गत कार्यरत है तथा किसानों के गन्ना पेरने के उद्देश्य से ही चलाई जा रहीं है। हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है कि गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कृषकों को शीघ्रातिशीघ्र करा दिया जाय।

5--श्री बाबू लाल वर्मा, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, तथा श्री त्रिवेणी सहाय--

(3रे सोमवार के लिये स्थगित।)

चुनार जिला मिर्जापुर में खिलौना उद्योग को विकसित करने की योजना

6--श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या लघु उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चुनार, जिला मिर्जापुर के मिट्टी के खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन एवं विकसित करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है? यदि हां, तो सरकार उस योजना का पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री इस्तफा हुसैन--

चुनार में चीनी मिट्टी के खिलौने बनाने की योजना वर्ष 1954 से चलाई जा रही है। यहां के पाट्स विभिन्न प्रकार के खिलौने फूलदान तथा विभिन्न प्रकार के गुलदस्ते एवं नये-नये डिजाइनों के सजावट का सामान तैयार करते हैं।

वर्ष 1959-60 में इस योजना पर 0.78 लाख रुपया खर्च किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और अधिक प्रसार करने हेतु भवन, यंत्र एवं मशीनें पट्टियों का निर्माण तथा कर्मचारियों की नियुक्ति आदि में 6.2 लाख रुपया व्यय किया गया था। यह एक सामान्य सुविधा केन्द्र है। केन्द्र पाटरी को कच्चे माल की सुविधा प्रदान करता है तथा भट्टियां किराये पर देता है जिससे वे अपना माल पका कर बाजार में बेचते हैं। वर्तमान समय में भट्टियों की संख्या 7 है तथा पाटरों की संख्या 69 है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसका विस्तार किया जा रहा है ताकि पाटरों को और अधिक सुविधा प्रदान की जा सकें। इसका मुख्य उद्देश्य पाटरों की संख्या वृद्धि करना उत्पादन क्षमता बढ़ाना तथा क्वालिटी में सुधार करना है और भट्टियों के निर्माण करने की योजना है। इस प्रकार इस केन्द्र व पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1,76,650 रु0 का व्यय प्रस्तावित है।

इलाहाबाद जनपद के विधान सभाई क्षेत्रों में राशन कार्ड

7--श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय जिला पूर्ति इलाहाबाद जनपद के विधान सभाई क्षेत्रों में उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी में 15 मार्च, 1974 तक कुल कितने राशन कार्ड बनाये गये और उनकी क्षत्रवार संख्या क्या है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इलाहाबाद जनपद के विधान सभाई क्षेत्रों में 15 मार्च, 1974 तक कुल 1,49,582 राशन कार्ड बनाय गये। उनकी क्षेत्रवार संख्या निम्नलिखित है:

1--उत्तरी क्षेत्र	62,190
2--पश्चिमी क्षत्र	38,062
3--दक्षिणी क्षत्र	49,330
योग ..	49,582

चावल की तस्करी के मामले

8--श्री कुंवर श्रीपाल सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 नवम्बर, 1973 से 22 अप्रैल, 1974 तक उसने चावल की तस्करी के कितने मामले पकड़े, उनमें कितने वजन का चावल पकड़ा गया तथा कहां-कहां पकड़ा गया और इस सिलसिले में दोषी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अब तक एटा, मैनपुरी, मथुरा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, देवरिया, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, रायबरेली तथा बलिया जिलों से प्रश्न के उत्तर के लिये सामग्री प्राप्त हुई है। इन जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार चावल की तस्करी के कुल 1356 मामले मैनपुरी, मथुरा, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, देवरिया, मुरादाबाद, रायबरेली तथा बलिया, जिलों में पकड़े गये जिनके अन्तर्गत कुल 227 कुन्टल 80 किलोग्राम 300 ग्राम चावल पकड़ा गया। उक्त मामलों में कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

9--श्री ऊदल--

(3रे शुक्रवार के लिए अता० प्र० सं० 10 के अन्तर्गत स्था०)

इलाहाबाद में चोकर के परमिट

10--श्री तीरथ राम कोहली--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिला पूर्ति अधिकारी रीजनल फन्ड कन्ट्रोल अथवा सीनियर मार्केटिंग इन्स्पेक्टर द्वारा पिछले 6 माह में चोकर के परमिट किन-किन सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं को दिये गये हैं और कितने मिकदार में ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इलाहाबाद में चोकर के परमिट जिला पूर्ति अधिकारी अथवा सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर द्वारा नहीं दिये गये हैं। ऐसे परमिट केवल उपक्षेत्रीय हाट अधिकारी द्वारा दिये गये हैं। नवम्बर 1973 से अप्रैल 1974 की 6 महीने की अवधि में 7 सरकारी संस्थाओं तथा 3 अर्ध सरकारी संस्थाओं को क्रमशः 823 कुन्टल तथा 432 कुन्टल चोकर के परमिट दिए गए हैं। संलग्न तालिका में विवरण दिया गया है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 371 पर)।

ग्राम गोकुलपुर, विकास खण्ड, डिबाई, जिला बुलन्दशहर में राजकीय नलकूप लगाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से ग्राम गोकुलपुर, विकास खण्ड डिबाई, जिला बुलन्दशहर में आखन द्वारा राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में श्री बदन सिंह प्रधान, ग्राम गोकुलपुर, जिला बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1974

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इंडिनय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 कोपुर:स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 372-380 पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं आपका आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 381-386 पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 387-388 पर)

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से नार्दर्न इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से नार्दर्न इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 389-391 पर)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 392-395 पर ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब नियम 56 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक सर्वश्री सत्य प्रकाश मालवीय और अठई राम का है जो इलाहाबाद जनपद में डकैती चोरी, लूटपाट, बलात्कार एवं राहजनी

[श्री अध्यक्ष]

आदि की घटनाओं का है। इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। दूसरा, सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, मोहन लाल कपूर, ओम प्रकाश और राम प्रकाश त्रिपाठी का रेलवे कर्मचारियों के आन्दोलन संबंधी बन्दियों की समस्याओं से संबंधित है। इसे स्वीकार नहीं किया है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

स्थिति, मान्यवर गंभीर होती जा रही है। रेलवे कर्मचारियों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया है लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह उचित नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है और कुछ को नहीं छोड़ा है। सरकार को ज्यादती देखिये। सरकार ने यह आदेश दिय हैं कि समरारी ट्रायल होगा। इस पर वे लोग हाईकोर्ट चले गये और हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। यह स्थिति गंभीर है। काम भी रेलवे का धीर चल रहा है। बड़ी कुव्यवस्था है। सारे कर्मचारियों में असंतोष है। इस संबंध में चर्चा कर दन की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

इसी सवाल पर मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था। उसमें यह कहा था कि शेष वे लोग जो हिन्सा के अपराध के अपराधी नहीं हैं, उनके बारे में वह विचार करने के लिये तैयार हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कुछ तो स्टेटमेंट दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

6 तारीख को बयान दिया था। आपको स्मरण नहीं हो रहा है। हम कार्यवाही मंगा-कर देख लेंगे। इस पर बयान में अपनी नीति के बारे में वह स्पष्ट कर चुके हैं।

तीसरा सर्वश्री त्रिवेणी सहाय और राजेन्द्र प्रसाद वर्मा का भी वही है। इसे भी स्वीकार नहीं किया गया है। चौथा भी राम सेवक यादव, आदि का हत्या के संबंध में है जैसे बहुत सी हत्यायें हो रही हैं और राजनैतिक हत्यायें हो रही हैं . . .

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, इस संबंध में निवेदन कर दूं कि मैं स्वयं मुख्य मंत्री जी से मिला था। पिछले 2 महीनों में 3-4 हत्यायें हुयीं। उनमें से 2 कत्ल ऐसे हुए कि उनकी बो ी-बो ी करके घाघरा नदी में डाल दी गयी है और एक नौजवान सरपंच, अदालत का र जाते वक्त सिर काट लिया। कल हमारी ी पा ी के बेचन लाल सरपंच, अदालत, जिनको एक साल से दुश्मनी चल रही थी राजनैतिक कारणों से मार दिया गया। उनकी कोई रक्षा नहीं हो सकी। इसके लिये वहां की पुलिस भी जिम्मेदार है। एक बार बसमें जाते हुए उन पर हमला हुआ लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुयी। पूरे जिले का प्रशासन ही निष्क्रिय हो गया है। साल भर से लोग नके पीछे पड़े । राजनीतिक विरोधीलोगों ने इस हत्या को किया है। 2-2 बार थाने रिपोर्ट लिखायी गयी है लेकिन मुल्जिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

श्री अध्यक्ष--

आप इस संबंध में अल्पसूचित प्रश्न कर लें ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सेवक यादव--

श्रीमन्, आप इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिला दीजिए ?

श्री अध्यक्ष--

यदि 4-5 नाम होते तो मैं विचार करता। एक की हत्या का मामला है। आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री राम सेवक यादव--

श्रीमन्, यह तो राजनीतिक हत्या का मामला है, अदालत के सरपंच की हत्या का मामला है। आपसे प्रार्थना है कि आप बयान दिला दें। जो हत्यायें हुई हैं, उनकी सूची भी भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें तो उससे भी काम चल जायेगा। आधे घन्टे की चर्चा तो उसमें भी हो सकती है, सारी बातें उसमें आ जायेंगी।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, बाराबंकी जिसमें इस समय.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम सेवक यादव अपने मामले को उठाने में समर्थ हैं।

श्री राम सेवक यादव--

श्रीमन्, एक नहीं कई घटनायें हुई हैं, मैं आपके पास एक सूची दे दूंगा, आप कृपया मंत्री जी से वक्तव्य दिला दें ?

श्री अध्यक्ष--

एक की हत्या पर वक्तव्य नहीं हो सकता।

श्री राम सेवक यादव--

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी खड़े हो रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मैं तो मान्यवर, सिर्फ इतना निवेदन कर रहा था कि मुझे तो ऐसा ख्याल था कि माननीय राम सेवक जी की और मेरी ऐसी दोस्ती हो गयी है कि हम और वे दोनों बातें कर के सवालों का हल निकालते रहेंगे और आपको कष्ट न देंगे लेकिन माननीय राम सेवक यादव जी को मेरी और अपनी दोस्ती पर भरोसा नहीं है, मुझे इसका दुःख है। अभी हाल में सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर हमने 4 दिन पहले और उनसे बात होने के 1 आध रोज पहले फिर बारा सारे अपने अधिकारियों को बुलाकर गृह सचिव से लेकर आई० जी० तक से बात की। मैं स्वयं चिन्तित हूं और चाहता हूं कि डकैती या मर्डर की जो दशा है, उसे हम कम से कम करें और उसके लिये मैंने कुछ निश्चय भी किए हैं। अखबारों में कुछ प्रकाश में आए हैं। इसलिये हमने अखबारों में ज्यादा नहीं दिये हैं क्योंकि जो एलीमेंट्स खराब किस्म के हैं, उनकी पहले से चेतावनी हो जाती है। मैं मान्यवर, आपके द्वारा माननीय राम सेवक जी और सारे सदन को आवश्यक करना चाहता हूं कि सरकार कानून और व्यवस्था को स्थापित करने के लिये आप सब से पूरी सहयोग की चेष्टा करेगी।

श्री राम सेवक यादव--

माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहें उस पर हमारे लिये अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं उठता है और मैं उनमें से एक हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी के वचन और बात का आदर करते हैं। यह प्रश्न तो इसलिये उठा कि अभी दो, तीन दिन पहले राजनीतिक कारणों से यह टना घट गयी वरना यह प्रश्न लाने का सवाल ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष--

आप दोनों के प्रेम के बीच में मैं क्यों आ जाऊं। (हंसी) अब माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा, माननीय बांकेलाल जी और माननीय हरि केवल जी के नाम जोड़ दिए जायेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

यह उर्वरक के बारे में है। पुराने उर्वरक के भंडार का भी दाम बढ़ाकर 92 सैकड़ा कर दिया गया है .....

श्री अध्यक्ष--

यह तो मैंने पहले ही कहा कि आपका नाम वक्तव्य के लिये जोड़ दिया जायगा। इस सारी शक्ति के साथ उस दिन बोलिये जब यह आयें।

* * *

और सारे प्रदेश का मामला।

* * *

श्री अध्यक्ष--

यह अब नहीं लिखा जायगा। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। न तो जो यह बोल रहे हैं वह लिखा हो जायगा और न अखबार में जायगा। (श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के बोलते रहने पर) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और सरकार को भी कहता हूं कि स्वीकार करने के बावजूद जो हठधर्मी आप करते हैं मैं सोचता हूं कि इसको निरस्त कर दूं। मैं सरकार को बाध्य नहीं करूंगा कि इस पर वक्तव्य दे। जब खाद पर चर्चा हो चुकी फिर भी मैंने आपका आग्रह स्वीकार कर लिया तो जो आपकी ताकत है उसका इस्तेमाल सही मौके पर आप करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन बे मौके पर नहीं करने दिया जायगा।

(व्यवधान)

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस किसी का नियम 56 में वक्तव्य स्वीकार भी किया जाय और इस तरह से प्रदर्शन करें इस प्रकार के वाक-आउट को मैं रिकग्नाइज नहीं करता। अखबार में इस वाक-आउट को लिखा नहीं जायगा। यह आना-जाना सबका लगा ही रहता है। मैं अखबार वालों से निवेदन करूंगा कि मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं जो अकारण किया जाय। तो मैं इस वाक-आउट को नहीं स्वीकार करता और न कहीं किसी अखबार में जायगा कि वाक आउट हुआ है। सदस्य बैठते हैं और चले जाते हैं। श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी बोलेंगे।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय यहां राय यही है कि खाद पर आपका वक्तव्य आना चाहिए.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। आपको किसने बुलाया? हम आपके हकों की रक्षा कर रहे हैं। साथ ही विरोधी दल के नाते आश्वासन समिति के सभापति को हमने बुलाया। जब आपका नाम नहीं पुकारा गया तो आपको बोलने का विशेष हठ कैसे पैदा हो गया? आपके रास्ते में अगर दूसरा खड़ा हो जाय तो आपको कैसा लगेगा?

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अनुमोदन का प्रस्ताव तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 †

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मैं समझता हूं मिसप्रिंट है। मैं शुद्ध करूंगा। "अननुमोदन" होना चाहिए। यह मेरी बदकिस्मती है कि जब तक मुख्य मन्त्री रहेंगे तब तक इसी तरह से मिसप्रिंट रहेंगे।

(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) मुख्य मन्त्री--

आपके मन की बात छपी है, मुंह की बात आप कह सकते हैं। (हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन का उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है। मान्यवर, मैं आजकी परिस्थिति में इस अध्यादेश के विषय में ही कुछ कहना चाहता था वरना सरकार ने .....

श्री अध्यक्ष--

ऐसा क्यों न करें, आप बैठ जायं कृपा करके और मन्त्री जी आगे वाले को रख दें। इसके बाद बहस दोनों पर हो जाय ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कोई बात नहीं। मैं मान लेता हूं सरकार की बात।

श्री अध्यक्ष--

यही प्रथा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणानुसार स्पष्ट है, हमारी चेष्टा है कि शराब और ताड़ी और दूसरी तरह के जो पेय पदार्थ हैं उन सब के लिए बियर आदि के सम्बन्ध में भी ऐसी नीति अपनावें कि लोगों की पीने की तरफ से ऐसी कुछ प्रवृत्ति हो जाय कि उतना पैसा दे न सकें और पी न सकें। इसलिए इस बिल को लाये हैं और हमारा पूरा भरोसा है कि सब दल, प्रदेश की जो आज आर्थिक आवश्यकताएं हैं और शराब-बन्दी के लिए जो जवाब पेश करने हैं उन दोनों को ध्यान म रखते हुए इस बिल को स्वीकार करेंगे। मान्यवर, हमारी मंशा इससे भी स्पष्ट है कि 8 पहाड़ी जिलों में जहां पहले से शराबबन्दी थी, वहां हमने शराब-बन्दी रखी है। शराब-बन्दी के जो नियम प्रदेश में लागू थे उनको हमने कायम रखा है। यह भी हमने कोशिश की है कि जो मादक वस्तुएं हैं उनको कुछ हल्का करें, उनकी मादकता को कम करें। लाइटर इंटाक्सीकेशन लायें हल्के-हल्के, ताकि मादकता की तरफ से लोगों को मुंह मोड़ने को मिले। वैसे गवर्नमेंट की यह कोशिश रही है कि पेय पदार्थ ऐग्रो इंडस्ट्रियल

---

† 6 जून, 1974 को कार्यवाही में छपा है।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

कारपोरेशन और दूसरी तरफ से बनाये जायं सस्ते दूकानों और बाजारों में उपलब्ध हो सकें ।

मुझे आशा है कि यह इनाकुअस बिल, एक साधारण सा बिल है, इस बिल को स्वीकार करने में इस माननीय सदन को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मुख्य मन्त्री जी कृपया इतना और बता दें कि वे प्रदेश को शराब अधिक पिलाना चाहते हैं या कम ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

बिलकुल कम ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दे दे ।" मैं आज अपने विचार आपके सामने दो भागों में प्रस्तुत करना चाहूंगा । पहले तो मैं अध्यादेश के बारे में अपने विचार रखूंगा । अध्यादेश के बारे में मेरा बड़ा जबरदस्त विरोध है । अध्यादेश किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही जारी किया जाता है । जब राज्यपाल महोदय को यह समाधान हो जाये कि इस समय विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं और आर्डिनेन्स जारी करना आवश्यक है, तभी उसे जारी करना चाहिए । मुझे बड़ा :ख है कि पार्लियामेंट में जब असेम्बली भंग होती है तो वहां अगली बैठक की तत्काल घोषणा कर दी जाती है, मगर हमारे यहां यह पता ही नहीं होता कि कब विधान सभा की बैठक होगी । ऐसा मालूम होता है कि सरकार का रुझान अधिनायकवादी प्रवृत्तियों की ओर जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब यह अध्या श जारी किया गया तो उस वक्त कौन सी विशेष परिस्थितियां विद्यमान थीं । इस प्रकार के अध्यादेश जारी करके कांग्रेस सरकार ने एक घृणित कार्य किया है । यह प्रजातन्त्र विरोधी कार्य है । इसी सदन की एक कमेटी भी बनी थी माननीय कृष्णानन्द राय जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने अध्यादेशों के सम्बन्ध में पूरी छानबीन करके अपनी रिपोर्ट दी थी और उसने भी यह राय दी थी कि सरकार को अध्यादेश कम से कम जारी करने चाहिए । सरकार ने अध्यादेश जारी करने का जो आम रवैइया बना लिया था उसकी उसने निन्दा की थी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रजातन्त्र के अधिकारों का एक प्रकार से हनन नहीं है ? प्रीसाइडिंग कान्फ्रेंस में भी यही मत व्यक्त किया गया कि इसको डिस्करेज किया जाय । लेकिन हमारी सरकार ने पिछले कुछ ही दिनों में 7-8 अध्यादेश जारी कर दिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार की यह कड़ी भले ही अधिनायकवाद की ओर न हो अर्थ अधिनायकवाद की ओर अवश्य है ।

मान्यवर, आप देखें कि आज जुडिशियरी में भी गड़बड़ी पैदा कर दी गयी है । सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सबसे बड़ी घटना हुई, उसके ऊपर यहां विचार व्यक्त किए जा चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता । जिस प्रकार हरियाणा के चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है, उस बारे में भी मैं कहना नहीं चाहता । मगर जो प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाले लोग हैं वे आज समझने लग हैं इस सबसे प्रजातन्त्र की ईंट खिसकने लगी है, आज जुडिशियरी में भी लोग स्वतंत्र नहीं हैं, जुडिशियरी आज हिल गयी है, रेडियो भी कन्ट्रोल्ड हैं, न्यूजपेपर्स भी इनके अधिकार में हैं, यही नहीं चीफ मिनिस्टर भी हमारे यहां ऊपर से लाद जाते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज इसलिये मैं कह रहा हूं कि जो स्थिति देश और प्रदेश में मौजूद है उसको देखते हुये एक सतर्क सरकार कम से कम अध्यादेश का प्रयोग करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने पार्लियामेंटरी रिपोर्ट्स देखी हैं और बड़े बड़े लोगों कीस पीचेज देखी हैं, इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अध्यादेश का प्रयोग आप सब से कम करें। जो आपने अध्यादेश जारी किया है वह तो बिल्कुल कन्डम करने योग्य है। ऐसी आशा मैं आपसे नहीं रखता था। प्रजातांत्रिक ढंग में आपका विश्वास नहीं है। आज हमारे अधिकारों और प्रजातंत्र का हनन हो रहा है। मान्यवर आपकी नियत मेरे हिसाब से साफ नहीं है। इसके लिये, इसको कन्डम करने के लिये मैं आपके सामने आया हूं। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया उनसे मैं ऐसी आशा नहीं करता था। अध्यादेश जारी करने में आप कुछ कहते हैं और आपकी नियत कुछ और है। आपने जो अध्यादेश जारी किया है उसमें कहते हैं कि राज्य के निरंतर बढ़ने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 में संशोधन करके देशी शराब, भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश्य मालूम हो (बियर को छोड़कर) और भारत में यवासवित बियर पर कुछ आबकारी शुल्कों को बढ़ाया जाये।

तो आप शराब को सुस्वाद क्यों बना रहे हैं? आप बियर पर कुछ आबकारी शुल्क बढ़ाइये। आज आपने यह क्यों नहीं लिखा कि घटाने जा रहे हैं। तो आपके इस संशोधन से कुछ भला नहीं होने वाला है। शराब की खपत पर कोई असर नहीं होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि 47 बिल के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, मान्यवर, यह देखते हुये कि पोषक आहार का स्तर, जीवन स्तर बढ़ाया जाय, दवा के प्रयोजन छोड़ कर, नशाबंदी करने का प्रयास करें। ये लोग स्वाधीनता के आधार पर प्रजातन्त्र जो डींग मारते हैं और कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। जहां तक नशे का सवाल है तो किसी को राजमद का नशा, किसी को पैसे का नशा और किसी को गेहूं का नशा आदि कई प्रकार के नशे होते हैं। इनका मतलब है कि नशा सारे देश में व्याप्त होना चाहिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने संविधान के 47वें परिच्छेद की पूर्ति कैसे की। महात्मा गांधी ने कहा था कि नशा बन्द होना चाहिये। परन्तु इन्होंने मद्य निषेध के बजाय विभाग खोल दिया है और कहते हैं कि मैंने नशा बन्द कर दिया है। सारे देश में नशाबन्दी की दुकानें और खोल दी हैं। इनका लक्ष्य पंचवर्षीय योजना में शराब से 151 करोड़ रु0 लेने का है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि शराब बन्दी करके रुपया प्राप्त करेंगे। तो इनके विचार विरोधाभास के हैं। इनके दिल में कुछ और है और यहां कहते कुछ और हैं। जगह-जगह शराब के नाम से वोट मांगते हैं जबकि शराब वर्जित है। इसे गरीब अधिक पीते हैं। शराब में हानिकारक चीजें मिलाते हैं जिससे अनेकों व्यक्तियों की मौतें भी हो जाती हैं। अखबार की रिपोर्ट है कि कानपुर में शराब पीने से 2 व्यक्ति मरे, नैनीताल में 2 मरे तथा कहीं 21 आदमी शराब पीकर के मर गये।

आज मैं कह रहा हूं कि आज इनकी स्थिति यह है कि आज हर जगह के विरुद्ध केवल एक चीज की भूख है और वह है रुपया। परन्तु ये इकनामिक डिस्पिलिन नहीं रखेंगे। हेलीकोप्टर पर चढ़ना बन्द नहीं करेंगे। कहते हैं कि हेलीकाप्टर से समय की बचत होती है। जबकि आज उत्तर प्रदेश के कृषक बैलगाड़ी पर चलते हैं।

अब मैं कहता हूं कि इस परिस्थिति को पैदा करके शराब का मार्केट बढ़ाने की वजह से हमारे सामने यह विधेयक रखा है। शराब बन्दी के बजाय लाइसेंसों का लिबरलाइजेशन किया

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

जा रहा है। देशी शराब के बजाय अंग्रेजी शराब को और बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे यहां की मुद्रा फारेन इक्सचेन्ज बाहर जाता है। देहातों में शराब की दुकानों के अगल-बगल घर नहीं होते हैं जिससे वे लोग भी शराब पीकर झूमते रहते हैं जिनके तन पर पहनने को कपड़ा तक नहीं है। मैं मानतीय मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि चलिये मेरे साथ मैं दिखाऊं कि लोग झूम रहे हैं और उन गरीब लोगों के कपड़े फटे हुये हैं। सैकड़ों निन्दा हैं इस सरकार की कि जो उन लोगों को रोकने के बजाय और बढ़ावा दे रही है। उनकी कमाई का और पैसा घसीटना चाहती है। मैं जानता हूं कि जिसने एक बार शराब पीना शुरू कर दिया वह बड़ी मुश्किल से रोक पाता है वह भी हजारों में से एक। ऐसी परिस्थिति में आपका क्या फर्ज है, आपका फर्ज है कि उनको रोकें। इस समय 6 करोड़ आमदनी है सरकार की इससे, और वह चाहती है 151 करोड़। हो सकता है कि मान्यवर, मैंने कुछ आंकड़े गलत बोले हों, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि क्या कोई दूसरी ऐसी मद नहीं हो सकती जिससे आप आमदनी निकाल सकें ? आपको तो भगवान पर विश्वास नहीं है लेकिन आपका विवेक कहां चला गया ?

मान्यवर, बजट आने वाला है, भगवान करे मेरी बात झूठ निकले लेकिन मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि आप हैविली टैक्स करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधी के आदेशों से वर्जित, प्रदेश में 70 प्रतिशत लोगों की आमदनी भोजन में चली जाती है उनके आय के अनुसार वर्जित, संविधान से वर्जित, फिर भी हमारी सरकार लिबरलाइजेशन आफ प्रान्टिग लाइसेंसेज करने जा रही है। मुझे बड़ा खेद है और मैं मुख्य मंत्री जी से इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसा शायद वह भूल से कह गये हों। सरकार के पास इसे न्यायोचित ठहराने का केवल एक ही अस्त्र है पंचवर्षीय योजना के लिये पैसा चाहिये और दूसरा अस्त्र हो सकता है कि अगर कीमत बढ़ा देंगे तो गरीब नहीं पियेगा। मान्यवर, मिसाल है कि बीबी के कंगन बिक गये, खेत बिक गये, हल-बैल बिक गये। लेकिन आपको कैसे मालूम हो ? राज्य का शासक जब हेलीकोप्टर पर उड़ेगा तो किसानों की और गरीबी की हालत कैसे देख पायेगा ? मान्यवर, इन शब्दों के साथ में मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसको वापस ले लें और न भी वापस लें तो 7 दिन तक जनता की राय लें लें ो फौरन जनता की प्रतिक्रिया मालूम हो जायेगी और नहीं तो प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे बल्कि वह तो 'साकी और पिला, और पिला' वाली बात मानते हैं। इन शब्दों के साथ में इस बिल का घोर विरोध करता हूं और अपने विचारों को समाप्त करता हूं।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 को जनता की राय जानने हेतु एक माह तक जनता में परिचालित किया जाय। मान्यवर, अभी माधो बाबू ने विषय ऐसा उठाया जो संवैधानिक दृष्टि से अपना सम्बन्ध रखता है। इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा ही कहूंगा। हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी है। दुनिया के किसी देश में अध्यादेश जारी करने की प्रथा नहीं है। हमारे देश में 1935 में गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऐक्ट के अन्तर्गत गवर्नर जनरल को पावर थी कि अपनी विधायन शक्ति का प्रयोग करे। लेकिन बाद में जब संविधान बना तो उस पर विचार हुआ और इस चौखटे के अन्दर सीमित कर दिया गया कि जब कभी आपात्कालीन स्थिति होगी तभी अध्यादेश जारी होंगे। लेकिन पिछले 20–22 सालों का यह अनुभव रहा है कि भारत सरकार ने तो संविधान में निर्देशित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नीति को मान्यता दी लेकिन राज्य सरकारों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आर्डिनेन्सेज निकाले हैं तो आप देखें कि उनकी कितनी तात्कालिक आवश्यकता थी।

अभी जबकि सदन आहूत हो गया था तब भी इन्होंने अप्रैल से आज तक 17 अध्यादेश निकाले। इन अध्यादेशों को निकालने की कौन सी आवश्यकता आ गयी थी मैं नहीं समझ पाता। हमें याद है एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष ए0 जी0 खेर थे और उस कमेटी की रिपोर्ट में यह है कि जब सदन आहूत हो जाय तो अध्यादेश न निकाले जायं। लेकिन उस पर ध्यान न देकर अध्यादेश निकाले गये। जब सदन आहूत कर लिया गया था तो यहां इस पर सदन में बहस होती और जब यह विधेयक बन जाता तो किसी को आपत्ति न होती लेकिन इस तरह से चोर दरवाजे से कार्य करना संवैधानिक दृष्टि से अनुचित है। दूसरी बात यह है कि आपके इस बिल के उद्देश्यों में कहीं यह नहीं है कि लोग शराब कम पीयें इसके लिये इस बिल को लाया गया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में संसाधनों को बढ़ाने के लिये और पैसे की कमी को पूरा करने के लिये यह लाया गया है।

श्री अध्यक्ष---

इस पर तो माननीय त्रिपाठी जी काफी बोल चुके हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय---

थोड़ा सा ही और निवेदन करूंगा। मैं तो मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस तरफ भी सोचें कि इस शराब से प्रदेश में कितनी अनैतिकता और भ्रष्टाचार फैल रहा है। महात्मा गांधी की तस्वीर ऊपर लगी हुई है। वह हमेशा कहते रहे कि कोने-कोने में शराब बन्दी होनी चाहिये। लेकिन बदकिस्मती है कि उनके चेलों ने शराब की बोतलों का अंबार लगा दिया है। आजादी के पहले इस देश में चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे नौजवान थे लेकिन आज का नवयुवक चौराहों पर शराब पीकर घूम रहा है। आपके दाम के बढ़ाने से शराब की बिक्री कम नहीं होगी। आपने शराब के दाम बढ़ा दिये तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने शराब पीने वाले लोग कम हो गये? मान्यवर, मेरा तो निवेदन है कि शराब पीने वालों की संख्या बढ़ी है और शराब जहां नहीं पहुंचना चाहिये थी, दुर्भाग्य से वहां भी पहुंच गयी है और हम लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज भ्रष्ट हो चुके हैं। अगर शराब पीना कानूनन बंद करना चाहते हैं तो इस पर गहराई से विचार करना होगा। आज हम देखते हैं कि देश में पापाचार बढ़ रहा है। वह कैसे कम होगा? इसके लिये आपको विचार करना होगा, सरकार को विचार करना होगा, जनता को विचार करना होगा। आपने कहा कि दाम बढ़ाने से पीने वालों की कमी होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि सिनेमा में आपने इंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन मैं यहीं लखनऊ के एक सिनेमाघर की बात करता हूं कि क्या वहां सिनेमा जाने वालों में कोई कमी आई? मैं तो कहूंगा कि वह पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। मान्यवर, हमारे संस्कार क्या हैं और हम जा किस तरफ रहे हैं? अगर सरकार दाम बढ़ाकर शराब पीने वालों में कमी करना चाहती है तो यह सरकार का महज एक ख्याल है, रिक्शा चलाने वाले और छोटे लोग इन दामों की परवाह नहीं करेंगे।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यादेश जिस समय निकाला गया और दाम बढ़ाये गये, तो इसका फायदा पीने वालों को नहीं मिला बल्कि जो दूकानदार थे, स्टाकिस्ट्स थे, उन्होंने कम दाम की शराब को भी दाम बढ़ाकर पैसे लिये होंगे।

जहां तक लाइसेंस आदि देने के बारे में बात है, गोंडा में जहां पर खटिकों की आबादी है, वहां 4 दूकानें हैं, लेकिन कोई लाइसेंस नहीं है। लोग कोतवाली और पुलिसवालों से मिलकर दूकान चलाते हैं और हजारों लोग वहां शाम को शराब पीते हैं। शराब पीने वालों की कमी

[श्री त्रिवेणी सहाय–]

आप इस तरह से नहीं कर सकते। मेरी मूल भूत भावना जो है, वह यह है कि अगर इस कुरीति को दूर करना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि आप सस्ती शराब को बंद कर दें। जिसको पीना होगा, महंगी शराब लेकर पियेगा।

श्री अध्यक्ष––

तब आप महंगी शराब के बारे में रुकावट क्यों डाल रहे हैं ?

श्री त्रिवेणी सहाय––

शराब पीना बंद हो, कितनी बार इस सदन में जिक्र हुआ। अपोजीशन की तरफ से मांग की गयी कि शराब बंदी इस प्रदेश में लागू की जाय, लेकिन सरकार की तरफ से जबाव आया कि शराब-बंदी में कठिनाई होगी। मैं कहना चाहता हूं कि आप गरीबों के लिये सस्ती शराब बंद कर दें। जो पैसे वाले हैं, वह महंगी शराब लेकर पियेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)––

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब इस सरकार ने यह अध्यादेश बनाने का विचार किया होगा तो यह शेर पढ़ लिया होगा:––

'इलाही हमसे रिन्दों को हुकूमत वह अता होती,
जहां हुक्मन पिया करते न पीने पर सजा होती।"

इस शेर से प्रेरणा लेकर इस अध्यादेश को इस सदन में विधेयक के रूप में हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है (व्यवधान) शायद भूल से ही माधव बाबू ने जैसा कहा था कि मुख्य मंत्री ने कहा था कि पीने पर कुछ प्रतिबन्ध लगा रहे हैं . . . .

श्री अध्यक्ष––

आप तो माहौल पैदा कर रहे हैं पीने का।

(हंसी)

श्री राम सेवक यादव––

माहौल का शिकार तो नारद भी हो गये, अगर मुझे जैसा आदमी हो गया तो कोई हर्ज नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई नाटक खेला जा रहा है। कोई शराब पिये हुये लड़-खड़ाते हुए इधर-उधर पकड़ लिया जाता है तो उस पर मुकदमा चलेगा, चालान कौन करेगा, पुलिस वाला ? उस पर मुकदमा किसके यहां होगा–मैजिस्ट्रेट के यहां। कितना अच्छा मजाक है ? एक पीने वाला दूसरे पीने वाले का चालान करता है और एक तीसरा पीने वाला मुकदमे में सजा करता है। (व्यवधान) तो यह एक नाटक सा हो रहा है। सरकार ने दो चीजें तय की हैं। जो कहीं ठीक उसका उलटा करे। जो कानून बनाओ ठीक उसका आचरण करो। जैसे मुख्य मंत्री जी का नारा है समाजवाद का लेकिन कर्म है पूंजीवाद का, इरादा है नशाबन्दी का लेकिन काम है खूब पिलाने का। इसीलिये आबकारी विभाग में दो महकमे हैं। एक मद्यनिषेध का और दूसरा शराब पिलाने वाले का। मद्य-निषेध वाली पल्टन तो कम है कुछ दर्जन लोग होंगे लेकिन पिलाने वालों की फौज बहुत लम्बी है और रात दिन वे पिलाने के काम में लगे रहते हैं। ऐसी हालत में इस मद्यनिषेध को तोड़ देना चाहिये। वास्तव में मद्य निषेध की कोई योजना रह ही नहीं गयी है। आज सत्ता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूढ़ दल का यह हाल है कि वह जो दिशा देता है—उसने न जाने अपने यहां से कितनी मान्यताओं को खत्म कर दिया है। रामायण राय जी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि पहले खद्दर पहनना जरूरी था लेकिन अब नहीं है।

एक सदस्य—

अब भी है।

श्री राम सेवक यादव—

स्वरूप बदल गया है। इसी तरह से शराब में भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उद्देश्य यह है शराब बन्दी लेकिन काम है इस सरकार का शराब पीना बढ़ाने का। मुझे सूचना मिली है कि 1948 में जहां 3 लाख लीटर शराब उत्तर प्रदेश में बनती थी अब बढ़ कर वह 56 लाख लीटर बनती है। इससे ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितनी शराब बढ़ गयी। गांधी जी का उद्देश्य था कि पूर्ण शराब-बन्दी हो।

उसके बाद स्वतंत्र भारत में जब कांग्रेस के लोग गद्दी में बैठ गये जिनका मकसद सम्पूर्ण शराब-बन्दी लागू करना था उनमें पूर्ण शराब-बन्दी नहीं हुई बल्कि इन लोगों ने कहा कि पूर्ण नहीं आंशिक शराब-बन्दी होगी। कहीं सूखा कहीं गीला। यह दोनों स्थितियां चलीं। आदत झटके से छूटा करती है, धीरे-धीरे नहीं। एक जगह पर शराब बन्द हो और एक जगह पर न हो तो उसमें सिवाय भ्रष्टाचार और बेईमानी के और कोई लाभ होता नहीं। यह नीति आपकी असफल होगी और असफल रही है। तो पूर्ण बन्दी के बाद आंशिक शराब-बन्दी पर आप आये और अब आंशिक से क्रमिक शराब बन्दी हो गयी और क्रमिक के बाद आप एक दिन का उपवास भी करने लगे हैं। मैं नहीं जानता कि मंगल के दिन करते हैं या किसी और दिन आपका उपवास होता है लेकिन हफ्ते में एक दिन का उपवास होता है। यह स्थिति आज हो गई है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कुछ कम तो किया।

श्री राम सेवक यादव—

जो दुकानें शराब की थीं उनकी जांच पहले एक्साइज वाले ही किया करते थे किन्तु अब पुलिस विभाग भी इसमें आ गये हैं। उपवास का दिन तो एक दिखावटी दिन है। बल्कि उस दिन तो और ज्यादा और अच्छी शराब चलती है। तो इस मुगालते में न रहें कि आपकी यह नीति कामयाब होगी। इसका मकसद तो यह है कि आप खूब पिलाना चाहते हैं और उनसे टैक्स वसूल करना चाहते हैं, उससे योजनाओं को चलाना चाहते हैं। शराब और वैश्या-वृत्ति जैसे अनैतिक काम करने से पैसा वसूल करके प्रदेश का भला नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—

इसके उद्देश्य में तो यही लिखा है राज्य के निरन्तर बढ़ने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया।

श्री राम सेवक यादव—

शराब पिलाकर पैसा नहीं लेना चाहें। फिर तो आप डकैतों को भी छूट दे दें अनैतिक तरीके से जनता से पैसा इकट्ठा करना समाजवादी सरकार के लिये अनुचित बात है। आप दूसरी चीजों में मितव्ययता कर सकते हैं, फिजूलखर्ची बन्द कर सकते हैं,

[श्री राम सेवक यादव–]
टेलीविजन और शानशौकत वाली चीजों पर बढ़ा सकते हैं लेकिन शराब पिलाकर पैसा लेना ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। किसी आदमी से एक आदमी ने कहा कि तुमको तीन काम करने जरूरी हैं। अगर तीनों काम नहीं कर सकते तो दो काम करो और अगर दो काम भी नहीं कर सकते तो एक काम तो तुमको अवश्य ही करना पड़ेगा। उसने कहा या तो शराब पी लो या गोश्त खा लो या अपने पिता की हत्या कर लो। उसने कहा मैं तीनों काम कैसे करूं? एक काम करना जरूरी है। उसने कहा मैं मांस खा नहीं सकता क्योंकि वह हिंसा हो जायेगी, पिता की हत्या भी नहीं कर सकता क्योंकि उससे बढ़ कर हिंसा और क्या होगी इसलिये शराब पीना ही सबसे कम खराबी की चीज है लिहाजा उसने शराब पी ली और शराब पीने के बाद उसका मन चल गया गोश्त खाने को और गोश्त खाने के बाद उसने अपने पिता की हत्या भी कर दी थी। तो ऐसी बुरी चीज, सब बुराइयों की जड़ यह शराब है। आज जितना भी अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में और समाज में व्याप्त है, उसकी जड़ में शराब एक जबरदस्त कारण है। आज तो शराब पीना आधुनिकता की निशानी अथवा फैशन बन गया है।

इतना ही नहीं अब तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्य सभा और विधान परिषद् के चुनाव होते हैं तो हम लोगों को भी इसकी बाढ़ का शिकार बनाया जाता है और फिर हमारे लिये उसकी जोड़ीदार का भी इंतजाम होता है। उस चीज को सरकार बढ़ावा देती चली जा रही है। इसलिये मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि यह शराब पिलाकर धन प्राप्त करने की कुप्रवृत्ति यह सरकार अतिशीघ्र त्याग दे। एपीटाईजर के रूप में इसके प्रयोग की जो बात है, पश्चिम के जो देश हैं, वे धनीमानी देश हैं उनके यहां खाने-पीने की बहुतायत है, वह देश हर भांति से भरे-पूरे हैं, वे तो अपने यहां एपीटाईजर के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। किन्तु अपने देश में जहां खाने-पीने को नहीं है, लोग अधपेट रहकर और भूखे रह कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस बुरी चीज को, खराब प्रथा को देश में फैलाकर आज हम देश का नैतिक बल गिरा रहे हैं, देश और समाज को खत्म कर रहे हैं, लोगों की तन्दुरुस्ती बिगाड़ रहे हैं और इस विभाग के भ्रष्टाचार को और बढ़ा रहे हैं।

यदि किसी अमीर के पास पैसा है तो उस पर टैक्स लगा दो, परचेज टैक्स लगाकर पैसा ले लो, लेकिन इस तरह से शराब पिलाकर उनका पैसा लेने का प्रयास मत करो। इस प्रकार से पैसा पैदा करना कतई उचित नहीं है। जब हम सब लोग चुनाव लड़ते हैं, काशीनाथ मिश्रा जी सहमति प्रकट करेंगे, पोस्टर, जीप, बैनर, बिल्ला, एजेन्ट आदि के अलावा शराब भी एक आवश्यक आईटम हो गया है। इतना हम शराब-बन्दी की ओर बढ़े हैं! मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमें अपनी सारी शक्ति को सामने रखकर, खुलकर इस मामले में कह देना चाहिये, हमें दो जबान से बोलने वाली आदत छोड़ देनी चाहिये। इन नशाबन्दी का प्रचार हो और काम नशा प्रचार का हो यह नीति ठीक नहीं है, इस रास्ते को सरकार छोड़ दे। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

शराब के विषय में, मान्यवर, कुछ विचार सुनने को मिले। विरोधी बेंचेज से एक ही आवाज इस बात की मिली और सबने गांधी जी की दुहाई दी। मान्यवर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस प्रदेश में एक समय ऐसा भी आया था जब इस प्रदेश में आज जो विरोध पक्ष में बैठे हैं, उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला था। मान्यवर, जब संविद सरकार बनी थी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, बनते ही इन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया था कि जितने ही स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं, उनको

खत्म किया जाता है। तो यदि उस समय यह चाहते तो शराब के मसले को सदा-सदा के लिये खत्म किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनको भी आमदनी की जरूरत थी। आज मुझे बड़ा दुःख होता है उन साथियों के विचार सुनकर जब वे कांग्रेस की ओर इस बात का इशारा करते हैं कि गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी को मानने वाले तो आप भी हैं, सन्त महात्माओं के सिद्धान्तों को मानने वाले आप हैं, ऋषियों मुनियों के वचन सुनने वाले आप ही हैं। आप भी इस चीज पर अंकुश लगा सकते थे, जिनका इशारा आप हम पर कर रहे हैं। अभी श्री माधव प्रसाद जी त्रिपाठी, जो जनसंघ दल के नेता हैं, उन्होंने एक बात कही--वह मजदूर जिसके बदन पर चिथड़ा नहीं है, शराब पीता है, उसको खराब किया जाता है। लेकिन मैं उन साथियों को यह बताऊं, आज गरीब और मजदूर के ऊपर आसानी से उंगली उठायी जा सकती है लेकिन वह शराब इसलिये नहीं पीता कि उसको इसका शौक है बल्कि इतनी परेशानियों में मुब्तला है, कि शराब पीकर अपने को नशे में भुलाते है।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मुख्य मंत्री जी के दिल की बात कही है। मैं बधाई देता हूं।

श्री रेवती शरण मौर्य--

हंस रहे हैं लेकिन इनको अच्छी तरह से मालूम है कि आज हजरतगंज में जितने रेस्तरां हैं, जितने भी बार हैं, उनमें देखिए कौन शराब पीता है। आज उन्हीं के रिश्तेदार, भाई बन्द अधिक तादाद में शराब पीते मिलेंगे। मेरा यह दावा है।

एक सदस्य--

माननीय सदस्य महोदय बहुत आदी हैं इसलिये वकालत कर रहे हैं। इस समय भी पी कर आये होंगे।

श्री रेवती शरण मौर्य--

अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिये कोई भी शब्द आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसी हाउस में जितने भी सदस्य हैं, चाहे कांग्रेस के हों या विरोधी पक्ष के, सब ने एक ही बात रखी थी, खाद्य समस्या के ऊपर, किसानों के लिये सब ने प्रश्न उठाया लेकिन मजदूर के लिये जो किसान के खेत में हल चलाता है किसी ने नहीं उठाया। इसलिये आसानी से गरीबों के लिये, मजदूरों के लिये कुछ भी कह दिया जाता है लेकिन सरमायादारों के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाता, वह कितनी अय्याशी करते हैं। मान्यवर, शराब के मामले में मेरा यह कहना है, कि जो बहुगुणा जी की नीति है, जो सरकार की नीति है वह सही नीति है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, वह ऐसा बिल लाये हैं जिसमें माधव प्रसाद जी की तकरीर ने कुछ मस्ती शराब जैसी पैदा कर दी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मुझे अनुभव नहीं था, मस्ती कैसी होती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मस्त होने के बाद किसी को अनुभव नहीं रहता। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, गालिब का एक शेर याद आता है--

'अगले वक्तों के ये हैं लोग, इन्हें कुछ न कहो'
मय व नगमा को यह अन्दोह रुबा कहते हैं।'

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग–]

शराब की दुकानों के प्रसार के लिये जो बिल लाये हैं वह यह समझ कर कि शराब ज्यादा लजीज होगी, इसकी तलखी कुछ कम हो जायगी। जाहिर है, अगर आपकी यही नीति है, आप राशन की दूकानें गांव-गांव में नहीं खोल सकते तो शराब ही की खोलते, गम गलत न करते तो मसीबत में मस्त होते, जैसे माधव प्रसाद जी हैं। जाहिर है कि यह महज शराब पर टैक्स लगाने की बात नहीं है, इसके पीछे एक साजिश है। क्या मुख्य मंत्री जी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि गाजियाबाद में मोहन मीकिन की फैक्टरी है? वहां सरकार की इजाजत के बगैर आज लाखों करोड़ों लिटर शराब कानून के खिलाफ बनती रही है और एक मर्तबा भी आपने मोहन को गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजा। आज आप कहेंगे, दो रुपया लीटर ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, इस सदन की भी इजाजत चाहते हैं और कल कहेंगे कोई अगर बगैर लाइसेंस के शराब बनाता है, तो इस मुल्क को जरूरत है इसलिये कि हम टैक्स चाहते हैं, और आपको इजाजत मिल जायगी। इस फैक्टरी का मालिक हर मुख्य मंत्री का दोस्त रहे हैं और उसके दिमाग और दिल पर उसका कब्जा रहा है और हां वह प्रधान मंत्री के भी दोस्त रहे हैं। चाहे कोई शीरा बनाये या शराब बनाये परन्तु हर सरकार पर उसका कब्जा रहता है और उनके सारे जुर्म माफ हैं।

आज आपकी सरकार यकीन दिलाना चाहती है कि उसको पैसे की बहुत जरूरत है इस लिये वह टैक्स लगाना चाहती है शराब के ऊपर। इसीलिये वह शराब के ऊपर ड्यूटी बढ़ा रही है। अब देखिये मजा यह है कि देशी शराब के ऊपर भी दो रुपये लीटर और अंग्रेजी शराब के ऊपर भी दो रुपये लीटर बियर के ऊपर भी दो रुपये हैं लेकिन वह बल्क लिटर के ऊपर। इसलिये बल्क बियर बढ़ा दिया गया जिससे मोहन साहब को फायदा पहुंचे। आज आप देशी शराब को धड़ल्ले से दुकानों पर बिकवाइये और ऐलान कर दीजिये कि आप गल्ला नहीं दे सकते हैं। इसलिये पब्लिक को लजीज शराब दे रहे हैं। अगर आप शराब बिकवायेंगे तो पैमाने नहीं बदलेंगे। महज साकी बदल जायेंगे और ज्यादा यकीन के साथ लोग शराब पियेंगे, मरेंगे भी और जियेंगे भी ज्यादा यकीन के साथ। खादी भंडार का शहद अब मरने के बाद चरणामृत के लिये काम आयेगा।

जो बिल लाया जा रहा है उसके पीछे एक बड़ी साजिश है। आज देखना तो यह चाहिये था कि कितने किसान शराब पीते हैं, कितने मजदूर शराब पीते हैं और कितनी मधुशालाएं शहरों में खुल गई हैं और कौन लोग शराबखानों में जाते हैं। यदि शराब के बारे में आप अपनी नीति बदलना चाहते हैं तो आपको इस पर गौर करना चाहिये था। यदि आप कोई नीति बदलते हैं तो उसका असर प्रदेश की 9 करोड़ जनता के ऊपर क्या पड़ेगा? इस नीति की शुरुआत बम्बई में हुई थी जहां पर गांधी जी की मद्यनिषेध को दफना कर बियर की दुकानें खुलवाई गयी थीं। फिर वही चीज हरियाणा में पहुंच गई। आज वहां हालत यह है कि हरियाणा की किसी सड़क पर चले जाइए सैकड़ों बियर बार खुले हुये हैं और एयर कंडीशन मकानों में शराब पिलाई जाती है और लाखों हजारों मकानों में सस्ती शराब बिकती है। बड़ा नाम हो रहा है अगर हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री इन्हीं कदमों पर चलेंगे तो लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से दिल्ली लोग बिना रेलगाड़ी के ही लुढ़कते हुये पहुंच जायंगे और लोगों को लजीज शराब भी पीने को मिलेगी। फिर कानपुर में आपको मजदूरों के लिये मकान बनवाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका यह स्पष्ट ऐलान होगा कि हम देश में लजीज शराब सस्ते बेच रहे हैं कि हम देश की 9 करोड़ जनता की खिदमत करना चाहते हैं।

मुझे आज बड़ी नाउम्मीदी इसलिये हो रही है कि हमारे मुख्य मंत्री जी यहां पर समाज बदलने के लिये आये थे सरकार बदलने के लिये नहीं। लेकिन आज वे समाज के बदलने के बजाय दो रुपये लीटर शराब पर ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। आज शराब की नीति को बदलने के लिये जरूरत इस बात की थी कि आप कम से कम इस बात का अंदाजा लगाते कि इस बात का असर मजदूरों, किसानों पर क्या पड़ेगा और उन बड़े-बड़े लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो शराब

पिला-पिला कर आपकी नीति बदलवा देते हैं ! यदि आप व्हिस्की पर 200 रुपये भी ड्यूटी लगा देते तो भी पीने में कभी नहीं आने वाली है। शराब का इस्तेमाल नीतियों को बदलवाने के लिये किया जाता है। यदि आप करप्शन की जांच करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सेक्रेटरि ों की कीमत शराब की बोतलें हैं और हां वजीरों की कीमत रुपयों की थैलियां हैं क्यों कि उनको चुनाव लड़ना होता है।

इसके साथ-साथ बुनियादी सवाल उठता है। मैं माधव बाबू की बहुत सी चीजों से इत्तफाक करता हूं और उनकी पार्टी की बहुत सी चीजों से मुखालफत करता हूं। लेकिन मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूं कि टैक्स लगाये जायें आर्डिनेंस के जरिये। आपको मालूम है। संविधान आपको अख्तियार देता है कि अगर आप आज चाहें तो सदन की इजाजत से कोई बिल पास कर सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत थी आर्डिनेंस लाने की ?

बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो वह भी आर्डिनेंस के जरिये हुआ था, क्यों ? इसलिये कि अगर आर्डिनेंस न होता तो बैंकों से रुपया गायब हो जाता। आज तो उन बिलों को भी आर्डिनेंस द्वारा पास कर रहे हैं जिनको आप सदन में लाकर पास करा सकते थे। अगर आप इसी तरह से आर्डिनेंस ही जारी करते रहेंगे तो सदन की मर्यादा क्या होगी ? उस मोक्रटिक परम्परा का क्या होगा जिसे हमारे यहां अपनाया गया है ? आर्डिनेंस से उस मोक्रेटिक परम्परा पर आघात पहुंचता है। इंगलैण्ड में हैम्पडेन्स के केस में यह निर्णय हो गया था कि, "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन। आप जनता के प्रतिनिधि भी हैं और आप टक्स आर्डिनेस के जरिय लगायें तो फिर इस सदन की क्या जरूरत है और मुख्य मंत्री की इस सदन के प्रति क्या जिम्मेदारी रहेगी ? जिस तरह से यह आर्डिनेंस यहां पर लाया गया अगर वह कु रोज बाद इस सदन में पेश किया जाता तो क्या हर्ज हो जाता ? यह मेरी समझ में नहीं आता है। इससे आपकी जनवादी परम्परा तो कुछ कमजोर न हो जाती।

मुख्य मंत्री को यह अख्तियार है कि वह इसे इस सदन में बिल पास करा सकते थे। आप अपनी संविधान की बुनियाद को नहीं समझते हैं। संविधान में लिखा है कि 6 महीने में हम जरूर मिलेंगे। किसी आर्डिनेंस की अवधि 6 महीने से अधिक की नहीं हो सकती है। तो फिर मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का यकीन दिलाये कि कोई वह आर्डिनेंस नहीं लायगे और जो भी कानून उन्हें पास कराना होगा उसे सदन के माध्यम से ही पास करायेंगे। हमने बहुत से बिल पास किए हैं और इस सदन ने पास किए हैं। जो restrospectively लागू किये गये हैं। तो फिर क्या जरूरत है आर्डिनेंस लाने की ? आप देखें कि आर्डिनेंस के पीछे जो नीति होती है उस पर सड़कों पर विचार होता है। आज तो अफसोस इस बात का है कि सरकार और सदन के दरमियान खाई बहुत गहरी होती चली जा रहा है। आप आर्डिनेंस क्यों लाते हैं ? आपको वही आर्डिनेंस रखना चाहिये जिसके कारण सरकार का काम न चल सकता हो। कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर मिलिटरी शासन होना चाहिये। क्योंकि यहां पर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। यहां पर साबुन नहीं मिलता है, जरूरत की कोई चीज नहीं मिलती है, लकिन आप शराब जरूर देंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी बुनियादी वसूलों पर अपनी राय का इजहार करें और म चाहूंगा कि इस बात पर भी विचार करें कि अंग्रेजी शराब पर ड्यूटी इतनी बढ़ा दी जाये जिससे लोग उसे रिश्वत में न दे सकें।

श्री अध्यक्ष--

पांच-पांच मिनट बोल लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, पीने वाले को भी इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मैं पीने वालों को इजाजत नहीं देता ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मेरा खयाल तो यह था कि पीने वाले जरूर बोलें ।

श्री अम्मार रिजवी (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, यह माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो कहा कि किसी पीने वाले को बोलना चाहिये तो उनको पुराना तजुर्बा है कि कौन पीता है कौन नहीं पीता वही पहचान सकते हैं। मान्यवर, मैंने राम सेवक यादव की तकरीर सुनी। राम सेवक यादव जी ने जो शेर पढ़ा कि "हुकमन पिया करत" तो इसमें उनकी छिपी हुई ख्वाहिश करवटें ले रही है कि काश ऐसा होता कि पीने का हुकम होता तो सब पीते। हमारे गर्ग साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की। गर्ग साहब ने यह बताया कि इसकी कीमत जो बढ़ाई गई है यह गलत है। मैं जब उनकी बातें सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि गर्ग साहब का शराब पीने वालों के प्रति बड़ी ही हमदर्दी थी। उनका कहना था कि शराब की कीमतें बढ़ने से गरीब लोग शराब नहीं पी सकेंगे और जो पियेंगे उनके ऊपर भार अधिक बढ़ जायगा।

मान्यवर, माननीय सदस्यों की तकरीरों से मुझे ऐसा लगा कि शराब की कीमतें क्यों बढ़ीं? सवाल यह है कि एक तरफ नशाबन्दी की बातें की जाती हैं फिर अगर कीमतें बढ़ती हैं तो क्या परेशानी है? इससे इसका इस्तेमाल कम हो जायगा। जब शराब की कीमतें बढ़ेंगी तो इसको अन्य चीजों पर लगाया जायगा। तो इसमें आपको शिकायत नहीं होनी चाहिये। बल्कि यह कहना चाहिये कि और जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं वे सस्ती हों। आप लोगों की तकरीरों से ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि शराब की कीमतें सस्ती हों। उधर से यह भी सजेशन आया कि जितनी ब्रुअरीज हैं सबको नेशनालाइज कर देना चाहिये। तो मेरे ख्याल से यह बड़ा अच्छा सजेशन है। लेकिन अभी बहुत सी चीजें हैं उनको पहले नेशनालाइज कर लिया जाना चाहिये तब शराब को नेशनलाइज करने की बात की जाय। अभी यह भी बताया गया कि मोहन मीकिन में बहुत लीकेज बनते हैं और उनका एकाउन्ट फार नहीं होता है इसको सम्मानित सदस्य ही जान सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह शराब पर जो दाम बढ़ाया जायगा यह बहुत ही ठीक है। इससे शराब का इस्तेमाल लोग कम करेंगे। इन शब्दों के साथ हम लोग पूरा इस बात की ताईद करते हैं कि यह आर्डिनेंस जो है वह ठीक है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, अभी जिस विषय पर बहस चल रही है तो मैं देख रहा था कि शराब के मामले को लेकर इस सदन का माहौल कुछ बदल गया। मेरे दांई तरफ गांधी जी की तस्वीर है। यह तस्वीर राष्ट्रपिता के नाम से जानी जाती है। लेकिन मुझको सबसे ज्यादा इस बात का दुःख है कि माधव बाबू कह रहे थे कि शराब बंद कर दी जाय तो उसमें बहुगुणा साहब हंस रहे थे। मान्यवर, मेरे अन्दर कुछ जजबात हैं, उसका मैं इजहार करना चाहता हूं। मान्यवर, यह माहौल सदन का मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गरीब आदमी किसी बड़े आदमी के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिये हाथ जोड़े तो वह बड़ा आदमी हंसने लग जाय। तो उसी प्रकार से हमारे बहुगुणा जी इनके भाषण पर हंस रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि यह शराब के प्रति जो सरकार प्रोत्साहन दे रही है यह आगे आने वाली पीढ़ियों तथा उत्तर देश को बरबाद करना है।

मान्यवर, अगर कोई इस बात को कहे कि नवजवान लोग शराब पीकर घूम रहे हैं तो यह कहना गलत होगा। आज ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि लोग शराब पियें और मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं और यह सरकार को शायद बुरा भी लगे कि सरकार जो एक मजबूत पाया है जिन पावों पर यह सरकार टिकी है उनमें से एक मजबूत पाया शराब है तो अगर यह सरकार शराब पिलाना बंद कर द तो हो सकता है कि यह सरकार भी गिर जाय। आज कल यह देखा जाता है कि शराब की दूकानों का खोलने और बंद करने का कोई टाइम नहीं रहता है जब कि सारी दूकानों को बंद करने का टाइम 8 बजे रात है लेकिन शराब की दूकानों को 11–11 बजे रात तक खुला रखा जाता है। यह तो लीगल तरीके पर 11–11 बजे तक दूकाने खोली जाती हैं परन्तु गैर कानूनी तरीके से तो रात भर शराब की दूकानों को खुला रखा जाता है। यह कौन सा कानून है जो कि शराब की ूकानों को रात भर खोलने की इजाजत दी गई है? मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपको गांधी जी की भावनाओं का आदर करना है तो शराब की दूकानों को 8 बजे बंद कर दना चाहिय। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे नवजवानों की या मेरे जैसे विद्यार्थियों की पुरुषोत्तमदास ण्डन, महात्मा गांधी जैसे लोगों के प्रति श्रद्धा है तथा हम लोग उन भावनाओं का आदर करते हैं। इस देश की प्रगति गांधी जी के बताये हुये रास्ते पर ही हो सकती है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आप यह जो शराब का माहौल चला रहे हैं मैं हाथ जोड़ कर पूरी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर सवाल है। जब आपके देश का नौजवान जब गांधी जी के आदर्शों को छोड़कर, वह राष्ट्रीपता के उसूलों को छोड़कर वह शराब का सहारा ले लेगा तो आप अपने देश को बरबादी से बचा नहीं सकेंगे। आप यह जान जायेंगे कि गांधी जी का आदर्श कोई चीज है, आचार्य नरेन्द्र ेव कोई चीज हैं और हमारे महापुरुषों ने कुरबानियां की हैं। अगर आप इन सब को भूल जायंगे तो यह सोच लीजियेगा कि बी० के० डी० और संसोपा आदि लोग मोर्चे पर आ जायंगे। जिस प्रकार से शराबी को शराब नहीं मिलती है तो वह शराब पिलाने वालों पर भी हमला करता है। क्या आप चाहत हैं कि ये नौजवान लोग अपनी मर्यादाओं को छोड़ कर सड़क पर छुरे लेकर घूमा करें? तो एक दिन बहुगुणा जी तक तथा आपकी सरकार पर भी हमला होगा। मैं अन्त में हाथ जोड़कर कहता हूं कि शराब पिलाने की इस प्रथा को खत्म करें।

(श्री धर्मवीर के बुलाये जाने पर।)

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)––

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर जो जो संशोधन पेश किया गया है।····· श्रीमन्, मैं खड़ा हुआ लेकिन आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष––

वह तो हो गया, आप कृपया बैठें।

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)––

श्रीमन्, मैं अपने नौजवान साथी माननीय शतरुद्र प्रकाश की भावना का बड़ा आदर करता हूं। इस संबंध में हमारे वरिष्ट सदस्य, माननीय माधव बाबू ने संशोधन पेश किया और हमारी लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य जो वर्तमान विधान सभा के सदस्य, माननीय राम सेवक यादव ने उसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्म वीर]

अनुमोदन किया । सदन के अन्दर आज प्रश्न यह है कि प्रदेश में नशाबन्दी होनी चाहिये या नहीं । यह टैक्स जो बढ़ाया है वह गलत है या नहीं । जहां तक आप लोगों के विचारों को सुनने पर मेरी समझ में आया है वह टैक्स के बढ़ाने पर था । देश या प्रदेश म शराब बन्दी कैसे और किस प्रकार हो, इस पर आप लोगों ने विचार व्यक्त नहीं किए हैं । यह प्रश्न कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न एक राष्ट्रीय और सामाजिक प्रश्न है । यह प्रश्न कांग्रेस दल के सामने, या केवल माधव बाबू के दल के सामने नहीं है बल्कि सारे देश के सामने है । यह आज से नहीं बल्कि जब से स्वतंत्रता संग्राम आरम्भ हुआ तब से देश के सामने है कि नशाबंदी होनी चाहिए या नहीं । और इसके लिए बड़े-बड़े आन्दोलन हुए । बड़े-बड़े नेताओं ने जिन्होंने समाज को झकझोरा है, कहा कि इस देश में शराब बन्दी होनी चाहिये ।

स्वराज्य आया, उसके बाद सरकारें आयीं और बदलती गयीं । कांग्रेस दल की नहीं विरोधी पक्ष की भी सरकारों को आने का मौका मिला लेकिन किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुयी कि नशाबन्दी की घोषणा कर दें । इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न समझ कर ही सोचना पड़ेगा और तभी आप किसी निष्कर्ष पर आ पायेंगे । जिन-जिन प्रदेशों में कांग्रेस सरकार ने शराब बन्दी करने के लिये कदम उठाये हैं, जैसे बंबई में, गुजरात में, शराब बन्दी पूर्णतया डिक्लेयर की गयी, लेकिन समाज के अन्दर इतने ज्यादा अपराध बढ़ गये कि उसको पुनः वापस लेना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर विरोधी दलों के किसी प्रकार का सहयोग सरकार को दिया, नहीं दिया ? यह किसी विशेष दल का प्रश्न नहीं है, पूरे समाज और देश का प्रश्न है । मैं इसको नीति के आधार पर स्वीकार करूंगा कि इस देश में शराबबन्दी होनी चाहिए लेकिन इसके लिए कानून बना कर काम नहीं होने वाला है । इसके लिये पूरे समाज को तैयार करना होगा ।

समाजीकरण के बाद जितने भी विरोधी दलों के नेता यहां पर बैठे हुए हैं, इस प्रश्न को छोड़ दें और एक राष्ट्रीय मंच बना कर जिस प्रकार से आप नीतियों का सदन में विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, समाज में वातावरण तैयार क ि कि हम शराबबन्दी करना चाहते हैं । मेरे विचार में यह प्रश्न ऐसा है कि इसमें सारा देश और दल एक होंगे और जब आप पूरे प्रदेश में ऐसा वातावरण बना लेंगे तो हमारे मुख्य मंत्री जी जो प्रोग्रेसिव विचारों के हैं, सबसे पहले कदम उठायेंगे । दुकानों के बढ़ जाने से क्या शराबबन्दी खत्म होगी ? इसकी तो बहुत दलीलें हो सकती हैं । बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं । गंगा, जमुना नदियां बहती हैं उसमें कूद कर कोई आत्महत्या कर ले और कहे कि नदियां क्यों बहती हैं ? ऐसे ही शराबबन्दी वाली बात है । एक शेर कहा है किसी ने :—

'जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर,
या वह जगह बता दे जहां पर खुदा न हो ।'

तो उसने ऐसे ही कह दिया कि वह जगह बता कि जहां पर खुदा न हो । तो दूसरे ने जवाब दिया है कि—

'ऐ रिन्द ो शराब चाहे जहां बैठ कर,
दिल में खुदा नहीं तो कहीं भी खुदा नहीं ।'

अगर दिल में जो कि समाज है, हृदय है वह स्वीकार नहीं करता कि शराबबन्दी हो तो कानून बनने से या न बनने से फर्क नहीं आता है । मेरे साथियों, कोई अवसर आने दीजिये, हम इस देश का बड़ा उपकार करेंगे अगर हम समाज में ऐसा वातावरण तैयार कर सकें जिससे यह शराबबन्दी हो सके ।

जितना देश का नैतिक, चारित्रिक और शारीरिक पतन फैल रहा है उसका कारण है शराब । तो यह विधान सभा भंग करने से नहीं दूर होगा या शराबबन्दी करने से नहीं होगा या प्रदर्शन करने से दूर नहीं होगा । जो भी कुरीतियां हैं समाज की उनको हम सब मिलकर के तभी दूर कर सकेंगे जब समाज को हम तैयार करें । यह किसी वर्ग विशेष या राजनीतिक दल का

प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्रीय चुनौती है समाज को तैयार करने के लिए, प्रजातांत्रिक भूमिका अदा करने के लिए, स्वस्थ परम्परा लाने के लिए और दश को आगे ले जाने के लिए। उसके लिए समाज का निर्माण करना जरूरी है, तभी हम शराबबन्दी कर सकते हैं। केवल विरोध करके एक नशा हम ऐसा कर सकते हैं विरोधी दल वाला कि हम चाहे जो भी बिल लायें हम विरोध जरूर करेंगे। यह भी एक नशा है। हमें कदम से कदम मिला कर इस प्रदेश का निर्माण करना है, तमाम योजनाएं मुख्य मंत्री जी को लानी हैं, सड़कें, अस्पताल, कालेज, स्कूल खोलने हैं। तमाम जिम्मेदारियां हैं, उनको विरोधी दलों को भी वहन करना है। यह जनता की मांग है, आशा है कि इस प्रदेश की प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए आप इस बिल का समर्थन करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, आपको कितना समय चाहिए जवाब देने के लिए ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप जो कहेंगे वह हम मान जा ेंगे।

अध्यक्ष--

अच्छा 5 मिनट लीजियेगा।

माननीय ओम प्रकाश सिंह, आप दो मिनट में समाप्त करें। दो मिनट में बहुत अच्छी बात कह सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, आज जिस विधेयक पर इतनी चर्चा हुई, मैं सारी बातों को विस्तृत रूप में न बतला कर आज नशे के कारण जो देश की स्थिति है वह ऐसी बन रही है जो कभी बिगड़े हुए चीन और बिगड़े हुये फ्रांस की थी। यह नशा समाज को निष्क्रिय रूप से तीन वर्गों में विभाजित कर रहा है। एक तरफ इस नशे के कारण जिस तरह कि चीन के अफीमची अफीम के नशे में निष्क्रिय, अकर्मण्य हो गये थे, वही परिणाम आज देश के सामने है। एक वर्ग जो गरीब है वह नशे में अकर्मण्य हो गया है। अपनी मजबूरियों और तबाहियों को भुलाने के लिए वह नशे की शर लेता है और उसका परिणाम यह होता है कि वह अपने परिवार को नष्ट करता है, चरित्र को नष्ट करता है और गांधी जी के अनुसार अपनी आत्मा को नष्ट करता है। यह शराब शरीर और आत्मा, दोनों को नष्ट करती है। उसकी बहू-बेटियां अपनी आर्थिक अवस्था को बचाने के लिए इज्जत तक को बेचने के लिये मजबूर हो जाती हैं। आज यह सरकार पैसे के लिए देश को, प्रान्त को शराब नहीं, बल्कि विष पिलाने पर तयार है---केवल पैसे के लिए।

मैं कह रहा था कि एक तरफ शराब के नशे में एक गरीब वर्ग जोकि देश के निर्माण में हाथ बटा सकता है वह अकर्मण्य हो गया है, नशे में चूर है और दूसरी ओर आज समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जोकि अपराधों में संलग्न है, यह जांच रिपोर्ट के अनुसार हत्या करने वाला, छुरेबाजी और पिस्तौल बाजी से समाज को आतंकित किये हुए और बलात्कार और वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है। इस वर्ग के 90 प्रतिशत लोग कार्य करने से पहले शराब का सेवन करते हैं। शराब उनके लिये उत्तेजना और स्टिमुलेशन प्रदान करती है। तीसरा वह वर्ग है जिससे आज हर व्यक्ति बड़ी आशा रखता है।

जैसी कि फ्रान्स में स्थिति थी कि वह वर्ग अपना सारा समय क्लबों में बिताता था वही स्थिति आज हमारे नवयुवकों की हो रही है। दिल्ली और लखनऊ विश्वविद्यालयों की जांच रिपोर्ट है कि वहां 80 प्रतिशत लड़के और 10 प्रतिशत लड़कियां नियमित रूप से उसका सेवन करती हैं। यह देश के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक वर्ग अकर्मण्य हो गया है, दूसरा

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

नशे में दुष्कर्म करने के लिये तैयार है और तीसरा कर्महीन हो गया है । इस देश की क्या हालत होगी ? यह भगवान ही जाने या यह सरकार ही जानती है जो नशा पिलवाने में माहिर है । जो अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि शराब महंगी कर के नशा कम पिलाना चाहते हैं यह बिल्कुल गलत है । जितनी शराब की महंगाई बढ़ी है उतने ही अवैध अड्डे बढ़े हैं । इसलिये मैं तो इस मत का हूं कि अगर मुख्य मंत्री जी प्रदेश के लिये आये दिन श्रीमती गांधी की राय ले सकते हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि उस महापुरुष की बात वह मान लें जिस महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 25 जून, 1940 को कहा था कि यदि मुझे एक घंटे के लिये भारत का डिक्टेटर बना दिया जाय तो मेरा पहला काम होगा कि शराब की दुकानों को बिना मुआबिजा दिये बन्द करा दूंगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने आपके सम्मुख अपना संशोधन प्रस्तुत किया था उस पर हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । मेरा ध्यान विशेष कर सरकारी पक्ष की ओर था जो सरकारी नीतियों का प्रतिपादन करता है । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई अपने एक माननीय सदस्य द्वारा ऐसी स्थिति को प्रकाश में लाने के लिये और मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूं । सरकार की कदाचित् यह धारणा है कि अगर हम महंगी कर देंगे तो शराब खरीदी नहीं जायगी । दूसरी धारणा यह है कि विपत्ति दिन प्रति दिन उन पर बढ़ती जा रही है, जीवन दूभर हो रहा है तो पीने से वे भूल जायेंगे । यह दोनों बातें तार्किक नहीं है बल्कि वस्तुस्थिति से सम्बन्ध रखती हैं । सही बात है । मैंने एक किताब पढ़ी थी, 'कन्फ्रेशन्स आफ ऐन ओपियम टेकर" जिसमें उन्होंने कहा था कि अफीम बहुत से लोग इसलिये पीते हैं कि सांसारिक और पारिवारिक झंझटों से क्षणिक ही छुट्टी पा जायं । तो कारण तो आपका ठीक है लेकिन एक ऐसे प्रदेश में आप हैं जो ऐसे देश का एक टुकड़ा है, मैं दोहराऊंगा नहीं, जिसके निर्माता महात्मा गांधी जी थे जिनकी इच्छानुसार संविधान में इसको रोकने के लिये प्राविधान है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आपको यह मालूम नहीं है कि आज शराब की दुकानों के कारण भविष्य के हमारे कर्णधार, छात्र और छात्रायें भी पीने लगे हैं चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न कहा जाय ? यह सी० आई० डी० और सी० बी० आई० की रिपोर्ट है । क्या इससे भी बड़ा कन्डेमनेशन आपकी सरकार का हो सकता है । जो अभी खिले नहीं उनमें भी शराब पीने की प्रवृत्ति पैदा हो गयी । इसे आप कैसे रोकेंगे इस पर आप विचार करें । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं । मान्यवर, उन्होंने कह दिया कि मैं शराब इसलिये महंगी करना चाहता हूं ताकि गरीब इसको पी न पाये । क्या आप पढ़ते नहीं हैं, क्या आपकी आंखों से यह बात ओझल हो गयी है कि आज पीने वाले मौत की बाजी भी लगाकर पीते हैं दाम बढ़ जाने का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता । हमारे एक साथी ने अभी कहा है कि "साकी शराब पीने दे मसजिद में बठकर, या वह जगह बता कि जहां पर खुदा न हो" । आज जो पीने वाले हैं वह यह कहते हैं कि पीने के बाद इबादत भी बड़ी झूम-झूम के होती है । ताकि दृष्टि से आज अपने समाज को यहां तक पहुंचा दिया है कि वे यह सब कहने लगे हैं । सदन से बाहर समाज सुधार करने की बात आपने कही, हम भी सुधार के लिये तैयार हैं, मगर क्या हम इबादत भी झूम कर करेंगे ? आज समाज की यह स्थिति आपने पैदा कर दी है और सुधार की बात आप करते हैं । क्या समाज सुधार का यही एक तरीका है ? श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर. . . . (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

यह मेरा अधिकार है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं माननीय माधव बाबू से. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपका अधिकार है मगर यह तब पैदा होता है जब माननीय त्रिपाठी जी बैठ गये हों ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं अभी यह कह रहा था कि हमारे एक साथी ने सुझाव दिया कि सामाजिक सुधार करना चाहिये, मैं उसका जवाब दे रहा था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या समाजिक सुधार लाने में आप भी सहायक होंगे ? क्या उसका आपने यही तरीका निकाला है कि शराब को और अधिक सुस्वाद बना दिया जाय ? यह कौन सा ढंग है ? मैं कहता हूं कि आप भी जरा इस नशाबन्दी पर सोचिये। आपको प्लान के लिये रुपया चाहिये, तो क्या आप जीवन के साथ खिलवाड़ करके रुपया चाहते हैं ? चरित्र अगर नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, और यह शराब मनुष्य को चरित्रहीन बना देती है। इसी के कारण आज विद्यार्थियों के चरित्र में कितना गिरावट आयी है। क्या उनके चरित्र को उठाने का यही एक तरीका आपने सोचा है ? यह कैसी विडम्बना है ? एक ओर समाज को उठाने की बात करते हैं तो दूसरी ओर चरित्र को गिराने के साधन उत्पन्न करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो नैतिकता में विश्वास करता है आपको इस तरह के साधन उत्पन्न करने की सलाह नही दे सकता। इससे तो बेहतर यह है कि आप डकैतों से पैसा पैदा करें। मां-बहिनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होने से तो यह तरीका अच्छा है कि आप डकैतों पर टैक्स लगा दें। म आपसे विनम्र शब्दों में पूछना चाहता हू कि क्या इसका भी कोई औचित्य है देश को उठाने में ? मान्यवर, दूसरी बात मैं पूंछना चाहता हूं कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि गरीब कितना पीते हैं तो आप परमिट लगा दें। परमिट लगाने से गरीब की क्षमता मालूम हो जायेगी कि वह कितना पीता है। परमिट से पता लग जायगा कि अमीर कितना पीता है और गरीब तबका कितना पीता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

क्या करे ?

श्री अध्यक्ष--

इन्होंने कहा कि परमिट लगा दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आज शराब पीने वाले की हालत क्या है, वह सड़क पर पड़ा तड़पता है। शराब पीने के लिये वह अपना खून बेचता है। ब्लड बैंक में खून बेचता है, नशे के लिये। 6 महीने के बाद फिर खून बेचता है ताकि उसे पैसा मिले। यह है गरीब की नशा पीने की लत। शराब को महगा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज हर वर्ग में शराब की लत होती जा रही है। बड़े-बड़े लोगों में यह प्रवृत्ति तो वैसे ही ज्यादा है, मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लेना चाहता। आज गरीब में यह लत तेजी से फैल रही है। आप चाहे दार्शनिक रूप में देखिये, नीति के रूप में देखिये, चाहे समाजवादी दृष्टि से देखिये, समाज में नशे की लत बढ़ती जा रही है तो मान्यवर, शराब को महंगा करने से शराब बन्द नहीं होगी। लोग किसी न किसी तरह से कोई उपाय करके शराब अवश्य पियेंगे चाहे वे गरीब हों या बड़े लोग। तो मान्यवर, आप कोई अन्य तरीका निकालिये टैक्स लगाने से काम चलने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, मैं अनुग्रहीत हूं माननीय सदस्यों का कि उन्होंने इस छोटे से बिल में गागर में सागर भरने का प्रयास किया और कुछ हद तक जब तक बोलते रहे सफल प्रयास किया। गांधी जी से लेकर संविधान तक, आत्मा से लेकर परमात्मा तक, चरित्र से लेकर भविष्य तक, राष्ट्रीयकरण से लेकर समाजवाद तक, सब प्रश्नों को इस बिल के साथ ऐसा पिरोया कि एक बात तो स्पष्ट हो गयी कि सदन की वक्तृता, क्षमता असाधारण है और उसके लिये मैं

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

माननीय सदस्यों को हृदय से मुबारक बाद देता हूं । मान्यवर, और कोई आदमी बहस करता तो मुझे खास झगड़ा उसमें नहीं होता पर पेशे से वकील हैं और वाकये से बिल्कुल गफलत में हैं । पेशा तो ठीक दिल के द्वारा होता है । यह सिर्फ माधव बाबू का सवाल नहीं है हमारे गर्ग साहब उनसे भी आगे हैं । माधव बाबू निशाना बनाते रहते हैं । वह यह सोचते हैं कि उन्होंने आज तक हमको निशाना बनाया है । हम बहुत चाहते थे कि वह निशाना न बनें तो अच्छा हो ।

यह बिल संविद सरकार के जमाने में भी था । मैं सिर्फ अमेंडमेन्ट कर रहा हूं । मैंने कहां कहा है कि हम शराब को सुस्वाद बनायेंगे । पुराना क्लाज है । मैंने सिर्फ पुराने लफ्जों को रख दिया है । मैंने सिर्फ रेट बदलने के वास्ते कहा है । बड़ा जोर दिया गर्ग साहब ने । नये-नये आदमी हैं और जोर उनको देना ही चाहिये । यदि सदन में आये हैं तो उनको बोलना जरूर है । श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने शिकायत की कि विधेयक अप्रजातांत्रिक है । मान्यवर, मैं माफी चाहता हूं गर्ग जी से कि गांव में एक कहावत प्रचलित है--'सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद' कोई और बोलता तो ठीक था पर गुनाहों में लपटे होकर गुनाहों की चर्चा करना शोभा नहीं देता ।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक छोटी कहानी सुन लीजिये । सन् 1967-68 में संविद सरकार बनी । 3-4-67 को संविद सरकार आया और 25-2-68 को गायब हुई । लगभग 10 महीने चली । इतने समय के अन्दर सदन बठा कुल 43 दिन, महीना बीता 10, आर्डिनेन्स निकले 10--हर महीने एक । गुनाहगार पार्टी जिसने जनसंघ को साथ बिठाकर इज्जत दी । आज हमें सिखाने चले हैं माधव बाबू । गुनाहों से हाथ रगे हैं । इसके बाद संविद सरकार पुनः 17-2-70 को बनी और 2-10-70 को गायब हो गई । इसमें भी मुख्य मंत्री चौधरी साहब थे । इनकी सरकार 56 दिन तक चली । इस बीच आर्डिनेन्स 8 महीने में 15 निकले । इसके बाद टी0 एन0 सिंह की सरकार 18-10-70 में बनी और अप्रैल, 1971 में गायब हो गयी । इसमें बी0 के0 डी0 के लोग भी थे, श्री ऊदल भाई भी थे और माधव प्रसाद त्रिपाठी भी शायद मंत्री थे । एक मंत्री आबकारी, यदि मेरी याददाश्त गलत नहीं तो, श्री कल्याण सिंह जी भी थे और 6 महीने में 20 दिन असेम्बली बैठाई । कमाल किया प्रजातन्त्र का । यह प्रजातन्त्र कितना स्वतंत्र था इन सब के हाथों में और यह प्रजातंत्र कैसा फंसा हमारे साथ । सरकार चलाई 6 महीने, असेम्बली बैठी 16 दिन और आर्डीनेंस पास किये 4 दिन और जो शब्दावली और भाषा हमारे माधव बाबू को आती है, मुझे तो आती नहीं सुस्वाद, बगैरा, मैंने तो प्रयोग किया नहीं ।

मैं इस इतिहास में जाना नहीं चाहता कि कब बढ़ाया और शराब के बारे में क्या-क्या चर्चा हुई, वह पढ़कर मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता । मान्यवर, मैं सिर्फ दो निवेदन करना चहता हूं इस सदन में । हमारे लायक दोस्त प्रजातन्त्र की बात करते हैं, आर्डीनेंस क्यों लाये । मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने निश्चय किया कि सदन के निश्चय के मुताबिक हम यह नहीं करेंगे कि 30 दिन असेम्बली में बैठ कर भाग खड़े हों जब तक आप छुट्टी नहीं करेंगे तब तक हम बैठेंगे । देखते है सब किधर है । दूसरी बात में आपने कहा कि रिट्रो-स्पेक्टिवली टैक्स क्यों नहीं लगाया । जिस दिन से हमें लगाना था हमने लगाया ताकि पीने वाला और दूकानदार समझ जाय कि उसको कितना देना है । दूकानदार पीने वाले से पैसा तो मांगेगा नहीं कि उस दिन से बढ़ा है इसलिये आज तक का पैसा दो । मैं तो एडवोकेट नहीं हूं, लकिन इतना चाहता हूं कि टैक्स कभी रिट्रोस्पेटिवली नहीं लगाना चाहिये, यह एक रिट्रोगेटिव स्टेप होगा । जो हमारा आब्जेक्टिव था वह पूरा हो गया । अगर बोझ बढ़ेगा तो पीने वाले कम होंगे ।

गरीबों की बात कहीं गई । मैं कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ही कहूंगा कि इस शराब से लोग नहीं मर रहे हैं, बल्कि उस शराब से लोग मर रहे हैं जो घरों में खींची जाती है, जो इल्लीगल वाइन है, जो शराब में स्प्रिट पीते हैं, जिसे हमने और हमारी सरकार ने ऐसा रंग कर दिया कि पीने की गुंजाइश ही नहीं रही । वह हमारी ही सरकार थी जिसने पहले पहल यह कदम उठाया । अगर सचमुच शराबबन्दी की बात करते हैं तो हमें आर्थिक ढांचे बदलने की बात करना चाहिये । गले में फुरारी लगने से टांसिल नहीं ठीक होंगे, खराबी तो पेट में नहीं है ? संसार में कितने समाजवादी देश हैं जहां शराब बन्दी है ? क्या रूस में शराब बन्द है, या चीन में शराब बन्द है, या अमेरिका में शराब बन्द है, उसने एक बार प्रोहिबिशन किया भी, लेकिन फेल कर गये। गांधी जी की चर्चा हुई । मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी मरने के बाद तो याद आई । गांधी की बात तो हम तब से जानते हैं जब हमारा बचपना था । गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा विश्वास है और कांग्रेस के संविधान में उन्होंने यही लिखा । लेकिन इसका अर्थ यह है कि अहिंसा ही एक मात्र विश्वास है । मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं लेकिन यह माधवबाबू भी जानते हैं कि इस देश में शराब बन्द नहीं हो सकती है । यह वही देश है जहां वेदों में सोम रस और बनारस में गंगा के घाटों के किनारे भांग-बूटी चलती है । दीवाली, होली, दशहरे पर क्या होता है आप सभी जानते हैं । कोई शंकर जी का नाम लेकर पीता है तो कोई किसी और नाम को लेकर पीता है । मैं रामसेवक यादव और माधवबाबू की बात का समर्थन करता हूं कि शराब बन्द कराई जाय लेकिन क्या यह सम्भव है ? जब हम समझते हैं कि सम्भव नहीं है तो फिर हमको एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक आवश्यक कार्य से जा रहा हूं । मुख्य मंत्री जी कहीं यह न समझ लें कि मैं उनके भाषण से घबरा कर जा रहा हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आप पर मेरा पूरा भरोसा है । आप जहां भी जायेंगे अच्छा ही काम करेंगे सिवाय इसके कि जनसंघ में आपका रहना गलत है । मान्यवर, एक बात यह कही गयी है कि हमारे आब्जेक्टिव्ज साफ नहीं हैं । डायरेक्टिव प्रिन्सिपुल्स आफ स्टेट पालिसी में यह है कि राज्य के निरन्तर बढ़ने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिये हमारे क्या-क्या दायित्व हैं । क्या हम प्राहीबीशन पर पैसा नहीं खर्च करेंगे ? पांचवी प्लान में प्राहीबीशन के एक्सपेन्शन पर और ज्यादा खर्च करने वाले हैं । मद्रास में शराबबंदी हो गयी थी और राजा जी ने की थी लेकिन जब द्रविड़ मुन्नेत्र कगजम की सरकार आयी तो क्या हुआ । बम्बई में मोरार जी ने शराब बन्द कर दी थी तो वहां क्या हालत हुई ।

श्री राम सेवक यादव--

केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में दो कारखाने खुलेंगे तो जब सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाये जाते हैं तो इस चीज को और प्रोत्साहन मिलता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हमारे गर्ग साहब कह रहे थे कि बियर के काम को नेशनलाइज कर दो और दूसरी तरफ कह रहे थे कि दुकानें खुल रही हैं ठीक नहीं है । इस तरह के सारे सवाल हैं जिन पर हम सभी का दिमाग साफ नहीं है । हां, एक दूसरे को रब करने के लिए शराब के सवाल को इस्तेमाल करें तो ठीक नहीं है । मैं आपसे ग्री करता हूं कि एक तरफ तो हम कहें कि शराब के कारखाने सरकारी क्षेत्र में खोलेंगे और दूसरी तरफ कहें कि शराब बंदी करेंगे तो ये दो भाषाएं कैसे चलेंगी । वास्तविकता यह है कि सरकारी आज्ञाओं से शराबबंदी होना मुश्किल है । सरकार इसको प्रोत्साहन न दे ।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

किसी एक पूंजीपति के जरिए इस काम को कराये । बड़े-बड़े लोग हैं हमारी पार्टी में भी जो यह काम करते हैं । हम में से कुछ पीने वाले भी मिल सकते हैं । कोई बुरा मानने की बात है। शराब बंदी के लिए बड़े प्रयास किये गये लेकिन संसार में आजतक कोई सफल नहीं हुआ । हम यह कोशिश कर रहे हैं कि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच के बाहर हो और कम से कम लोगों की पहुंच में आये । यह जो हमारी भाषा है ऐक्ट में कि पैसा बढ़ा दिया तो मैं पढ़कर सुनाये देता हूं । जहां 1.75 पैसा था वहां दो रुपया लिख दिया है, जहां 20 पैसा था वहां 75 पैसा लिख दिया है । अगर अमेंडिंग बिल आये तो सारी भाषा लिखें लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने कहा यह तरीका ठीक नहीं है । इसके आखिर में इसमें पूरे-पूरे ऐक्ट की धारा दे रखी है । भाषा नयी नहीं है । शराब को सुस्वाद बनाने की कोई बात नहीं है । इसको बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं है । उत्तर प्रदेश की पर्स में इस बिल से कुछ बढ़ेगा नहीं ।

श्री राम सेवक यादव--

लाइसेंस देने से प्रोत्साहन तो बढ़ेगा ही ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने कुछ हद तक हमारी बात मान ली है । मैं भी उधर बैठ चुका हूं । विरोध में बैठकर इतनी उदारता रखना मुश्किल होता है । मैं आपकी उदारता के लिये अनुग्रहीत हूं ।

उत्तर प्रदेश में 57 दिन शराब की बिक्री नहीं होगी । यह तय हो गया है कि कोई नयी दूकान, स्कूल, हास्पिटल, पूजाघर, फैक्ट्री, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर, तहसील हेडक्वार्टर, न्यायालय, बाजार के किनारे आदि स्थानों में नहीं लगेगी । कहीं आपको पीकर लड़खड़ाने की गुन्जाइश नहीं है। गर्ग साहब को कम से कम यह अफसोस है कि मोहन इललीगल शराब बनाते हैं इसलिये उसको कवर करने के लिये इसको लाये हैं। कौन कितनी शराब बनायेगा इसकी कैपेसिटी गवर्नमेंट आफ इंडिया निर्धारित करती है । उत्तर प्रदेश सरकार कैपेसिटी का लाइसेंस नहीं देती । कैपेसिटी से ज्यादा बना रहे हैं तो कम्पनी ला में उसको प्रासीक्यूशन कर सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार वह भी नहीं कर सकती । हम तो सिर्फ यह काम कर सकते हैं कि जो बोतल निकलेगी, हर बोतल पर हम अपना टैक्स लगा लेंगे । अगर कपेसिटी से ज्यादा बना रहे हैं तो उसका फोरम राज्य सभा या केन्द्र सभा है । जब वहां से वारन्ट आयेगा और एक घंटे की देरी करेंगे, तो आप कह सकते हैं । कह दिया कि चीफ मिनिस्टर तो मोहन के दोस्त हैं । अच्छा किया, नाम ले लिया । किसी को नहीं छोड़ा शुरू से अब तक । लेकिन प्रश्न है कि किसके दोस्त हैं, किसके नहीं, इस पर सदन में क्यों बहस हो ? मैं तो कहता हूं कि मैं ट्रेड यूनियन का लीडर रहा हूं, मोहन के यहां । उसके बारे में आपको यहां कहने का अधिकार नहीं । वे कितनी शराब बनाते हैं, लेकिन पीता उनके यहां कोई नहीं । वे कैसे लोग हैं, ऊदल जी इसका पता लगा सकते हैं । उनसे जानकारी रखना कोई गुनाह नहीं है । अगर गुनाह हो तो यह सदन एक प्रस्ताव पास कर दे कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मोहन के साथ सम्पर्क स्थापित नहीं करेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

सवाल यह नहीं है । सवाल यह है कि सरकार की मदद के बगैर उनका उत्थान नहीं हुआ ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मैं इसको रिफ्यूज करता हूं । आई रिफ्यूज दि एलीगेशन विद आल दि इम्फेसिस ऐट माई कमान्ड इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मोहन के पूरे डेवलपमेंट और फाइनेन्सियल ग्रोन्थ में उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग रहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जिस उद्योग का लाइसेंस जिस व्यक्ति को, केन्द्रीय सरकार देगी, तो जब वह व्यक्ति लाइसेंस लेकर आयेगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें रुकावट नहीं डालेगी, क्योंकि हम लोगों के इम्प्लाइमेंट और रोजगार को नहीं बन्द कर सकते। लाइसेंस ज्यादा है या कम है, यह हमारी विजनेस नहीं है। इसके लिये हम चौकीदार नहीं हैं। इसके लिये चौकीदार केन्द्र सरकार मौजूद है। एक बात आपको बतला दूं। गांधी जी ने कहा कि एक दिन का डिक्टेटर बना दिया जाय तो वह शराब बन्द कर देंगे। उन्होंने बहुत कुछ कहा था और उसे किया भी। लेकिन हम लोग अपने जीवन में झांक कर देखें कि हम क्या कर सकते हैं। गांधी जी एक आदर्श हैं जिस तक पहुंचने के लिये अनन्त तक हमको चेष्टा करनी होगी।

एक बात यह कही गयी कि इस शराब की बढ़ती से समाज के बदलने में रुकावट डालने वाले हैं। हमारा इम्तिहान 4, 5 बातों से होता है जिनसे समझा जा सकता है कि हम क्या करने जा रहे हैं ? प्रदेशीय सरकारों को पूरे समाज को बदलने की शक्ति नहीं होती है। वे केवल दिशा उस ओर दे सकती हैं। हमारा इम्तिहान इन बातों से हो सकता है कि हम भूमिहीनों में भूमि वितरण करा सके या नहीं ? हमारा इम्तिहान इससे होगा कि जो अछूतों को सताया जाता है उनका सताया जाना हम बन्द करा सके या नहीं हमारी जो शक्ति है उसके अनुरूप हम उत्तर प्रदेश में समाजवाद ला सके अथवा नहीं। इसमें हमारा इम्तिहान नहीं है कि शराब पर हमने कितना टैक्स बढ़ा दिया। इससे अगर समाज बदल सकता है तो मैं शराब पर टक्स वापल लेने को तैयार हूं, गर्ग साहब इसको कर के दिखा दें। जो इज्जत इस छोटे से मासूम बिल को बख्शी गयी है उस इज्जत का यह हकदार नहीं था। इतना बोझ यह सहन नहीं कर सकेगा और टूट कर रह जायगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी अपील पर यह सदन ध्यान देगा। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि गंदी शराब बनाने वाले, भ्रष्टाचार फैलाने वाले, जो लोग जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिये यह सरकार कृत संकल्प है। माधव बाबू का जो प्रस्ताव है उसे यह सदन अस्वीकार करेगा और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री ए0सी0 ग्राइस (जिला कानपुर)--

कानपुर में मिलों के फाटक पर शराब की दूकानें खुली हुई हैं क्या उनको मुख्य मंत्री अपने आश्वासन के अनरूप बन्द करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

किसी मिल के फाटक के पास हो तो लिख कर भेजियेगा।

श्री तीरथराम कोहिली (जिला इलाहाबाद)--

मन्दिरों व गिरजाघरों के पास दूकानें खुली हुई हैं उनको क्या आप बन्द करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये भी वही जवाब है।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मेरे क्षेत्र में कन्या पाठशाला तथा मन्दिर के बराबर में शराब की दूकानें हैं। इंक्वायरी हुए महीनों हो गय। मैंने जिलाधीश को एप्लीकेशन दी थी लेकिन दूकान आज तक नहीं हटी।

श्री अध्यक्ष--

इसको लिख कर दे दीजिये। जवाब वह दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

एक सदस्य--

मान्यवर, सही कौन सा है ?

श्री अध्यक्ष--

यह मेरी और मेरे कार्यालय की गलती थी कि इसमें अनुमोदन शब्द लिखा गया था। मैंने उसे शुद्ध कर दिया था। अननुमोदन मैंने पढ़ा था। दोनों में अन्तर है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 को जनता की राय जानने हेतु एक माह तक जनता में परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

2--संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 28 में, उपधारा (3) में, खंड (बी) में, तालिका की मद संख्या 1, 2 और 3 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्--

"1--देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित .. 2 रुपए प्रति लीटर अल्कोहल अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)।

2--भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या . . 2 रुपए प्रति लीटर अलकोहल रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश्य मालूम हो (बियर को छोड़कर)।

3--भारत में यथासवित बियर 2 रुपये प्रति बल्क लीटर"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, 1974

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 खंड 3 तथा खंड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974†

*मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधन (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

इसमें मुख्य बात यही है कि अलकोहल इसमें जोड़ रहे हैं। इससे थोड़ा सा पैसा भी मिल जायेगा। इसी की व्यवस्था इसमें हम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस पर पूरे सदन का समर्थन प्राप्त होगा और इसको स्वीकार करेगा।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दे दे।

---

†6 जून, 1974 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन लाल कपूर]

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विधेयक के संबंध में किसी विशेष बात का उल्लेख न करते हुए केवल यही कहा है कि हम पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। अलकोहल को इसमें इन्क्लूड कर रहे हैं। मान्यवर, इसके पूर्वभी एक विधेयक आया था और उसी प्रकार का एक अध्यादेश लाकर दूसरा विधेयक लाया गया। एक लम्बी-चौड़ी लिस्ट संविद काल की थी।

यह उन्होंने सदन को स्पष्ट किया कि अध्यादेश लाना उचित है और मैं इसे कोई गलत काम करने के लिए नहीं लाया। श्रीमन, मैं आपके माध्यम से निवेदन यह करना चाहता हूं कि अध्यादेश उस समय पर लाना चाहिये जिस समय ऐसा करना बहुत ही आवश्यक हो और ऐसी स्थिति हो जिसमें आप बिना अध्यादेश के कोई काम न कर सकते हों। यह बिल केवल पैसा प्राप्त करने के लिए लाया गया और आपने विश्वास भी दिलाया है कि सदन की बैठक बहुत दिनों तक बुलाऊंगा। लेकिन यह पैसा प्राप्त करने का बिल इतना जरूरी नहीं था जिसे आप अध्यादेश के जरिये लायें। इन 15–20 दिनों में आपको बहुत रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार का एक तरीका बन गया है आवश्यकता इतनी अधिक हो या न हो, परन्तु अध्यादेश अवश्य लायेंगे। इसके द्वारा सरकार ने एक टैक्स लगाया और अब इसका एक विधेयक ला रही है। तो यह कहना कि संविद सरकार के काल में भी अध्यादेश लाये गये या अन्य सरकारों के समय में भी लाये गये, इसलिये मैं भी लाया, बिलकुल उचित नहीं है। यदि आप समझते थे कि यह गलत है तो आप इसे लाए ही क्यों ? क्या कोई गलत काम इसलिये किया जाये कि ऐसा गलत काम दूसरों ने भी किया है ? जब यह रुपया वसूल करने की बात है और यहां बजट अधिवेशन चल रहा है तो इसे उसी में सही रूप से लाना चाहिये था।

होशियारी यह है कि नारायण दत्त जी जा रहे हैं। मैं पिछली बार से देख रहा हूं कि जब बजट लाते हैं तो उसमें कोई टैक्स प्रपोजल नहीं लाते हैं, डिफीसिट का बजट केवल ले आते हैं। इस बार भी यही मालूम होता है। यह जो कर वृद्धि का आप प्रस्ताव लाए हैं, जिसे आप अध्यादेश के जरिये ले आये और जिसका अब विधेयक सामने है, यह प्रपोजल आपको बजट के प्रपोजल में लाना चाहिये था। अब आप अध्यादेश के जरिये क्यों लाये ? मैं समझता हूं, यह केवल धोखा मात्र है। बजट से आप बचकर यह प्रपोजल लाए ताकि कह सकें कि बजट में कोई टैक्स नहीं जोड़ा है। यह गलत बात है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में डीजल की अत्यधिक आवश्यकता है। खेती और उद्योग दोनों में उसकी आवश्यकता है। उद्योगों को अपनी आवश्यकता का डीजल नहीं मिल रहा है, परिणाम स्वरूप वे बन्द होने जा रहे हैं। इसकी वजह से किसान भी बहुत परेशान हैं। आज किसान को न बिजली मिल रही न स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को बिजली मिल रही है। एक तरफ आप बिजली नहीं दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि जनरेटर लगाओ और उससे बिजली पैदा करो, तो उसके लिये डीजल भी आप उसे नहीं दे रहे हैं। आपने प्रदेश की जनता को चक्की के दो पाटों के बीच पीस कर रख दिया है। एक तरफ चीजों का घोर अभाव है और दूसरी तरफ चीजें बेहद महंगी हैं। अलकोहल पर तो आपने एकदम 90 पैसे बढ़ा दिया है, उसी प्रकार से स्प्रिट पर बढ़ा दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यहां नयी सरकार आई तो उसने कहा कि हम गलत तरीके के लाइसेंस, स्प्रिट आदि के लाइसेंस कोटे या सस्ते गल्ले की दूकानें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं देंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि अनेकों कांग्रेस के सदस्य ऐसे हैं, जो इस प्रकार के गलत लाइसेंस, डीजल स्प्रिट के लाइसेंस या सस्ते गल्ले की दूकानें लिये हुए हैं। इस तरह से ये लाइसेंस डिवाइड हैं। छोटे-छोटे लाइसेंसीज हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि कोई फैक्टरी नहीं है, परन्तु स्प्रिट के लाइसेंस दिये जा रहे हैं। न आप चीजों की बढ़ोत्तरी कर पा

रहे हैं, आज इस समय में जब कि चारों तरफ से महंगाई बढ़ रही है, चीजों का अभाव है ऐसे समय में टैक्स का प्रपोजल लाये हैं । इसलिये आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति में सौंपा जाय । वहां पर सब चीज विचार करने के बाद अगर उपयुक्त हो तो लगाया जाय अन्यथा नहीं । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी प्रस्ताव पेश करने वाला था तो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव को मत पेश कीजिये लेकिन इसके उद्देश्य और कारण जो दिये हैं उसको देखें तो ऐसा लगता है कि डीजल आयल के ऊपर भी काफी टैक्स बढ़ा दिया है और पेट्रोल पर, मोटर स्प्रिट पर भी काफी बढ़ा दिया है। डीजल आयल का जहां तक संबंध है डीजल न मिलने से कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हो गया है। अगर डीजल पर इतना टैक्स लगाया गया तो इसका असर कृषि के उत्पादन पर भी पड़ेगा । एक बात दूसरी बात यह है कि अभी पिछले दिनों डीजल आयल की कीमत सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया । 76 पैसे पहले था, अब एक रुपये के लगभग डीजल की कीमत कर दी गयी है ।

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जल्दी जल्दी इस तरह कर लगा कर किसानों को परेशान करना, खेती की पैदावार को घटाना और रोड ट्रांसपोर्ट जिससे सामान इधर उधर आता जाता है उसको महंगा करना इस महंगाई का असर पूरी जनता के ऊपर पड़ेगा । डीजल आयल जितना महंगा होगा ट्रांसपोर्ट का किराया उतना महंगा होगा, डीजल जितना महंगा होगा कृषि की पैदावार घटेगी, नहीं तो उससे पैदावार की हुई चीजों का दाम बढ़ेगा । दूसरी बात । इसका उद्देश्य और कारण देखें (खंड 2 देखें) अभी तक अलकोहल की बिक्री पर संयोग था एक सज्जन अल्कोहल के बारे में माननीय नारायण दत्त जी के पास पहुंचे, मैं भी वहां उनसे मिलने पहुंच गया था । इनकी उनकी बातें हो रहीं थीं । वह चाहते थे कि इसके ऊपर से टैक्स, की छूट दी जाय और बात उनकी कुछ जायज थी क्योंकि उनकी दो फैक्टरियां इस सूबे में हैं । एक कुछ दवा का काम करती है। एक जगह उनके यहां शीरे से अलकोहल बनता है। वह चाहते थे कि हमारी फैक्टरी का अलकोहल उसको मिल जाय । मुख्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके उनको दे दिया । उसकी मुझे जानकारी हो गयी है । वह काम उन्होंने ठीक किया । उसी प्रसंग में एक बात आ गयी जिसका मैं जिक्र इस माननीय सदन के सामने करना चाहता हूं ।

माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने इसमें लिख भी दिया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सरकार की इतनी बड़ी गलती की वजह से 1939 का जो कराधान अधिनियम था, उसके अन्तर्गत अलकोहल पर टैक्स नहीं था । इतने दिनों तक सरकारें चलती रहीं, 1947 के बाद, संविद की सरकार थोड़े दिनों के लिये बनी लेकिन मुख्य तरीके से कांग्रेस की ही सरकारें इस प्रदेश में बनती रहीं और इतने दिनों तक अलकोहल के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया । यह बहुत बड़ी गलती हुई इस प्रदेश के आर्थिक ढांचे में, जो इससे पैसा आता, इसको छोड़ कर इस सरकार ने बहुत बड़ी गलती किया है । मुझे माननीय नारायण दत्त जी के यहां मालूम हुआ कि जो सज्जन अलकोहल की बात कह रहे थे और जिनकी फैक्टरी नई है उनको तीन वर्ष के लिए छूट दे दी जाय क्योंकि आपने बहुत सी फैक्टरियों को छूट दे रखी है। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं ।

दूसरी बात यह है कि अलकोहल के ऊपर जो टैक्स लग रहा है तो उससे दवा भी बनती है । अगर इस पर टैक्स लग जायेगा तो दवायें महंगी पड़ेंगी । लोगों को रोजमर्रा की दवायें महंगी मिलेंगी । इसके ऊपर महाराष्ट्र, मैसूर आदि सूबों में भी टैक्स लगा हुआ है । वहां टैक्स बहुत कम है लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा यानी 90 पैसे प्रति लीटर टैक्स लगाया जा

[श्री ऊदल]

रहा है। इसलिये दूसरे सूबों में टैक्स है उसको मंगा कर देखा जाय और फिर उस अनुपात से टैक्स लगा दें। कहीं टैक्स की सीमा बहुत ज्यादा न लगा दें जिससे दवाओं के प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा और महंगी मिलेंगी। बहुत से विधेयक ऐसे बनते हैं जिनमें व्याख्या की जाती है कि कुछ लोग उसकी परिधि में नहीं आते हैं लेकिन इसमें सारे लोगों को घसीटा जा रहा है। डीजल और मोटर स्प्रिट की आधे से ज्यादा सरकार खुद खरीददार है। इस टैक्स से किसानों पर असर पड़ने वाला है और ट्रांसपोर्ट का भी किराया काफी बढ़ जायेगा। इसलिये इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और किसानों को इससे बख्शा जाये।

दूसरा निवेदन यह है कि किसानों को डीजल मिलता नहीं है। किसानों को पंपिंग सेट्स और ट्रैक्टर्स के लिये जितनी जरूरत हो उतना डीजल दिया जाये। जिला अधिकारियों को आदेश दीजिये कि किसानों को समुचित तरीके से और उचित रेट पर डीजल दिलाने की व्यवस्था की जाये।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं डीजल और स्प्रिट वाले मामले पर ही बोल रहा हूं लेकिन अपनी बात साफ करने के लिए कहना चाहता हूं कि मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि यह सदन हमेशा 2 टुकड़ों में बंटा रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि मुख्य मंत्री जी में हिम्मत होती तो वह कहते कि वह शराब को खतम नहीं कर सकते हैं और उन्हें सूबे के लिये इतना रुपया चाहिए इसलिए कीमतें बढ़ा रहे हैं। चूंकि इस वक्त राजनैतिक पलटन और ब्यूरो-क्रेसी जो हर जगह पर कब्जा किये हुये हैं और शराब के बिना जी नहीं सकते हैं। यदि सिर्फ सरकार टैक्सों का बकाया वसूल ले और फक्टरियों द्वारा उत्पादन छिपाना बन्द हो जाय तो मैं समझता हूं कि स्प्रिट डीजल इन चीजों पर कीमत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा निवेदन है सरकार से कि वह इस बात का पता लगाये कि उत्तर प्रदेश में जितनी फैक्टरियां हैं चाहे वह स्प्रिट बनाने वाली हों या रबर बनाने वाली हों या अन्य कोई हों, वे सब अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग छिपा लेती हैं। सन् 1972 में सरकार की ओर से कुछ फैक्टरियों पर छापे मारे गये थे तो यह चीज सामने आई कि इन फैक्टरियों में तमाम कच्चा माल फालतू पड़ा हुआ है।

मेरठ में जो फैक्टरी है उसमें 12 हजार बोतलें जहां तक मुझे याद है, शराब की पकड़ी गयी। रिकार्ड्स में उसमें दिखाया नहीं गया। अगर जितनी चीज का उत्पादन किया जा रहा है उसका सही हिसाब रखा जाये तो कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एस0 वी0 डी0 सरकार में रहते हुए भी हम लोगों ने सरकार के खिलाफ आन्दोलन किया है तो यह न समझा जाये कि हमने एस0वी0डी0 सरकार को खुदा समझ रखा है। सवाल यह है कि बहुगुणा जी हों या हम।

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी मृदुभाषी हैं अच्छे तरीके से बोलते हैं और लोगों से ठीक तरीके से मिलते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि वह इस सरकार को चला ले जायेंगे, लेकिन मुझे खतरा है कि वह इस सरकार को चला पायेंगे यह सरकार ज्यादा दिन चली तो प्रदेश का भारी नुकसान हो जायेगा। मुख्य मंत्री जी को बहुत से समझौते करने पड़ेंगे जिन पर रुपया बकाया है और करने पड़ रहे हैं। जो लोग उत्पादन को छिपाते हैं उनसे समझौता करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि डीजल का जो मामला है, स्प्रिट का जो मामला है जो आम आदमी की जरूरत है उन पर रोज-रोज कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिये। अभी आपने किसानों पर हमला बोल दिया है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि किसानों को बगैर खाद व डीजल दिये हुए उसका गल्ला वसूल होता है। आप अनाज के दाम अपनी दम पर तय कर रहे हैं तो सरकार में यह भी दम होनी चाहिये कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके भी दाम तय करें और वह बढ़ने न पावें।

तभी इस प्रदेश की जनता यह समझ सकती है कि यह ईमानदार सरकार है, मिल मालिकों की नौकर और किसानों की दुश्मन नहीं है। जो इस तरह की बुनियादी चीजें हैं उनमें दल की निगाह से नहीं सोचा जाना चाहिये। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूं कि इस सूबे में जितने भी लाइसेंस मिले हैं उनमें 80 प्रतिशत राजनैतिक लोगों को मिले हैं अगर आप पता लगायें कि यह स्प्रिट कहां जाती है तो मालूम होगा कि 80 प्रतिशत स्प्रिट कच्ची और जहरीली शराब बनाने के लिए बेंच दी जाती है। तमाम जो शराब बनाने वाली फैक्टरियां हैं तो उन फैक्टरियों को नहीं बेंचा जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर अपने आचरण और कर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि वे अपने आचरण और कर्मों में परिवर्तन करें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी मैं अनुग्रहीत हूं माननीय सदस्य का खासकर मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि सदन में हमारे शायद सबसे नवजवान माननीय सदस्य मलिक जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी थोड़ी बहुत स्पष्टता के साथ कुछ कहने की चेष्टा की। मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि डीजल बनाने का हमारे यहां कोई कारखाना नहीं इसलिये उसकी कुल पदावार को घटाकर दिखाने का, छपाने का या पकड़ने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जहां तक अलकोहल का सवाल है वह जरूर है। हमारे यहां बनती है और उसमें उन्होंने कुछ किसी का नाम लिया। कद्र कांग्रेस की कौन करते हैं, कौन नहीं करते हैं मैं उस बात को गैर जरूरी समझता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने खुद कहा भले बुरे लोग सब जगह हैं तथा मिल-जुलकर भलाई बुराई को निकालने की कोशिश करें। स्प्रिट को इस्तेमाल जो कर रहे थे जिससे बहुत लोग मर रहे थे, पीने के लिए हाल में स्प्रिट, डिनेचर्ड स्प्रिट के साथ एक ऐसा रंग मिला दिया गया कि अब उसको कच्ची शराब बनाने के लिए इस्तमाल और प्रयोग वैज्ञानिकों ने कह दिया कि कर ही नहीं पायग और मान्यवर, वह इतनी उस स्प्रिट के दूकानदारों में बेचैनी हुई। हमने आते ही जब इस काम को किया तो बड़ा ही खमियाजा भी भोगना पड़ा। मैं अकेले में मलिक साहब को मिलकर बताऊंगा, क्योंकि आखिर इस नई पीढ़ी के मलिक साहब हैं जिन्हें कि आज क 10-15 साल बाद सारा बोझ उठाना है। मैं सदन में भलाई-बुराई की बात जो यहां उपस्थित नहीं हैं उनके बारे में कहना नहीं चाहता हूं उन्होंने ठीक कहा कि जो उपभोक्ता की वस्तुएं हैं उनके मूल्य कुछ कम हों तो फिर किसान क ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और जो उससे मिलने वाली चीज हैं उसको भी लेने में सरकार को हक होगा। यह आर्थिक प्रश्न है। इस छोट से बिल में सबको जवाब नहीं कर सकता हूं। अगर आपका आग्रह हो तो मैं बता देना चाहता हूं। हम विशेष सर्किल में, महंगाई में पड़ हुए हैं। एक ऐस चक्रव्यूह में फंस हुए हैं कि कहां से शुरू करें कि सस्ता हो। हम इसलिए करत हैं कि वे बे बुनियाद में हैं लेकिन हम पर चार्ज लगा कि हम बड़ किसानों के पक्ष में गेहूं का दाम 76 रुपये स 105 रुपया कर दिया, उपभोक्ता को किस दाम पर बचग, उन्ह और मंहगा मिलेगा।

मैं कुछ दिन पूर्व बम्बई गया था। वहां पर यहां के 6-7 लाख लोग रहते हैं। वह एक विशाल जन सभा थी, एक उत्तर प्रदेश के भाई न कहा कि यहां पर गल्ला बहुत महंगा मिलता है आप उत्तर प्रदेश स सामान आना क्यों नहीं खोलत। वहां पर बाजरा 4 ना 4 1/2 रुपया प्रति किलो बिक रहा था। उन्होंन यह भी कहा कि हम अपने मनीआर्डस भेजा करत हैं तो किस मुंह स माननीय नायक साहब से कहें। जहां सामान बनता है, कपड़ा बनता है, चीनी बनती है, वहां पर मजदूरों की महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, सरकारी कर्मचारी जो हैं, पिछले एक वष में कितनी महंगाई उन्ह दी है, उसे वित्त मंत्री अपन भाषण में बतायेंगे,

में अभी नहीं कह सकता हूं। महंगाई किन चीजों पर बेस करती है, भोजन पर। एक जगह शुरू करना होगा तो नीव के पत्थर पर बोझ पड़ेगा। मैं और आप कहां चाहते हैं कि उन पर बोझ पड़े लेकिन किसान नीव का पत्थर है, वह बुनियादी चीजें पैदा करता है।

मैं आपकी बात को हृदय स्पर्शी मान कर उत्तर दे रहा हूं। हम किसानों को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं लेकिन बदकिस्मती यह है कि शुरू कहां से करें। जहां तक चोर बाजारी और जमाखोरी का संबंध है वैसे तो खाद्य मंत्री जी का वक्तव्य हुआ था। उसमें हमने एक टेबिल लगा दिया था कि 6 महीने में किन किन लोगों को सजा दी, सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि व्यापारियों को भी। दफा 420 के मुकदमें भी कायम कर रहे हैं कि तुमने कर्मचारियों को डिफ्राड किया है। मैं दावा तो नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश की शक्ल बदल दूंगा, शराब-बन्दी हो जायगी, लोग सारे सामान के सही आंकड़े देने शुरू कर देंगे। मैं खुद बहुत परेशानी में हूं।

मैं सारी इंडस्ट्रीज पर चार्ज नहीं लगाता हूं। रुहाना कलां की मिल बन्द थी। इस साल हमने उसे ली लेकिन उसकी रिकवरी पश्चिमी जिलों में सबसे हाइयेस्ट है। अब यह समझ में नहीं आता है कि पारसाल तक उसकी हाइयेस्ट रिकवरी क्यों नहीं थी। यह भी समझ में नहीं आता कि क्या गड़बड़ी थी। मेरे हृदय में दर्द है कि चीनी उद्योग क्या ऐसे ही चल रहा है तो फिर हम कहां जा रहे हैं। चाहे सरकार मलिक साहब की बने खतरा पैदा नहीं होगा। खतरा पैदा तभी होगा जब गलत नीतियां चलेंगी। मैं भी उधर बैठता था। जिम्मेदारी ऐसे नौजवानों पर आ रही है और उसी तैयारी में कमजोरी आ जायगी अगर ये मन में कोई ऐसी बात सोचने लगेंगे। कपूर साहब ने ऐसा कहा था कि कांग्रेसियों के पास दुकानें हैं, ये न हों अब जनसंघ के पास हों, कांग्रेस के पास हों या कोड आफ कंडक्ट हाउस बनावें— सब पार्टियों को छोड़ दें, मैं नेता विरोधी दल के ऊपर इस आचरण संहिता को बनाने की अपनी तरफ से जिम्मेदारी देता हूं, वह बना दें और सब विरोधी दल उसे स्वीकार करें। मेरी तरफ से परमिट के संबंध में, लाइसेंस के संबंध में शराब का ठेका लेने के संबंध में, अफीम-गांजे के संबंध में बना दें, मैं उस आचरण संहिता को अपने दल की तरफ से स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन कठिनाई यह है कि क्या करेंगे मलिक और क्या करूंगा मैं और क्या करेंगे कपूर साहब? मोर नाचेगा, पैर देखेगा तो रोयेगा जरूर, कपूर साहब भी जब नाचते होंगे और पैर कच्चा दीखता होगा तो रोते होंगे। हर एक के दिल में दुखता होगा। मुझे खुशी है कि उनके मन में यह भाव है।

एक बात कही गयी, ऊदल जी ने कहा, कि पावर अलकोहल 1939 से नहीं लगाया, अब लगाया है। तो बात सत्य है कि पहले नहीं लगाया था। लिख कर भी दिया था कई उद्योगों को कि आप लगाइये हम इसे नहीं लगायेंगे—पूर्व सरकारों ने कभी लगाया हो। हमारे पास माननीय संसद के कई सदस्य आये--मैं दलों का नाम नहीं लेना चाहता और वाजिब भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जो इस इंडस्ट्री पर कर रहे हैं, कातानगंज में इसकी एक शाख है, एक ही कम्पनी के तमाम उद्योग हैं। वित्त विभाग ने कहा कि इस ऐक्ट में यह आता ही नहीं है। इस बिल में हम आप लगा नहीं सकते हैं, कैपिटेशन प्लांट पर जो बनता है, नहीं लगा सकते।

श्री ऊदल—

मैंने तो इसके लिये आपको धन्यवाद दिया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस धन्यवाद के लिये आपको धन्यवाद। अब रह गया इसका कि क्या हो, क्या न हो, तो आपके विचार ध्यान में रखेंगे और भी विचार कर लिया जाय।

रहा यह कि किसान को डीजल नहीं मिल रहा है या कमी है तो मैं स्वीकार करता हूं कि कमी है । मिट्टी के तेल का ठीक कहते हैं कि 58,000 किलो लीटर हमको मिलना चाहिये, मैं मानता हूं । वर्मा साहब कहते हैं कि हम 18 हजार से ज्यादा नहीं दे सकते । वर्मा साहब खुद तो तेल बना नहीं सकते, शतरुद्र प्रकाश को बना दें उनकी जगह तो उन्हें भी कुछ ढूंढना पड़ेगा । अरब कंट्रीज देंगे ? वह तो ईराक दे रहा है, हमारा मित्र कंट्री है, वह थोड़ा देता है ।

मैं सदन का समय इस व्यापक बहस में नहीं खोना चाहता । बड़े व्यापक सवाल सदन के सामने उपस्थित होने वाले हैं । मिट्टी के तेल और डीजल की सप्लाई बाहर की सप्लाई के उपर निर्भर करती है । किसी भी सरकार को, अगर सख्त सरकार होगी तो चोर-बाजारी कम रहेगी, दाम में घटा-बढ़ी में कमी रहेगी । मैं मानता हूं कि हम इसमें पूरी तरह सफल नहीं रहे । मैं उनमें से नही हूं कि मैं कहूं कि इस समस्या पर पूरी तरह से काबिज हो गया हूं । मैं मानता हूं कि कमजोरियां हैं और उनको दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और यह भी निवेदन करता हूं कि इस प्रयास की झांकी आपको अलग-अलग तरह से अलग अलग जगह मिल सकती है ।

एक बात कह कर समाप्त करूंगा । मलिक साहब का ख्याल है कि किसानों को गल्ला वसूली में तंग कर रहे हैं । मैं बतलाना चाहता हूं कि जहां पर भी गल्ला लिया है अधिकारी जिसके दरवाजे पर भी पहुंचे हैं तो उस किसान ने शरबत पिलाया है और कहा कि गल्ला लेने आये हो ले जाओ । एक भी जगह पुलिस का प्रयोग सख्ती और झगड़ा कहीं नहीं करना पड़ा ।

(विरोधी दलों से व्यवधान)

मैं बी0बी0 सिंह की बात मान लूंगा । अबतक जो जानकारी है, मैं अपनी जानकारी दे रहा हूं । शतरुद्र प्रकाश जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के विरोधी दल में इतने अच्छे लोग चुनकर आये हैं कि हमारी भूल अगर कल हुई है तो आज जरूर याद दिलायेंगे । मैं अपने विरोधी दल को ढीला नहीं मानता । हमारे प्रदेश का विरोधी दल इतना सतर्क और सचेष्ट है कि वह हर समय जागरूक रहता है, वरना उसकी बदनामी हो जायगी अगर कहीं गड़बड़ी वसूली में हुई होती तो न जाने कितने काल-अटेंशन नोटिस आ जाते। मैं जानता हूं कि आपने नहीं दिया है तो आचार-संहिता आपने कायम रखी है और सत्यता यह है कि ऐसा कहीं हुआ भी नहीं ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

एक इसमें गलती हो गयी है । विधेयक के दूसरे पृष्ट पर जहां निरसन तथा अपवाद है वहां "11" लिख दिया जाय और "10" के नीचे "11" को काट दिया जाय। यह भूल है छापे की ।

श्री ऊदल—

किसानों के लिए तो इसमें कुछ छूट कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5

उत्तर प्रदेश अधिनियम के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2—संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक में शब्द "मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल" के स्थान पर शब्द "मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल" रख दिये जायें।

प्रस्तावना का संशोधन

3—मूल अधिनियम की प्रस्तावना में शब्द "मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल" के स्थान पर शब्द "मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल" रख दिये जायें।

धारा 1 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 1 में उपधारा (1) में, शब्द "मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल" के स्थान पर शब्द "मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल" रख दिये जायें।

धारा 2 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 2 में—

(1) खंड (ककक) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जाय, अर्थात्:—

"(कककक) 'अलकोहल' का तात्पर्य उस एथाइल अलकोहल से है जो माननीय उपभोग के लिये अलकोहलिक शराब न हो, और इसके अन्तर्गत शोधित स्प्रिट तथा एब्सोल्यूट अलकोहल भी है।"

(2) खंड (ग) तथा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायें, अर्थात्—

"(ग) 'व्यापारी' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ से है जो कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य किसी प्रतिफल के लिये मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल या उनमें से दो अथवा उससे अधिक के क्रय-विक्रय, सम्भरण या वितरण का व्यापार करता हो और इसके अन्तर्गत कोई फर्म अथवा हिन्दू संयुक्त परिवार तथा ऐसी कोई सोसायटी या क्लब अथवा व्यक्तियों का अन्य कोई संघ, जो अपने सदस्यों को मोटर स्प्रिट, डीजल आयल अथवा अलकोहल बेंचती है, भी है, और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार का ऐसा विभाग भी है जो ऐसा व्यापार करता हो:

(घ) अपने व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित 'बिक्री' का तात्पर्य किसी व्यापारी द्वारा नकद या आस्थगित भुगतान के लिये अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल या तीनों ही के अन्तरण से है, और इसके अन्तर्गत किसी सोसायटी या क्लब अथवा व्यक्तियों के अन्य किसी संघ द्वारा अपने सदस्यों को मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल या उनमें से दो अथवा उससे अधिक का अन्तरण भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत बंधक, आडमान भार या गिरवी नहीं है।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4 और 5 विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 6

धारा 3 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्--

"(1) राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल की प्रथम बिक्री पर मोटर स्प्रिट की दशा में 25 पैसे प्रति लीटर से अनधिक, डीजल आयल की दशा में 10 पैसे प्रति लीटर से अनधिक तथा अलकोहल की दशा में 90 पैसे प्रति लीटर से अनधिक ऐसी दर या दरों से जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, कर आरोपित किया जायगा और ऐसे कर का भुगतान ऐसी प्रथम बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा, नियत रीति से किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी द्वारा मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल की कोई बिक्री जो उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट या डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य में उसकी प्रथम बिक्री हो, इस बात के होते हुए भी कि वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व राज्य के भीतर बिक्री के किसी अन्य संव्यवहार का विषय रही हो, इस उपधारा के प्रयोजनार्थ राज्य में उसकी प्रथम बिक्री समझी जायगी।"

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि (1) खंड 6 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) की दूसरी पंक्ति में अंक "25" की जगह अंक "8" तथा अंक "10" की जगह अंक "5" कर दिया जाय।

(2) खंड 6 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम बिक्री वाले से रिटेलर को माल देते समय बिक्री-कर से एक प्रतिशत की छूट माल छीजन हो जाने के कारण दी जाया करेगी।"

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि यह जो विधेयक मुख्य मंत्री जी ने आपके सामने रखा है उसमें कितनी आमदनी इससे उत्तर प्रदेश सरकार को होगी इसके बारे में बिल्कुल मौन रहे । जो आंकड़े मुझको एक जिले से प्राप्त हुए हैं उनसे मैंने इससे 52 करोड़ की आय जोड़ी है । केवल इलाहाबाद जिले में जो मोटर स्प्रिट मई में बिकी है वह 1,215 किलो लीटर और डीजल के0एस0 डी0 आयल 6,227 किलो लीटर, एल0डी0ओ0 1,176 किलो लीटर और एस0के0 ओ0 4,000 किलो लीटर है । यह केवल एक जिले के आंकड़े हैं । बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां पर इसकी खपत बहुत कम है और कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां इसकी खपत ज्यादा है । लेकिन इन सब आंकड़ों को जोड़ने के बाद मेरा अन्दाजा 52 करोड़ रुपये का आता है न टैक्सेशन के हिसाब से । इसमें गलती नहीं होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

भगवान आपके मुंह में घी-शक्कर रखे ।

श्री तीरथ राम कोहली--

यदि ये आंकड़े सही हैं तो यह उत्तर प्रदेश के जनता के ऊपर एक भारी कर होगा।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

आप अपने पेट्रोल पंप के हिसाब से 52 करोड़ बता रहे हैं?

श्री तीरथ राम कोहली--

आप कृपया बैठे रहिये । आप इसे गलत साबित करिये । मैं यह 52 करोड़ का कर दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं । पहला हिस्सा पेट्रोल है । पेट्रोल से हमारे आंकड़ों के अनुसार 11 करोड़ की आमदनी सरकार को होगी और इस 11 करोड़ में मेरा ऐसा अन्दाजा है कि 75 प्रतिशत कर सरकार को अपने पास से ही देना पड़ेगा। सरकारी गाड़ियों में जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसके ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ा है। 75 प्रतिशत इस कर को अगर आप निकाल दें तो जनता पर हो 3 करोड़ के ऊपर कर लगेगा केवल मोटर स्प्रिट पर । जो मोटर साइकिल और स्कूटर चलाते हैं उन पर ही यह बोझ पड़ेगा । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि 25 पैसे का जो नया कर आप लगाने जा रहे हैं उसकी जगह आप 8 पैसे कर दें ।

इसी प्रकार डीजल से 33 करोड़ रुपये की आमदनी होगी । मेरा अनुरोध है कि इस कर को 10 पैसे के स्थान पर 5 पैसे कर दिये जायं । आज किसान को अपनी उपज बढ़ाने के लिए डीजल चाहिये, मिट्टी का तेल चाहिये । अगर यह टैक्स 5 पैसे कर दिया जायेगा तो गरीब जनता का अधिक कष्ट नहीं होगा और सरकार के लिए भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने पायेगा। आज किसानों को बिजली मिल नहीं रही है। उनको मिट्टी का तेल चाहिये । इसलिये मिट्टी के तेल पर कम होना चाहिये।

बहुत से कारखाने वाले जिनको बिजली नहीं मिल रही है अपना जेनरेटर लगाकर किसी तरह से खुद बिजली पैदा करके काम चला रहे हैं। इसलिये उनके ऊपर अगर किसी तरह का कर लगाया जाता है तो यह उनके साथ बड़ा अन्याय है । मेरी प्रार्थना है कि उनके इस्तेमाल आने वाले तेल पर भी 10 पैसे के स्थान पर 5 पैसा का कर दिया जाय ।

पहले यह टैक्स रिटेलर पर लगता था । अब यह टैक्स पहली बिक्री पर लगेगा । इससे मुझे यह डर है कि आगे चल कर इसके दाम और बढ़ जायेंगे । पहले रिटेलर को वन परसेंट की छूट मिलती थी जो तेल उसका बेचने में उड़ जाता था । अब यह छूट नहीं मिलेगी । इससे भी रिटेलर का नुकसान होगा । मेरा निवेदन है कि यह छूट भी मिलना चाहिये ।

अंत में मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह सदन मेरे द्वारा रखे गये सभी संशोधनों को स्वीकार करे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, माननीय तीरथराम कोहली जी ने जो हिसाब सदन के सामने रखा मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं । हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार करीब 7 करोड़ की आय हमको होगी । मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर यह टैक्स की रकम 52 करोड़ होगी तो साल के अन्त में वे जो भी सजा मेरे लिये मुकर्रर करेंगे मुझे वह स्वीकार होगी । हम दोनों ही यहां होंगे । 52 करोड़ क्या अगर कुछ कम भी इससे होगी तो

भी जो सजा वे मुकर्रर करेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा । मुझे अफसोस है कि मैं उनके किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता । आशा है माननीय सदस्य मेरी बात को मान लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 6 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) की दूसरी पंक्ति में अंक "25" की जगह अंक "8" तथा अंक "10" की जगह अंक "5" कर दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 6 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम बिक्री वाले से रिटेलर को माल देते समय बिक्री कर से एक प्रतिशत की छूट माल छीजन हो जाने के कारण दी जाया करेगी ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 7 से 11

7--मूल अधिनियम की धारा 5 में उसकी उपधारा (1) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारायें क्रमशः रख दी जायें, अर्थात्--

धारा 5 का संशोधन

"(1) प्रत्येक व्यापारी उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के प्रारम्भ होने के तीन मास के भीतर अथवा यदि वह उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी स्थान पर अपना व्यापार आरम्भ करता है तो व्यापारी के रूप में अपना व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व नियत प्राधिकारी को नियत रीति से आवेदन-पत्र देकर व्यापारी के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा, और इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय, उसे एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा धारा 9 के अधीन सशक्त किया गया कोई अधिकारी किसी व्यापारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इंकार कर सकता है यदि उसने ऐसे व्यापारी को पहले से प्रदान किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को पहले ही रद्द कर दिया हो या उसका नवीकरण करने से इंकार कर दिया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उक्त आध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी को स्वीकृत कोई रजिस्ट्रीकरण-पत्र, इससे पूर्व, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रवृत्त बना रहेगा और उस अवधि के लिए जिसके हेतु वह स्वीकृत किया गया हो, विधिमान्य होगा ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिये अथवा उसके अंश के लिए 500 रु0 से अनधिक ऐसी फीस का जो नियत की जाय, भुगतान करने पर प्रदान अथवा नवीकृत किया जायगा ।"

धारा 10 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में शब्द "मोटर स्प्रिट या डीजल आयल" और शब्द "मोटर स्प्रिट अथवा डीजल आयल" जहां-जहां प्रयुक्त हुए हों, के स्थान पर शब्द, "मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल" रख दिये जायें ।

धारा 11 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 11 में शब्द "मोटर स्प्रिट अथवा डीजल आयल, के स्थान पर शब्द "मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल" रख दिये जायें ।

धारा 17 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, खंड (घ) तथा (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायें, अर्थात्

11—"(घ) मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल या उनमें से दो अथवा उससे अधिक के व्यापारियों द्वारा रखी जाने वाली विवरणियों के ब्योरे, तथा प्रपत्र, उन्हें सत्यापित किये जाने की रीति, वह समय जब तथा वह प्राधिकारी जिसे ऐसी विवरणियां प्रस्तुत की जायेंगी तथा उनकी समस्त ऐसी अन्य शर्तें जो आवश्यक हों, नियत करने के लिए,

(ङ) मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल की बिक्री के विनियमन की, कर के निर्धारण की तथा भुगतान की अपेक्षा करने के लिए नोटिसों को जारी करने की और भुगतान न किये गये कर की वसूली की व्यवस्था करने के लिये"

निरसन तथा अपवाद

(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधन (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9, 1974

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायेगा, मानो यह अधिनियम सारवान समयों पर प्रवृत्त था ।

श्री तीरथ राम कोहली—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड 7 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द 3 के स्थान पर शब्द 'एक' कर दिया जाय ।"

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7 में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "एक" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृति हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 7, 8, 9, 10 तथा 11 इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 9 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974

संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का उत्तर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम 1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में बिजली की कमी एवं कटौती के सम्बन्ध में चर्चा

(श्री राजमंगल पांडेय के खड़े होने पर कई सदस्यों द्वारा वक्तव्य की प्रतिलिपियों की मांग होने पर)

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य की प्रतियां नहीं हैं । वक्तव्य की प्रतियां उपलब्ध होने पर वक्तव्य के समय वितरित की जाती हैं । जब हम कोई वक्तव्य स्वीकार करते हैं तो उसकी प्रतियां हमको पहले मिल जायं जिससे कि उसकी प्रतियां सबको हम बांट दें । परन्तु अभी इसकी व्यवस्था नहीं हो पायी है क्योंकि हमारे पास अभी अपना छापाखाना नहीं है ।

प्रदेश में बिजली की कमी एवं कटौती से उत्पन्न समस्या पर चर्चा

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

1—प्रदेश में इस समय विद्युत की कुल मांग लगभग 1700 मे0 वा0 है जबकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की विद्युत जनन की क्षमता निम्नलिखित है:—

	मे0 वा0
हाइडिल	600.35
थर्मल	851.00
डीजल	2.2
योग ..	1453.55

(विवरण संलग्न है)

निम्नलिखित कारणों से 1453.55 मे0 वा0 पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है:—

क—बहुत ही कम वर्षा होने के कारण रिहन्द जलाशय का जलस्तर 1973 के मानसून के अंत में 834 फीट था जबकि उसका पूर्ण जलस्तर 880 फीट है। 1972 के मानसून में रिहन्द का जल स्तर 863 फीट था। रिहन्द जलाशय को 830 फीट के नीचे नहीं चलाना चाहिये और इस प्रकार (834—830-4 फीट) केवल 4 फीट ही पिछले मानसून में इसे चलाने के लिये उपलब्ध था। इस प्रकार रिहन्द पर 300 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता और ओबरा हाइडिल पर 99 मे0 वा0 की अधिष्ठापित क्षमता जिसका योग 399 मे0 वा0 होता है लगभग शून्य के बराबर हो गया।

ख—गंगा, शारदा और यमुना नदियों पर बने विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 171.35 मे0 वा0 है किन्तु शरद एवं ग्रीष्म ऋतुओं में पानी कम आने के कारण इसकी क्षमता केवल 75 मे0 वा0 ही रह गई है। रिहन्द और माताटीला से करीब 25 मे0 वा0 जल विद्युत मिलती है। इस प्रकार कुल 100 मे0 वा0 जल विद्युत स्रोतों से मिलती है जबकि क्षमता 600 मे0 वा0 है।

ग—ओबरा थर्मल पावर हाउस एक्सटेन्शन—1 पर बी0 एच0 ई0 एल0 द्वारा 100 मे0 वा0 की 3 संयंत्रों की पूर्ति होनी थी किन्तु केवल एक ही मशीन की पूर्ति की गई जिसको अक्तूबर 1973 तक चलाया जा सका जब कि उस समय तक तीनों मशीनों की पूर्ति हो जानी चाहिये थी। बी0 एच0 ई0 एल0 द्वारा इन संयंत्रों की पूर्ति कराने में दो वर्ष का विलम्ब हुआ।

घ—सर्वश्री बी0 एच0 ई0 एल0 ने 55 मे0 वा0 के दो सेटों की हरदुआगंज में पूर्ति की थी जिसमें से एक सेट डिजाइन तथा निर्माण में त्रुटि होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। इस सेट को पैक कर दिया गया है और रेल द्वारा हैदराबाद भेजा जा रहा है।

च—चूंकि हाइडिल पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की दशा में कुछ कर सकना सम्भव न था इसलिये यह आवश्यक हो गया था कि जितने थर्मल पावर स्टेशन हैं उनको पूर्ण क्षमता से चलाया जाय। थर्मल डीजल सेटों की अधिष्ठापित क्षमता 853.2 मे0 वा0 है। एक 55 मे0 वा0 का सेट क्षतिग्रस्त हो गया है और लगभग 45 मे0 वा0 के सेट्स जो छोटे थर्मल पावर स्टेशनों पर स्थित हैं उनकी रोटेशन से मरम्मत की जाती रहती है तथा उनके कंडेन्सरों की सफाई इत्यादि की जाती है। इस समय 853.2 मे0 वा0 में से 753.2 मे0 वा0 विद्युत उपलब्ध है और इस प्रकार 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता की विद्युत उपलब्ध है।

2—इस प्रकार प्रदेश में इस समय 853 मे0 वा0 विद्युत उपलब्ध है (753.2 मे0 वा0 थर्मल तथा 100 मे0 वा0 हाइडिल)। इस प्रकार से 1700-853-847 मे0 वा0 की कमी है। केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत मंत्री से बातचीत के फलस्वरूप हमें 75 मे0 वा0 विद्युत बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन से प्राप्त हुआ और 75 मे0 वा0 मध्य प्रदेश तथा कोटा एटोमिक पावर स्टेशन एवं बिहार से प्राप्त हुआ। यह विद्युत मार्च 1974 तक प्राप्त होती रही। अप्रैल में बाहर से आने वाली बिजली में कमी होने लगी और जून माह में विद्युत का आयात केवल 60 मे0 वा0 ही है। इस प्रकार 847 मे0 वा0 विद्युत की कमी घटकर 847-60 787 मे0 वा0 अभी भी है।

3—विद्युत की वर्तमान 787 मे0 वा0 की कमी के कारण भारी मात्रा में विद्युत के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। वर्तमान विद्युत कटौती लगभग इस प्रकार की जा रही है:—

1—अलमुनियम उद्योग पर पूर्ण प्रतिबन्ध।

2—अलमुनियम के अलावा इंडस्ट्रीज पर 40 से 66 प्रतिशत तक कटौती, इस में वनस्पति और सुगर इंडस्ट्रीज पर कोई कटौती नहीं है।

3—स्टील आर्क फर्नेसेज 19-5-74 के बाद बिलकुल बन्द कर दी गई है। मई में केवल 4 दिन बिजली दी गई थी।

4—पब्लिक सेक्टर को छोड़ कर 6 अप्रैल, 1974 से सभी नये कनेक्शनों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है यद्यपि लाइनें इत्यादि खींची जा चुकी हैं परन्तु बिजली नहीं दी जायेगी। कृषि के लिये, नलकूपों के लिये और घरेलू उद्योग के लिये पावर तथा रोशनी और पंखों के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इन उपयोगों के लिये बिजली बे रोक टोक दी जा रही है। इसी तरह पावर लूम के लिये 5 हार्स पावर तक बिजली बे रोक टोक दी जा रही है।

ऊपर लिखे "कट" लगाये गये जिससे किसानों को बिजली दी जा सके—रबी की बोआई के साथ 18 घंटे बिजली दी गई और आजकल 6 घंटे प्रतिदिन किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है)

5—30,000 तथा इसके ऊपर की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत की सप्लाई की जा रही है किन्तु यह सप्लाई विद्युत के उत्पादन पर निर्भर है। 15,000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले किन्तु 30,000 जनसंख्या से कम वाले क्षेत्रों को 15 घंटे विद्युत देने का प्राविधान है यदि ये क्षेत्र एक 33 के0 वी0 या अधिक के विद्युत उपग्रह से एक अलग लाइन से जुड़ा हुआ हो। ऊपर लिखी जनसंख्यायें 1971 जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई हैं।

6—बड़ी पम्प नहरों को एक माह में दो हफ्ते लगातार विद्युत दी जा रही है। बाकी दो हफ्ते बन्द रहती हैं।

7—पड़ोसी राज्यों मे विद्युत के आयात में कमी होने के कारण तथा गंगा कैनाल पर स्थित विद्युत गृहों के बन्द होने क कारण 22 मई से खाद के कारखानों पर अस्थाई प्रतिबन्ध लगाया गया था किन्तु 3 जून, 1974 से इन्हें पूरी मात्रा में विद्युत दी जा रही है।

8—बुनकरों के लिये केवल कुछ स्थानों को छोड़ कर 18 घंटे बिजली दी जा रही है। जहां कहीं भी पावरलूमों की संख्या 250 से अधिक है उन्हें 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार टांडा, अकबरपुर, सिलखुआ, मऊनाथभंजन, मऊ आइमा, कोपागंज आदि स्थानों पर 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

[श्रम मंत्री श्री राजमंगल पांडेय]

4--वर्ष 1973 के दौरान लगभग 34,000 निजी तथा राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण तथा उद्योगों में विद्युत भार बढ़ाने के कारण विद्युत की मांग में असाधारण वृद्धि हुई। इस समय प्रदेश में लगभग 2,28,661 नलकूप स्थापित हैं जो विद्युत द्वारा चलाये जाते हैं जिस की पूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद करता है।

5--ऊपर बताई गई निर्धारित विद्युत उपलब्धि समय में कभी कभी बिना सूचना दिये उस समय कटौती करनी पड़ती है जब अन्य प्रदेशों से मिलने वाली बिजली में एकदम कटौती हो जाय या विद्युत परिषद के किसी विद्युत गृह में कोई आकस्मिक खराबी आ जाय चूंकि सिस्टम में स्पिनिंग रिजर्व नहीं रहता है इसलिये आकस्मिक कटौती मजबूरी में करनी पड़ती है।

6--ऊपर बताई गई कमी को दूर करने के लिये विद्युत परिषद तत्कालीन एवं दीर्घकालीन उपाय कर रही है जिनका संक्षिप्त ब्योरा निम्नलिखित है:--

1--वाष्प विद्युत गृहों में उत्पादन बोनस दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वाष्प विद्युत गृहों में विद्युत की उपलब्धि में 13 मिलियन यूनिट प्रति दिन से बढ़ कर लगभग 15 मिलियन यूनिट हो गई है। इस तरह से लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि 6 महीने में हुई है।

2--पड़ोसी प्रदेशों से अधिक से अधिक विद्युत प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

3--तकनीकी लाइन हानि को कम करने के लिये केपेसिटर्स लगाये जा रहे हैं तथा नये विद्युत उपगृह बनाये जा रहे हैं। प्रदेश के चारों चीफ जोनल इंजीनियरों को अपने अपने इलाके में बिजली का हिसाब देने पर बाध्य किया गया है।

4--नई प्रायोजनाओं को जल्द-से-जल्द लाने का प्रयास किया जा रहा है और आशा है कि यमुना प्रायोजना की चार मशीनें छिब्रो (4×60 मे0 वा0) विद्युत गृह तथा दो मशीनें ओबरा तापीय विद्युत गृह (2×100 मे0 वा0), व 10 मे0 वा0 की एक मशीन यमुना परियोजना के चतुर्थ चरण के कुलहल में 1974-75 में चालू किये जाने की आशा है। इस प्रकार 450 मे0 वा0 इस वर्ष में चालू करने का प्रयास है।

अनुलग्नक 1

विद्युत गृहों की अपक्रमित क्षमता

विद्युत गृह	संयंत्रों के अवमूल्यन के फलस्वरूप उपलब्ध अपक्रमित	वास्तविक क्षमता
(1) तापीय (Thermal)		
क--वृहत ताप विद्युत गृह		
(1) ओबरा (ताप)	.. ..	250.0
(2) ओबरा विस्तार	.. ..	100.0
(3) हरदुआगंज (ए)	.. ..	70.0
(4) हरदुआगंज (बी)	.. ..	210.0
(5) पनकी ..	.. ..	62.0
(6) रीवर साइड विद्युत गृह	.. ..	55.0
	योग ..	747.0

विद्युत गृह	संयंत्रों के अवमूल्यन के फलस्वरूप उपलब्ध वास्तविक उपक्रमिक क्षमता
(ख) छोटे ताप विद्युत गृह	
(1) चंदौसी	5.5
(2) आगरा (फोर्ट)	10.0
(3) आगरा (नया)	9.0
(4) ऐशबाग	7.0
(5) ताल कटोरा	9.0
(6) इलाहाबाद	6.0
(7) मैनपुरी	8.0
(8) बलरामपुर	1.5
(9) मऊ	12.0
(10) गोरखपुर	12.0
(11) सुहावल	12.0
(12) गैस टरबाइन्स	12.0
योग ..	104.0
(ii) डीजल	2.2
तापीय एवं डीजल का योग	853.2
(iii) जल विद्युत (Hydel)	
(1) रिहंद ..	
(2) मातातीला ..	
(3) खतीमा ..	600.35
(4) यमुना (खंड 1)	
(5) ग्रोबरा (जल विद्युत)	
(6) गंगा नहर पावर हाउसेज	
जल विद्युत योग	600.35
कुल योग ..	1453.55

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती मोहसिना किदवाई पीठासीन हुईं।)

श्री अधिष्ठाता--

5 बजे तक चर्चा चलेगी। मैं समझती हूं कि कुछ टाइम लिमिट कर दिया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा मेम्बर्स बोल सकें। मैं समझती हूं कि 10 मिनट ठीक रहेगा।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठात्री महोदया जी, आज इस बिजली के कटौती के प्रस्ताव पर जो वक्तव्य दिया गया है उससे ऐसा मालूम हो रहा है कि सरकार विद्युत के मामले में फेल कर चुकी है।

[श्री राम अधार]

कहीं से भी इसके अन्दर इस तरह की चीज नहीं है जिससे मालूम हो सके कि चन्द दिनों के अन्दर बिजली की समस्या सुलझाई जा सकेगी। बहुत सी बातों को इसमें छोड़ दिया गया है। आज रिहन्द डैम की बात हो रही है। मुझे जहां तक मालूम है कि 12 साल के अन्दर इसमें केवल दो बार पानी भरा। इसके बाद रिहंड डैम के अन्दर कभी इतना पानी नहीं आया जिससे बिजली की सप्लाई पूरी की जा सकती। आज इस सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी भले ही जिम्मेदारी से अपने को वंचित कर लें लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि रिहंड डम को इस तरह से बनाया गया कि उसमें पानी नहीं भरता। आज बिजली विभाग के अंदर भी बड़ी गड़बड़ी है।

विद्युत परिषद को जिस तरह से ऋण दिया जाता है वह यह है कि उसको दस करोड़ का ऋण दिया जाता है तो उसमें से पिछला बकाया या ब्याज का रुपया उसमें से काट लिया जाता है। जैसे कि दस करोड़ का ऋण देना है और पिछले साल का 4 करोड़ का ब्याज बकाया है तो चार करोड़ काट कर छै करोड़ दिया जाता है। इस तरह से विद्युत परिषद की और बिजली की समस्या की ओर सरकार का ठीक तरह से ध्यान नहीं है। बिजली न मिलने के कारण खेती का उत्पादन कम हो रहा है। आप किसान को रात में 6 घंटे बिजली देते हैं। बिजली का आज बहुत अभाव है। बिजली विभाग में कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त और सरकार उस असंतोष के कारणों का समाधान नहीं कर रही है। जब तक बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक न तो कृषि उत्पादन ही बढ़ेगा और न ही आपकी फैक्टरीज चलेंगी।

पौने दो पैसे में आप बिड़ला को बिजली देते हैं और किसान को 35 पैसे में मिलती है। बिड़ला और किसानों के बीच में दो तरह की दरें मिलती हैं और इस तरह से यह सरकार जनता विरोधी है। आपने यह भी नियम लगा दिया है कि नये ट्यूबवेल्स के लिये कनेक्शन नहीं मिलेंगे। एक तरफ तो आप ट्यूबवेल्स के नये कनेक्शन बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ 30 मेगावाट बिजली हिंडालको को मिलती थी उसको बढ़ा कर 80 मेगावाट कर दिया है। बनारस के अन्दर आप बड़ी-बड़ी फैक्टरीज को 18 से 20 घंटे तक बिजली दे रहे हैं क्योंकि उनसे आपका सीधा सम्बन्ध है। लेकिन किसानों को आप छै घंटे बिजली देते हैं और वह पूरी नहीं मिल पाती। बार-बार कहने पर भी अधिकारी उस तरफ ध्यान नहीं देते। होता यह है कि खेत में पानी पहुंचा और बिजली गायब। इस तरह से गांव वालों के लिये बिजली की समस्या सिर दर्द बनी हुई है।

मैं समझता हूं कि बिजली के सवाल पर यह सरकार असफल हो चुकी है और इसलिए एक दिन भी टिकने का अधिकार इस सरकार को नहीं है। आज बिजली के कर्मचारियों के अन्दर असंतोष व्याप्त है। एक महीने-दो महीने तक इस प्रदेश के इंजीनियर हड़ताल कर और विद्युत उत्पादन की बात की जाय तो यह व्यर्थ है। उनकी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं मानता हूं कि दो एक जगह बिजली का उत्पादन बढ़ा है लेकिन जैसा कि वक्तव्य से जाहिर है कई जगह इनके पावर हाउस फेल कर रहे हैं। मऊनाथ भंजन की बात मैं जानता हूं। जब से रिहन्ड से जोड़ दिया तो उसका उत्पादन गिर गया। अगर पैसे की कमी के कारण बड़े पावर हाउस नहीं बन सकते तो छोटे-छोटे पावर हाउस बनाये जायं। आपके इस तरह से जब सब-स्टेशन थे, उस समय बिजली की कमी नहीं थी। इस तरह से छोटे-छोटे पावर हाउस बनाकर अगर बिजली दें तो, तभी हमारी बिजली की समस्या हल होगी। बिजली कनेक्शन में आज किसानों की लूट हो रही है। एक तरफ की कटौती से 6 घण्टे बिजली देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ट्यूबवेल का मिनिमम चार्ज किसान देते हैं।

एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर किसान सरकारी चार्ज नहीं देता है तो बिजली काट दी जायगी। लेकिन आज सरकार अपने एग्रीमेंट को तोड़ रही है। मिनिमम चार्ज चाहिये, बिजली चाहे मिले या न मिले। आप हर जगह 6 घंटे बिजली देते हैं। अगर एग्रीमेंट 24 घंटे बिजली देने का किया था और यह एग्रीमेंट किया था कि अगर हम बिजली नहीं देंगे तो सरचार्ज वसूल नहीं करेंगे। बिजली नहीं दिया, लेकिन फिर भी पैसा ले रहे हैं। मीटर प्रणाली से काम नहीं हो रहा है आप किसानों के कनेक्शन तो काट देते हैं लेकिन बड़े-बड़े पूंजीपतियों, कानपुर के मिल मालिकों या बिड़ला के बारे में जब प्रश्न पूछा गया तो आपने कहा कि पौने-तीन करोड़ रुपया इस समय बकाया है। कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और अन्यत्र बड़े-बड़े पूंजीपतियों के ऊपर आज करोड़ों रुपये बाकी हैं, लेकिन उनके कनेक्शन काटने की हिम्मत नहीं की। हिन्डालको ने 5 लाख रुपये प्रधान मंत्री के पी0ए0 को दिया कि आप ट्रेड यूनियन की ऐक्टिविटी वहां बंद करवा दें। इस तरह से आप 50-50 लाख रुपये पूंजीपतियों से लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, कृपया अपने विषय पर बोलें, प्रधान मंत्री के बारे में नहीं।

श्री रामअधार--

इस सरकार की पूरी व्यवस्था गड़बड़ है। आप किसानों के लिये कुछ कानून बनाते हैं और पूंजीपतियों के लिये कुछ। हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री चुनाव के माहिर हैं। वोट गायब करने के माहिर हैं। चुनाव के पहले आपने गांवों में हरिजन बस्तियों में खम्भे गड़वा दिये, जिन हरिजन बस्तियों में कि जहां मकान नहीं, हरिजनों के पास खेत नहीं, विद्यार्थियों के लिये पैसा नहीं। वह इसलिये किया कि हरिजन लोग हमको वोट देंगे। आपने विद्युत परिषद को 10 या 12 करोड़ ऋण दिया था। लेकिन अगर आपकी कामर्शियल योजना है तो पहले बिजली वहां लगाना चाहिये जहां उसका उपयोग हो, जहां उपभोक्ताओं को फायदा हो वोट लेने के लिये हरिजन बस्तियों में खम्भे केवल गड़वा देने से, प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह से इस सरकार ने अपनी सत्ता का प्रयोग करके वोटों को प्राप्त करने के लिये जिस तरह से विद्युत परिषद का गलत ढंग से फायदा उठाया है, जनता के अधिकारों का हनन किया है, उसी के कारण आज गांव-गांव में बिजली के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई है। यह वक्तव्य इस बात का स्वयं प्रमाण है कि बिजली के मामले में यह सरकार फेल कर चुकी है इसलिये इसको एक दिन भी सत्ता में बना नहीं रहना चाहिये।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आज पूरे प्रदेश में सभी वस्तुओं का अभाव है। बिजली हमारे जीवन का अंग बन चुकी है। कहीं कोई काम बिना बिजली के नहीं हो सकता। पिछले एक वर्ष में बातें बहुत सी कही गयीं लेकिन बिजली की कमी को पूरा नहीं किया जा सका। बड़े-बड़े काम हो रहे हैं लेकिन सब कागजी हो रहे हैं। हमसे कहा गया कि गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी जायगी, हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाई जायगी और ग्रामों में बिजली दी जायगी और प्रदेश में कहीं भी अन्धेरा नहीं रहेगा लेकिन आज तो जहां बिजली है भी वहां भी अन्धेरा हो रहा है। बिजली की कमी को स्वीकार किया गया है, 50 प्रतिशत बिजली की कमी है। यह कहा गया था कि प्रदेश में चीनी मिलों को कोयला दिया जायगा बिजली बनाने के लिये। उसे वह अपने प्रयोग में लायेगी तथा आसपास के कस्बों में पहुंचायेगी लेकिन उनको आज तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश]

यह हिसाब नहीं बतलाया गया कि कंट्रोल रेट पर कितना कोयला उनको दिया गया, कितनी बिजली बनी, कितनी बांटी गयी और कितनी भूल में दी। मेरी जानकारी है कि खुलेआम उस कोयले का ब्लैक किया गया और लाखों रुपये का नुकसान जनता को हुआ। हमारे पास ऐसा भी कोई यंत्र नहीं है जिससे यह पता लग सके कि कितनी बिजली दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश में आ रही है। लनसम हिसाब कितना होता है। बिजली आये या न आये लेकिन उसका हमको पैसा देना होता है और जब तक ऐसे यंत्र नहीं लगेंगे बराबर हमको घाटा सहना होगा।

इसी प्रकार हरदुआगंज थर्मल प्लान्ट था, उसे भी यह सरकार नहीं चला सकी। उसे डिफेक्टिव बतलाया गया और मार्डीज को वह प्लान्ट दे दिया गया जिसे वह चला रहे हैं और उनसे यह सरकार बिजली ले भी रही है। वह प्लान्ट आज उनके यहां तो काम कर रहा है लेकिन हमारी सरकार उसे नहीं चला सकी। इस तरह से यह सब घोटाला किया जाता है। देहाती क्षेत्रों में आज कनेक्शन्स बन्द हैं। केवल जो राजनीतिक सहारा पा सकते हैं उन्हीं को कनेक्शन्स मिलते हैं। वैसे लोग परेशान हैं, उनको बिजली के कनेक्शन्स नहीं मिल पाते हैं। इस तरह से आज बिजली को भी राजनीति का मोहरा बना दिया गया है। मंत्री जी के दफ्तर का चक्कर लगाइये और अगर मुख्य मंत्रीजी की कृपा होगी तो कनेक्शन मिल जायगा वरना उद्योग बन्द रहेगा, घर में अन्धेरा रहेगा। जिस तरह से साबुन की एक-एक टिक्की के लिये लाइन लगानी पड़ती है उसी तरह से बिजली के बल्ब के लिये भी लाइन लगानी पड़ती है और उसे राजनीति के चक्कर में डाल दिया गया है। बिजली का काम सरकार के हाथ में है। आज उपभोक्ताओं पर बिजली का 30, 40 करोड़ रुपया बकाया है लेकिन यह बकाया किसानों अथवा छोटे उपभोक्ताओं पर नहीं है। बल्कि बिजली के जो बड़े-बड़े उपभोक्ता हैं उन पर करोड़ों रुपया बाकी है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। सस्ती बिजली इन लोगों जो न देने के बजाय गरीब किसानों को देना चाहिये। उनको कनेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं जिनको भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता है। यह बड़ी विडम्बना है। इस विडम्बना को कौन दूर करेगा। अगर पावर शार्टेज है तो इसको दूर करने के लिये एक रिआर्गेनाइजेशन कमेटी आप फार्म कीजिये। एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाइये जो कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उस पर शासन तुरन्त ध्यान दे। अगर ऐसा किया जाय तो मैं समझता हूं कि बिजली की काफी कमी दूर की जा सकती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 16 से 20 प्रतिशत तक पावर डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसमिशन में ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के डिफेक्ट्स को दूर किया जाय।

एक जगह पर वक्तव्य में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने बिजली के उत्पादन में सहयोग दिया है उनको बोनस दिया गया है। यह बहुत मुख्य बात है। सरकार ने इसके लिये आश्वासन दिया था कि जो ज्यादा बिजली का उत्पादन करेगा उसको सरकार इन्सेन्टिव देगी, प्रोत्साहन देगी किन्तु आज तक एक भी पैसा नहीं दिया गया। सरकार का यह वक्तव्य बिल्कुल गलत है। अगर कहीं दिया है तो हमको बता दीजिये। लिखने के लिये तो कागज पर लिख दिया जाता है लेकिन वह कार्यक्रम में नहीं होता। बिजली की 1/4 कमी को इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। इससे कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। एक बार पनकी बिजली घर के अन्दर ऐसा किया गया था और सरकार ने पैसा देने के लिये कहा भी था किन्तु आज तक एक भी पैसा उनको नहीं दिया गया। दिया है तो आंकड़े प्रस्तुत करें।

इसके अतिरिक्त चुनाव के दौरान हम लोग जहां-जहां गये सब लोगों की यही पुकार थी कि उनके यहां रोशनी आनी चाहिये। मैं बरेली से आया हूं शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी बिजली नहीं है, कोई पावर नहीं है। यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे

यहां कई जगहों पर जैसे सरकारी दफ्तरों में बिजली का उचित उपयोग नहीं होता है। पंखे और रोशनी वैसे ही छोड़ दी जाती है। वहां पर रोशनदानों से सूर्य का प्रकाश कमरों में लाया जा सकता है और इस प्रकार बिजली की बचत की जा सकती है, उसका सही उपयोग किया जा सकता है और बिजली का वेस्टेज रोका जा सकता है और कम बिजली वाले क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जा सकता है। मेरा कहना है कि मंत्री जी जिले-जिले में जाकर पता लगायें कि कहां-कहां बिजली बिल्कुल नहीं है और कहां उसका दुरुपयोग हो रहा है। कहीं-कहीं तो ऐसा भी है कि गांव के अन्दर से बिजली गई है, खम्भे लगे हैं, लाइन गई है किन्तु उस गांव में बिजली नहीं है। मैंने अधिकारियों से कहा भी है कि यहां बिजली क्यों नहीं दी गई है तो उन्होंने कहा कि यह हाई टेन्शन लाइन है यहां पर ट्रांसमिशन लाइन लगने पर ही लाइन दी जा सकेगी। इस चीज को कहते-कहते आज 10 वर्ष हो गये। परन्तु आज तक वह व्यवस्था नहीं हो सकती है। सरकार की यह सरकार बिलकुल फेल्योर है। बिजली की कमी को पूरा नहीं कर सकी है यह उसकी असफलता की सूचक है। आज गेहूं का संकट है, साबुन की टिक्की का संकट है, कितने ही संकटों से आज प्रदेश गुजर रहा है। इसलिये आज जो यह वक्तव्य दिया गया है उसी के साथ यह सरकार भी इस्तीफा दे देती तो प्रदेश की जनता का भला हो सकता है।

*श्री सन्तसिंह युसूफ (जिला कानपुर)--

बिजली का संकट हमारे प्रदेश में फूड के बाद दूसरे नम्बर पर रहा है। हमारे बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर हैं। ये तो बिजली वर्कर्स यूनियन के नेता भी रहे हैं। उन्होंने पहले यह स्टेटमेन्ट दिया था कि हम बिजली को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे किन्तु मुझे इस दौरान इनसे निराशा ही हुई है।

मेरे ऊपर इनका काफी असर है, काफी अच्छे और समझदार नेता के तरीके से मैं इन्हें मानता हूं। लेकिन मुझे इस बात से बड़ी निराशा हुई है। इसके अलावा यह स्टेटमेंट यदि 4 घंटे पहले दे दिया जाता तो लोग पढ़कर कुछ विचार कर सकते। किन्तु, पंडित जी जैसे रात में रामायण पढ़ते थे, वैसे ही मंत्री जी भी रामायण के समान इस वक्तव्य को भी पढ़कर सुना गये हैं, उन्होंने इसे रामायण की चौपाई की तरह पढ़ कर सुना दिया और अपनी फर्ज अदायगी कर दिया। यहां भी पंडित जी ने फर्ज अदायगी पूरी कर दी। देश की हालत यह है कि हर हिस्से को बिजली एफेक्ट कर रही है।

कानपुर के औद्योगिक नगर में इसकी वजह से तमाम मजदूर परेशान हैं। तीन पाली में से सिर्फ एक शिफ्ट चलती है और दो शिफ्टें बिजली की कमी के कारण बन्द रहती हैं, इस तरह से दो तिहाई मजदूर परेशान हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशान सब्सटीट्यूट्स और टेम्पोरी वर्कर्स परेशान वे बेचारे आज भूखों मरते हैं। इसी तरह से डिफेंस इंडस्ट्री जो देश की इम्पार्टेंट इंडस्ट्री है उसके कारखाने भी बिजली न होने के कारण बन्द पड़े हैं कानपुर में। 22 तारीख से 26 तारीख तक की तो मुझे पूरी तरह मालूम है, उसके बाद कुछ चले हों तो नहीं कह सकता। अब पैदावार बढ़नी चाहिये, हम भी कहते हैं बढ़नी चाहिये और सरकार भी कहती है कि उत्पादन बढ़ना चाहिये। किन्तु पैदावार कैसे बढ़ेगी जबकि कारखाने सब बन्द पड़े हैं। कपड़े के, लोहे के, खाद के और डिफेंस के सभी कारखाने बन्द पड़े हैं? 27 साल तक गवर्नमेंट का राज्य रहा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और साथ ही अफसोस होता है कि 27 साल की प्लानिंग के बाद देश की यह हालत है।

आपकी प्लानिंग कहां गई। इतना ही नहीं जो पहले की बनी हुई इंडस्ट्रीज थी, वे भी ठप हो रही हैं। आगे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना तो और मुश्किल बात है। जैसा अभी एक सदस्य बता रहे थे किसानों की पैदावार पर भी बहुत बुरा इसका असर पड़ा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्त सिंह यूसुफ]

हैं सिंचाई भी नहीं हो पाई है। डिफेंस इंडस्ट्री में मजदूर सबसे ज्यादा परेशान हैं। अब मैं अपने बहुगुणा जी से पर्सनली दरख्वास्त करता हूं कि आपकी सरकार का लो-वर्कर के प्रतिनिधियों तथा बिजली के बारे में जानकार लोगों के साथ बठकर कोई तरीका निकालना चाहिये। मैं थर्मल पावर स्टेशन जो बिड़ला जी का पावर हाउस है, वहां गया था, कुछ लोगों ने कहा कि जो एक नदी पास है, यदि उसको रिहन्द डैम में मिला दिया जाए तो यहां पर पानी की कमी पूरी हो सकती है। इस विषय में मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं किन्तु इस पर सरकार को एक्सपर्ट्स की राय अवश्य लेनी चाहिय। इसमें सरकार भी इन्ट्रेस्टेड है, उद्योगपति भी इन्ट्रेस्टेड हैं। मैं चीफ मिनिस्टर से आशा करता हूं कि वह इसमें देरी नहीं करेंगे। उनका खुद का प्लान था कि प्रदेश की बिजली का संकट हल होना चाहिय। यह हमार प्रदेश को खड्ड में लिये जा रहा है। यह सब पर असर कर रहा है।

दूसरी बात यह है कि मेरी समझ में नहीं आता है, मैं बहुगुणा जी से जानना चाहता हूं, रामायण पढ़ने वाले तो मिनिस्टर चले गये इनसे जानना चाहता हूं। एक जमाने में मैं ऐज मेकैनिक बिजली के कारखाने में लाहौर में काम करता था लेकिन वहां बिजली थर्मल से पैदा होती थी। कोयला जलता था। कोयले से स्टीम बनती थी। स्टीम से बिजली बनती थी। पूरे लाहौर को बिजली सप्लाई की जाती थी। इसी तरह से डीजल इंजन से दिल्ली में कारखाने चलते थे। सारी बिजली उसी से सप्लाई की जाती थी अब इस तरह से थर्मल पावर लगाने में या बाहर से मांगने में क्या दिक्कत है, क्या प्रोब्लम है यह मेरी जानकारी में नहीं ? आप को बाहर से, किसी देश से मिले मंगाना चाहिये। बिजली की कमी पूरी इकानामी को बर्बाद कर रही है।

बिड़ला को सस्ती बिजली दे देते हैं पौने दो पैसे में हमने दे दिया। क्यों नहीं कहते बिड़ला को कि अपना पावर हाउस बनाओ। किसान को हम देते हैं 18–20 पैसे में, उद्योग को देते हैं 30 पैसे में। बिड़ला को देते हैं पौने दो पैसे में। उसने बहुत दिन तक लूटमार कर लिया। कहो कि अब अपना पावर हाउस बनावें। बहुत रुपया है इस लिए अपना पावर हाउस करें। इसी तरह से हरदुआगंज पावर हाउस सरकार ने बेच डाला। मोदी ने खरीदा और मोदी ठीक-ठाक करके बिजली पैदा करेगा। 12 पैसे की लागत आयेगी 30–35 पैसे में देगा। हरदुआगंज पावर स्टेशन को इंजीनियर्स को दिखा कर सरकार क्यों नहीं ठीक कर सकती जबकि बिजली इतनी कम है। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे एक चीज है। मैंने बहुत दिन पहले वहां डी0 एम0 से भी कहा था। बहुत सी बिजली ऐसी है जो वेस्ट होती है। उसको बन्द करना चाहिये। अभी हमारे साथी बतला रहे थे। गोरखपुर में एक नुमायश लगी है। बिकती हैं चूड़ियां और बुन्दे। हजारों बल्ब लगे हैं। बन्द कीजिये। चूड़ी, बुन्दे जिसको लेना होगा दिन में ले लेगा। रात के लिए क्या जरूरत है ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अधिष्ठाता का कुछ ख्याल कीजिये।

श्री संतसिंह यूसुफ—

वह चूड़ी-बुन्दे वाली नहीं हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जरूरत पड़ेगी तो चूड़ी आपको पेश करेंगी।

इस तरह की बिजली शादियों में पांच-पांच हजार बल्ब मैंने लगे देखे हैं। क्यों नहीं सुपरफ्लुअस बिजली को बन्द करके किसानों को देते, किसी फैक्ट्री को देते। दावतों में खाने पर पाबन्दी लगा देते हैं कि 20 आदमी से ज्यादा खाना नहीं खायेंगे। गवर्नमेंट ऐसे पल रही

है, जैसे खरामा-खरामा चलती चली हुई जा रही है। बहुगुणा जी से बहुत इज्जत से कहता हूं, भइया, यह मामला बहुत गड़बड़ है । समझ कर यह दो चीजें, बिजली और गल्ले का मामला नहीं संभालोगे तो भगवान जाने क्या होने वाला है । यह आशंका ऐसी है । इसीलिए इन बातों के ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ध्यान करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिजली की कमी के कारण हमारे यहां जो महान संकट आया हुआ है वह एक बड़ी दुखद और वेदनापूर्ण कहानी है । प्रदेश में बिजली की कमी है और जितनी बिजली की पदावार होती थी उसमें कमी आई है । इसके साथ ही साथ यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर पाते और जितनी बिजली हमारे पास थी उसको हर एक उपभोक्ता को प्रायोरिटी के अनुसार दे पाते तो काफी हद तक यह संकट दूर हो सकता था । अभी पता चला है कि प्रदेश में 18 घंटे प्रति दिन बिजली देने का औसत है। लेकिन हमारे यहां बिजली कभी 6/7 घंटे से ज्यादा नहीं दी गई । अधिकारियों के औसत के अनुसार 8 घंटे बिजली दी गई थी । दूसरे बिजली के कनेक्शन देने में भी प्राथमिकता होनी चाहिये थी । मेरे कहन का मतलब यह है कि सब से पहले किसानों को जो देश के लिए अन्न उपजा रहे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिये थी जो न दी जाकर के ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स और सिनेमा वालों को प्राथमिकता दे करके बिजली के कनेक्शन दिये गये जिनकी ऊपर तक पहुंच हो गई।

बिजली की कमी की बात सभी नागरिक सहन कर सकते हैं यदि उनको यह विश्वास हो कि जो कुछ हो रहा है या जो बिजली दी जा रही है वह प्राथमिकता के अनुसार दी जा रही है तो जो हमारी बिजली की कमी की परेशानी है वह काफी हद तक दूर हो सकती है । इसमें कोई शक नहीं है कि नई सरकार के आने के पश्चात् बहुत सुधार करने की कोशिश की गई है। लेकिन जितना सुधार होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया है । इसका एक कारण यह हो सकता है कि जो योजना बनती हैं वह नीचे के स्तर तक नहीं पहुंच पाई ।

अब मैं 2-4 शब्द बिजली बोर्ड के बारे में कह देना चाहता हूं । इसमें अधिकारियों में आपस में जो सम्पर्क होना चाहिय वह नहीं हो रहा है। जैस मेंटीनेंस का काम जिस इंजीनियर के पास होता है उसी को जैनेरशन में रख दिया जाता है जिसका जैनेरेशन में उतना अनुभव नहीं होता है जितना कि होना चाहिये । इसी तरह से जैनरेशन वाले अधिकारी को मैन्टीनेंस में रख दिया जाता है । इस तरह की योजना बनाई जाय कि डिस्ट्रीब्यूशन, जैनरेशन और मेंटीनेंस वालों को उसी सेक्शन में रखा जाय जिसमें वे काम कर रहे हैं । इससे अधिक सुचारुरूप से काम होगा ।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश में बिजली की बड़ी भारी चोरी हो रही है । इसमें सभी लोग शामिल हैं । मैं अपने आंकड़ों के अनुसार कह सकता हूं कि 25 फीसदी बिजली की चोरी होती है जिससे सरकार, बोर्ड और उपभोक्ता तीनों का नुकसान होता है। इससे वास्तविक उपभोक्ता को बिजली न मिलकर चोरी करन वाल को मिल जाती है । इसको पुलिस भी नहीं पकड़ पाती है और आपके यहां स्टाफ की बहुत कमी है। सलिये बिजली की चोरी को पकड़ने के लिए उचित तादाद में स्टाफ बढ़ाया जाये। यदि 2/4 चोरी करने वाले पकड़ जायेंगे तो यह चोरी बन्द हो सकती है और लोगों की चोरी करने की हिम्मत नहीं होगी ।

इसके साथ ही साथ जो टांस्फार्मर्स जल जाते हैं उनका रिप्लेसमेंट कई-कई महीनों तक नहीं हो पाता है । इससे किसानों के ट्यूबवेल्स खाली पड़े रहते हैं इससे सोचा जा सकता है कि किसानों की क्या दशा होती होगी। स्थानीय अधिकारियों से कहा जाता है कि वे कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं और यह ठीक नहीं हो सकता है । इसकी ठीक तरह से

[श्री हुकुम सिंह--]

व्यवस्था होनी चाहिये । बिजली की कमी के साथ यदि दूसरे स्टेप्स में सरगरमी दिखाई जाये तो यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

अधिष्ठाता जी, यह अभी रपट देखने को मिली है । जो हम लोगों के सामने बहस हुई है उस पर सोचने लगें तो घंटे दो ंटे लग जायेंगे । मैं तो कहना चाहता हूं कि इसकी मंशा यह है कि सदस्यों को गुमराह किया जाये । मैं बड़ी विनम्रता से मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिजली के बगैर हमारा जीवन चल नहीं सकता है । इस ओर सरकार का जितना ध्यान जाना चाहिये उतना नहीं जा रहा है । अगर बिजली की कमी है तो इसका दोष किसका है । बिजली में आपको किफायत करना चाहिये । इससे आपकी काफी परेशानी दूर हो जायेगी । साढ़े सोलह लाख पया से सदन को वाता-नुकूलित बनाने के लिये किय गये हैं । हम विरोधी लोग जो गांव-गांव में मेड़ों पर मते हैं उनको ऐसा बना दना चाहते हैं जिससे हम लोग फिर वहां जा न सकें और घूम न सकें।

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पूर्वी जिले बहुत ही पिछड़े हुए हैं और गरीब हैं । आजादी की लड़ाई में यह हिस्सा सबसे आगे था लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ है । गोरखपुर जिले में सहजनवां में एक उप-बिजली घर खोलने की योजना की गयी थी । मुझे अभी हाल ही में यह सूचना मिली है कि वहां के असरदार लोगों ने सरकारी अफसरों से मिलकर यह रिपोट लगवा दी है कि यहां पर सतह में नीचे की जमीन में बालू है इसलिये वहां पर बिजली घर नहीं बनाया जा सकता है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि यहां पर बिजली घर स्थापित कर दिया जाय तो इस क्षेत्र की काफी सहायता होगी । असरदार लोगों के कारण यह योजना यहां से खत्म की जा रही है ।

मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसकी जांच करें और ऐसा प्रबन्ध करें जिससे यह योजना यहां से खत्म न हो और यहीं पर स्थापित की जाये । चुनाव के पहले जब हम लोग धूमते थे तो देखन को मिलता था कि गांव में हरिजन बस्तियों में बिजली के खम्भे लगे हैं । इससे किसानों में बड़ा उत्साह और प्रसन्नता थी । मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर खम्भे के खम्भे रह गय गांव वालों को बल्ब देखने को न मिल सके । आपकी जो योजना थी कि बिजली गांव में पहुंचाई जाय वह पूरी नहीं हो पायी । जिन गांव को आपने बिजली योजना में लिया था उनमें 5 फीसदी भी बिजली आप नहीं दे पाये हैं । मैं आपको 2-3 बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक तो यह है कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा है और उसके उत्पादन में कमी आयी है। सरकार का ध्यान बिजली कमचारियों की मांगों की ओर नहीं गया है। यह कारण है कि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। हम जरूर चाहेंगे । हम तो यह चाहते थे कि यह जो हमारे सामने रिपोर्ट आई हुई है, प्रतिवेदन है या चर्चा जो आई है उसमें इसका जिक्र होना चाहिय कि आखिर सरकार अपने बिजली कर्मचारियों को बार-बार आश्वासन देने के बाद भी क्या करने जा रही है ?

हमारे प्रदेश के किसानों के संबंध में बात की गई । हमारे यहां जो किसान हैं उनको बिजली उस रेट पर नहीं दी जाती है जिस रेट पर बिड़ला साहब को बिजली दी जाती है । जिस रेट से बिड़ला साहब को बिजली दी जा रही है उसी रेट से किसानों को भी बिजली दी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाय । वास्तव में मुख्य मंत्री जी समाज की ओर कदम उठाने जा रहे हैं तो इस प्रकार से भद का बर्ताव कहां तक ठीक है ? हरदुआगंज पावर हाउस जो है वहां की जांच होनी चाहिए के एक्सपर्ट पर कोई नियंत्रण नहीं है। मरा आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी दिलचस्पी लेकर कृपा करके जांच करा लें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करें । यह बिजली को ह्वाइट एलीफेंट की संज्ञा दी जाती है । यह बिजली ह्वाइट एलीफेण्ट है । प्रदेश में एक नहीं अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिजली के बल्ब तक नहीं देखे हैं । अनेकों लोगों को अभी तक बिजली की रोशनी देखने को नहीं मिली है उनके घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए अगर हमारी विद्युत् परिषद् कुछ काम नहीं कर सकती है तो उसको खत्म करना चाहिये । इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि सरकार इस पर शीघ्र ध्यान देगी ।

श्री ए0सी0 ग्राइस (जिला कानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान अपने कानपुर जिले की बिजली के बारे में दिलाना चाहता हूं । हमारे कानपुर में ऐसा था कि जब यह इलेक्ट्रिसिटी बोड नहीं बना हुआ था, इससे पहले कानपुर जिले में इलेक्ट्रिक सप्लाई 24 घंटे रहती थी । वहां पर बिजली की कोई तकलीफ नहीं थी लकिन आजकल देखा यह जा रहा है जब से विद्युत परिषद बन गई हमारे कानपुर जिले के अन्दर 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है वहां पर बिजली की बड़ी ही कठिनाई हो गई है । इसका कारण मैं खुद जानता नहीं हूं लोकन मैंने सुना है कि जब स यह ग्रिड लगा है, जब से यह बोर्ड शुरू हुआ है तब से बिजली की हमारे कानपुर के लोगों को जरूरत भर नहीं मिल पा रही है । इसी प्रकार से आगरा में जब तक आगरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सरकारी नहीं हुआ था तब तक आगरा में बिजली की कमी नहीं हुई थी इसका मतलब यह है कि हमारे जितने नये इंजीनियर्स होते हैं वे अपनी जेब में हाथ डाले हुए घूमते रहते हैं । और अब भी कहता हूं कि सरकार हमारे इन व्हाइट एलीफेंट्स को जो हर टावर पर हैं, उनको गिरा ें ।

ये सब झगड़े होने के पहले मैंने माननीय मुख्य मंत्री से कहा था कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल गड़बड़ होने वाली है। आपके इलक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं । अभी भी बिजली की इतनी कमी नहीं जितनी कि चोरी हो रही है मीटर्स आपके गड़बड़ रहते हैं, बिजली की चोरी हो रही है। कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की लेबर बहुत खराब हो गयी है । उन लोगों को 8 घंटे का काम नहीं मिल रहा है । 2 शिफ्ट बंटे हुए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यह मामला कब तक चलेगा । शांति नहीं रह सकती है, अगर कानपुर वालों को बिजली नहीं मिलती है मैं उम्मेद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी किसी बाहर के इंजीनियर्स की इन्क्वायरी कमेटी बिठा ेंगे जो इस बात को देखे कि कानपुर में बिजली की शार्टेज क्यों हो रही है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस संबंध में बोलने का अवसर दिया । पूर्व इसके कि मैं इस संबंध में कुछ कहूं मेरे जिले के एक और माननीय सदस्य श्री ओझा साहब ने सहजनवां के थर्मल पावर हाउस की बात कही । मैं वहां से विधायक चुन कर आया हूं । जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर पधारे थे तो उन्होंने करीब-करीब 20-25 हजार आदमियों को आश्वासन दिया था और उसके कारण आपके प्रति भी क्षोभ है और मेरे प्रति छींटा कशी हो रही है। वहां यह कहा जा रहा है कि जब माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था तो वहां के विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, श्री राम करण सिंह । तो जनता यह कहती है कि कांग्रेसी विधायक के होने के कारण वहां पर थर्मल पावर हाउस की बात चल रही थी और चूंकि अब वहां पर जो विधायक हैं वे

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

विरोधी पार्टी के सदस्य हैं इसलिये जो योजना बनने वाली थी, वह उठा दी गयी । सवाल यह है कि जब वहां की जनता में माननीय मुख्य मंत्री के प्रति भ्रम है, तो मेरा निवेदन है कि जब वे अपना भाषण दें तो इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करें कि वहां से वह थर्मल पावर हाउस क्यों हटाया गया । वहां की जनता को संतुष्ट करके की भी जिम्मेदारी आपकी है। अतः मुझे आशा है आप अपने वक्तव्य में इस बात को स्पष्ट करेंगे।

दूसरी सबसे प्रमुख समस्या जो देहात की है वह वहां के नलकूपों की है जिसके बारे में इस वक्तव्य में कुछ संकेत नहीं दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ संकेत देने की कृपा करेंगे, दूसरे जहां तक उनको बिजली देने की बात है, वह अब तक उनको रात में दी जाती है। और रात में बिजली देने का मतलब यह है कि किसान के आधे पानी का नुकसान हो जाता है और उसका बजाय फायदे के नुकसान होता है । माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें कि देहाती इलाकों में ट्यूबवेल के लिए दिन में बिजली दी जायगी, रात को नहीं। जहां तक-बड़े-बड़े शहरों और बड़े आबादी वाली जगहों का प्रश्न है, अधिकतर ऐसे लोग मिलेंगे जो प्राइवेट बिजली-घरों के द्वारा बिजली ले सकते हों या अपने प्राइवेट जेनरेटर लगा कर ले सकते हों। वास्तव में होना यह चाहिये था कि बड़ी फैक्टरी और बड़े संस्थान वालों को यह निर्देश मिलना चाहिये था कि अपने प्राइवेट जेनरेटर के जरिये से बिजली इस्तेमाल करें और वह बिजली छोटी-छोटी देहातों की इंडस्ट्रीज को उनके उत्पादन में देनी चाहिये थी।

चौथी बात यह है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब उत्तर प्रदेश का भार संभाला उसके बाद एक अल्टीमेटम के रूप में यह पढ़ने को मिला था । आपने संभवतः क्या निश्चय ही बिजली विभाग को अल्टीमेटम दिया था कि यदि 48 घंटे के अन्दर उत्पादन 80 परसेंट अधिक नहीं हुआ तो बोर्ड समाप्त कर दिया जायगा ? लेकिन उसकी कामयाबी या नाकामयाबी के बारे में मुख्य मंत्री जी ने अपना कोई वक्तव्य इसमें नहीं दिया।

उसके बाद जहां तक हरिजन बस्तियों का प्रश्न है, उसके संबंध में भी कोई सुझाव ऐसा नहीं आया जिसमें जिन अधिकारियों ने हरिजन बस्तियों की उपेक्षा करके सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया हो तो दंड की कौन-सी उनके लिये व्यवस्था की जा रही है।

इसके साथ-साथ इसमें इस बात का भी जिक्र नहीं है कि कितने लोगों को, कितने व्यक्तिगत नल-कूप की लाइन लेने वालों की बिजली की लाइन दी गयी है और यदि नहीं दी गयी है तो इसका कोई आश्वासन नहीं है कि निजी नल-कूपों को कितने दिन के अन्दर बिजली दे दी जायगी या कोई विशेष हिदायत या आदेश उन निजी नल-कूप की लाइनों के संबंध में दिया गया हो ।

छठी बात यह है कि जहां तक बिड़ला साहब को बिजली देने की बात है, किसान को खाद देने के लिये भी आपने अभी 6 महीने पहले आश्वासन दिया था कि हम 52 रु० में देंगे । आज कहते हैं कि किन्हीं कारणों से उत्पादन में कमी या तनख्वाहों में वृद्धि के कारण उसमें बढ़ोत्तरी कर रहे हैं लेकिन एक बिड़ला साहब की फर्म है कि जिसको बहुत पहले जो निश्चय किया गया था कि उसी रेट पर आज भी बिजली देते हैं । क्या उनके ऊपर जो उत्पादन का खर्चा पड़ रहा है, उनकी शर्तों को तोड़ने के लिये आप में दम नहीं है या जानबूझ कर तोड़ना नहीं चाहते हैं ? मेरी रिक्वेस्ट यह है कि जिन परिस्थितियों में समझौता हुआ था वह दूसरी रही होगी अब दूसरी है जब इतना बड़ा समझौता जो राजा-महाराजाओं से हुआ था, संविधान में जिसकी व्यवस्था थी—प्रीवीपर्स वाला उसको यदि हटा सकते हैं....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ठीक किया या नहीं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

वह तो आप समझें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आपकी क्या राय है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

वह आप समझें किन शर्तों को क्यों किया और क्यों तोड़ा, वह जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है । तो मैं यह चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने तमाम शर्तों को अच्छी या बुरी समझते हुए-हटाया है, इसी प्रकार से बिड़ला साहब के साथ भी जो आपने समझौता कभी किया था उसको समाप्त करके किसानों को देने वाली बिजली से अधिक रेट पर बिजली बिड़ला को देंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सहजनवां के थर्मल पावर हाउस के बारे में क्लियर आप करेंगे जिससे हम निर्दोष साबित हो जायें और सदन के नेता पर जो एक दोष लगा हुआ है कि उन्होंने गलत-बयानी कर दी वह मिट जाय ।

*श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, आपने समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान दो बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । दो बातें कहने के पहले एक छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूं । एक किसान के घर पैदा होने के कारण मैंने नहीं जाना कि पंखों की हवा कैसी होती है। मैं तो शुद्ध प्राकृतिक हवा में रहा, पला और बड़ा हुआ । किसान को बिजली की आवश्यकता होती है । उस बिजली के लिए किसान तरसता है । लेकिन जब मैं यहां आया तो देखता हूं कि 14 लाख रुपये लगा कर यह हाल एयर कंडीशन्ड बनाया गया है । इसमें बैठे हैं तो ठंडक लग रही है । अगर यही बिजली किसानों को खेत सींचने के लिये दे दी जाती तो उससे कितना लाभ होता। यह हाल इसलिये एयर कंडीशन्ड किया गया है कि सदस्य जो जाड़े और गरमी में वोटरों के पास भटकते हैं वे यहां ठंडे हो जायं जिससे अपने क्षेत्र में जा कर उन्हें फिर गर्मी न लगे । हमारी सरकार की नीतियां ही गलत रहीं ।

सरकार ने किसानों से कहा कि रिहन्द डैम बनेगा, फलां डैम बनेगा, बिजली का काफी उत्पादन होगा, पूरे उत्तर प्रदेश के ट्यूबवेल चलेंगे । लेकिन आज जैसे ब्लाकों में फैमिली प्लानिंग के अधिकारियों से कहा गया है कि इतनी फैमिली प्लानिंग जरूर करो नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जायगा तो वह 60 वर्ष के बुड्ढे की भी फैमिली प्लानिंग कर देते हैं इसी तरह सरकार ने बिजली की बड़ी-बड़ी योजनायें बनायीं लेकिन उसके लिये डैम अच्छी जगह बन रहे हैं या गलत जगह बन रहे हैं भविष्य में उसका क्या परिणाम होगा, इस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं रही । मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूं । केवल रिहन्द डैम ही नहीं, देश के अनेक डैम्स का उदाहरण दे सकता हूं जो गलत ढंग से बने । रिहन्द एक छोटी सी नदी है जो सोन की सहायक नदी है। रिहन्द डैम बनने के बाद दो वर्ष ही उसमें पानी पूरा रहा नहीं तो कभी उसमें पानी पूरा भर नहीं पाया । एक छोटी सी नदी को बांधा गया और एक काफी बड़े उपजाऊ इलाके को उजाड़ दिया गया । वहां की आबादी छिन्न-भिन्न हो गयी ।

अगर उस इंजीनियर ने या वह योजना बनाने वाले लोगों ने या उस समय की सरकार ने यह सोचा होता कि एक छोटी सी रिहन्द नदी क्या इतना पानी लायेगी जो इतने बड़े डैम को भर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री आशाराम यादव]

दे तो यह डम कहीं और बना होता। लेकिन उस वक्त सोचने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रुपया था, डम बनाना था और उन्होंने रुपया लगा दिया । अब इंजीनियर कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है। कई वर्षों से सूखा पड़ रहा है । तो दूसरा रास्ता यह निकाला कि एक नहर नहीं है उसको काट कर रिहन्द नहीं में मिला दी जाये । उसका पानी इसमें आयेगा तब शायद भर जाये । उसके मिलाने में कई करोड़ रुपये लगेंगे । इसी तरह से जो बड़ी-बड़ी योजनायें हमारे देश में बनी वह न ठीक ढंग से सोची गयीं न समझी गयीं । इसका परिणाम अब हम भुगत रहे ह । हमने आश्वासन दिया किसान को बिजली देने का और किसान भी खुश हुआ कि ह॰ारे पाँम्पग सेट्स लगेंगे और किसान ने पाँम्पग सेट्स का जाल बिछा दिया । और जब किसान बिजली पर आश्रित हो गया तो उसको बिजली मिलना ही बन्द हो गयी । पहले किसान मानसून पर ही आश्रित रहता था, अब वह बिजली पर आश्रित रहता है। जाने कितनी आशायें किसान लगाये बैठा रहा, मगर उसकी सभी आशायें बेकार हुई। एक भी आशा उसकी पूरी नहीं होने पायी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में वे जो भी योजनायें बनायें उनको बनाते समय पिछले इतिहास से सबक लें । योजना बनाने से पहले यह देख लें कि उसका परिणाम क्या होगा । किस तरह से हम पूरे प्रदेश को बिजली दे सकेंगे?

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली की जो कटौती की गयी उसके बारे में किसान को कुछ नहीं बताया गया । वह 24 घंटे बिजली के लिये इन्तजार करता रहता है । उसको यह पता ही नहीं रहता कि बिजली कब आयेगी, कब चली जायेगी । किसान को यह तो बताया जाना चाहिये कि किस समय उसको बिजली मिलेगी ताकि उसका सारा समय तो बरबाद न हो । कभी सुबह को बिजली मिलती है, तो कभी दोपहर को, तो कभी रात को । वह 24 घंटे परेशान रहता है। मिर्जापुर में तमाम छोटे-छोटे उद्योग हैं । बिजली के कारण मजदूर बुरी तरह से परेशान हैं । मजदूर सुबह को कई मील दूर चल कर आता है, कारखाने में आकर उसे मालूम होता है कि बिजली ही नहीं। वह चला जाता है । फिर कहीं रात को बिजली आ जाती है। कारखाने का मिलाक फिर मजदूरों को बुलाता है । इस तरह से वे भी परेशान रहते हैं । उनको भी यह पता नहीं चलता कि कब बिजली आयेगी।

मिर्जापुर में बिजली एक बड़े उद्योगति के हाथों में है । चुनाव में वह पैसा देता है या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन जो रामजी माहेश्वरी पावर हाउस है उसकी हालत इतनी खराब है कि वह उपभोक्ताओं तक को बिजली नहीं दे पाता । सरकार को उसे अपने हाथों में ले लेना चाहिये । जनता ने भी मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया कि वे उसको अपने हाथों में ले लें । बड़े-बड़ उद्योगपति को, बिड़ला जी का पौने दो पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली दी गयी । वह बिजली उनको न देकर छोटे-छोटे किसानों को देना चाहिये ताकि वे खेती कर सकें और उत्पादन को बढ़ा सकें । जनता को खाने के लिये अन्न दे सकें ।

(श्री ओम प्रकाश का नाम पुकारे जान पर)

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

मेरा नाम शायद आपको पता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

मुझे आपका नाम पता है । आपकी पार्टी के दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं ।

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मैं आपके माध्यम से इस बिजली के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों के फलस्वरूप हड़ताल के बाजूद तथा अनेकों बाधाओं के होते हुए भी 15 प्रतिशत बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई । लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नीचे का जो प्रशासन है उससे लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं । मैं जौनपुर से आता हूं । अभी कुछ दिन पहले हमारे यहां जिले की विद्युत समिति की एक बैठक हुयी है। हमें बताया गया कि हमारे जिले में खासतौर से बरा बर बिजली की कटौती होती रही है । जैसे कि अगर कहीं 6 घंटे बिजली मिलती है तो हमारे जिले में औसत अगर लगा लिया जाय तो एक घंटा या डेढ़ या 2 घंटे का औसत पड़ता है । हमें यह बताया गया कि वहां पर बगल वाले जिलों को बिजली ज्यादा मिलती है और जौनपुर में कम मिलती है। तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बात की जांच करा लें कि वहां बिजली कम क्यों मिलती है ? बिजली की कमी है सारे प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं हैं और यह बात आंकड़ों से भी साफ जाहिर हो जाती है, जो भी स्थिति हो बिजली की कटौती समान रूप से लागू करें ।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि यह जो आपका इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड है उसकी वजह से भी बड़ी परेशानी है । मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर आपसे कुछ कहना चाहता हूं । भारत में ट्रांसफारमर्स की कमी की बात कही जाती है । ट्रांसफारमर्स कहां जाते हैं, मैं आपको बताऊं। यह जो आपका विद्युत् बोर्ड है, यहां पर जितने बड़े अधिकारी हैं उनकी मिसाल आपको हिन्दुस्तान में नहीं मिलेगी । जो खरीद फरोख्त की जाती है उसमें घपले होते हैं । आप अगर इसकी जांच करें तो आपको मालूम होगा । जो ट्रांसफारमर्स की कमी है उसका एक कारण आपकी खरीद की जो पालिसी है, वह भी है ।

एक नमूने को मैं आपको बताना चाहता हूं । बिहार सरकार की एक फैक्ट्री जो कि ट्रांसफारमर्स बनाने की एक फैक्टरी है, यहां ट्रांसफारमर्स देने के लिये टेंडर दिया । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके मैनेजिंग डाइरेक्टर जो कि केन्द्रीय सरकार के स्वयं एक अधिकारी रह चुके हैं और आज बिहार सरकार काम करते हैं और ट्रांसफार्मर फैक्टरी के मैनेजिंग डाइरेक्टर ह, सात दिन तक यहां रहे । वह सौभाग्य से मुख्य मंत्री के जिले के रहने वाले हैं । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह बड़े अफसर 7 दिन तक कोशिश करते रहे कि इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड के चेयरमैन से उनकी मुलाकात हो जाय, परन्तु मुलाकात नहीं हुयी । एक मंत्री न इंटरवेंशन किया और चेयरमैन से कहा कि 7 दिन से अधिकारी पड़े हुये हैं और आप उनसे केवल मिल लें । आपको जानकार आश्चर्य होगा कि उनके इंटरवेंशन के बावजूद भी उनकी मुलाकात चेयरमैन से न हो सकी । दूसरी छोटी छोटी कम्पनियों को ट्रांसफारमर्स के आर्डर दे दिये गये । करोड़ों रुपयों के टेंडर थे । चूंकि वह बिहार सरकार के अधिकारी थे इसलिये उनको टेंडर नहीं दिया गया । अभी मुश्किल से 15 दिन हुये मेरी उनसे मुलाकात हो गयी । उन्होंने बताया कि साहब, जिस रेट पर ट्रांसफारमर्स के आर्डर दिये गये हैं वही रेट उन्होंने भी कोट किया था लेकिन न जाने क्यों उनको टेंडर नहीं दिया गया ।

मैं अधिष्ठाता महोदया के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह इस बात का पता लगायें कि ऐसा क्यों हुआ ? जो अधिकारी आपके नीचे हैं उनकी वजह से पूरी सरकार बदनाम हो रही है । यह बदनामी आपके सूबे के बाहर भी फैलेगी । जब यह लोग बिहार या दूसरे प्रदेशों में जायेंगे और वहां पर ऐसी बातें कहेंगे तो उसका असर क्या पड़ेगा । मैं अपनी बात को बहुत लम्बी चौड़ी नहीं करना चाहता हूं मैं फिर कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

अधिकारियों पर आप निगाह रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने यह कदम गिनाये हैं उनके सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने यहकहा है कि नलकूपों के लिये और देहातों के लिये बिजली आप बढ़ायेंगे, मैं एक प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अलग अलग जिलों के लिये अलग अलग आदेशजारी किये गये हैं ? यहां जौनपुर जिले में काश्तकारों से यह बताया जा रहा है कि सितम्बर तक कोई बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक और कहते हैं कि सारे लोगों को और नलकूपों को बिजली दी जायेगी।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बिजली के संबंध में कटौती और कमी का जो वक्तव्य दिया गया है उसको पढ़ने और सुनने से मुझको बड़ी निराशा हुई है और बड़ा दुख भी हुआ है। एक तरफ तो यह बात सही है कि मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बात को छिपाया नहीं है, जो असलियत है उसे रखा है। परन्तु जो कटौती और कमी की गई है उसकी जिम्मेदारी किस की है, उसको कौन पूरा करेगा। चाहे सत्ता में वह दल बैठा हो या इस तरफ के जो सदस्य बैठे हैं सभी यही कहते कि इस कमी और कटौती की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस प्रकार सतारूढ़ दल के यदि मुख्य मंत्री इधर बैठे होते वे भी तथा विरोधी पक्ष के लोग सभी इस बात को सही जानकर कि जो बिजली की कमी और कटौती है आखिर यह कैसे पूरी की जा सकती है। यह तो व्यवस्था की बात है। यहां सिद्धांत और नियम की बात है।

आज पूरे प्रदेश म बिजली की परेशानी है। जहां भी बिजली है वहां व्यवस्था की गड़-बड़ी है। बड़े किसानों को बिजली जल्दी मिल जाती है। परन्तु छोटे किसानों को बिजली नहीं मिलती है। बड़े किसानों को डाइरेक्ट लाइन बहुत जल्दी मिल जाती है परन्तु छोटे किसानों को कहा जाता है कि अभी बिजली की कमी है अतः बिजली नहीं मिलेगी। इसी प्रकार बड़े किसानों को कई-कई घन्टे तक बिजली मिलती रहती है जबकि छोटे किसानों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। इसी प्रकार छोटे किसानों के पुराने रजिस्ट्रेशन के कारण भी लाइन काट देते हैं और उसी के आधार पर बड़े किसानों को नये कनेक्शन दे दिये जाते हैं। ये सब गड़बड़ियां दूर की जानी चाहिये। मैं बता देना चाहता हूं कि जहां पूंजी है उसका ठीक ढग से बटवारा होना चाहिये। जहां असली पूंजी है उसकी व्यवस्था में जो गड़बड़ी होती है उसमें सुधार होना चाहिये। इस प्रकार छोटे किसानों के कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन नहीं कटना चाहिये तथा गरीब किसान को जो नये कनेक्शन पाने में देरी होती है वह नहीं होनी चाहिय।

छोटे उद्योग धंधे करने वाले जो लोग हैं उनकी बिजली की व्यवस्था में उनके साथ बेईमानी होती है लेकिन बड़े उद्योग पतियों तथा बड़ी मिलों को ज्यादा मात्रा में बिजली दी जाती है। यही नहीं इनको सस्ती दरों पर बिजली दी जाती है। बिड़ला तथा अन्य बड़े-बड़े पूंजीपतियों को डेढ़ या पौने दो पसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है। जबकि यहां पर लगभग 35 पैसे से 52 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली सामान्य उपभोक्ताओं को दी जाती है। व्यापारियों के बारे में बता देना चाहता हूं कि बड़े व्यापारियों को सस्ते दर पर बिजली दी जाती है। तथा उनकी बिजली की कटौती भी कम होती है जबकि छोटे रोजगारी को बिजली दी ही नहीं जाती है। हमारे आजमगढ़ जिले को अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री जी जानते हैं जो मुबारकपुर है जिसको आपने देखा है जहां से मैं चुनकर आया हूं वहां बिजली के लिये लोग तड़पते रहते हैं।

मैं इस काल के पहले की बात भी कहना चाहता हूं जब पंडित कमलापति त्रिपाठी जी

---

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री थे, मैं बार-बार कहता था कि बिजली नहीं मिल रही है,बुनकर लोगों को परेशानी है, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, बिजली की मात्रा बढ़नी चाहिये । यह होता था कि कहीं पर बिजली शहर में 18 घन्टे मिलती थी और कहीं पर 24 घंटे मिलती थी, परन्तु मुबारकपुर में कभी 6 घण्टे मुश्किल से मिलती थी । हमारे यहां हालत यह थी कि रात के समय बिजली आई और आधे घण्टे भी पानी नहीं चला, खेत तक नहीं पहुंचा लाइन चली गई । जो छोटे-छोटे उद्योग करनेवाले लोग हैं आपको उनको प्राथमिकता देनी चाहिये । बड़े उद्योगपतियों के मुकाबले छोटे किसानों, गरीब किसानों जिन्होंने कर्जा लेकर सिंचाई की व्यवस्था कराई है, उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। उसी तरह मैं साफ बता देना चाहता हूं कि बड़े-बड़े मिनिस्टर लोग, बड़े-बड़े आफिसर लोग एक तरफ अपनी सुविधा के लिये ज्यादा बिजली खर्चा करते हैं लेकिन दूसरी तरफ गरीब कर्मचारी का बेटा पढ़ने के लिये बिजली नहीं पाता है, उसका कनेक्शन बराबर कटा रहताहै, लेकिन जो पूंजी-पति हैं उन पर चाहें कितना ही बिजली का पैसा बाकी रहे उनका कनेक्शन नहीं कटता है क्योंकि वह हाईकोर्ट में जाकर आपको भी मजबूर कर देते हैं, लेकिन गरीब बेचारों का अगर थोड़ा सा पैसा बाकी रहा तो कनेक्शन काट दिया जाता है ।

यही नहीं आपके प्रशासन की कमजोरी है कि ट्रान्सफार्मर चोरी रोजना जा रहे हैं, प्रदेश का नुकसान हो रहा है । हम बार-बार अधिकारियों से कहते हैं कि ट्रांसफारमर लगाओ जहां जनता उनकी रक्षा कर सके, गांव के करीब लगाओ, ऐसे स्थानों पर लगाओ जहां देखरेख हो सके । हालत यह है कि आपके शासन में 6–6 महीने ट्रान्सफामर चले जाने के बाद नहीं लगाये जाते । चाहे कोई भी सरकार हो शासन व्यवस्था की उलाहना विरोधी दल ही दे सकता है । मैं किसी भूतकाल के शासन की बात नहीं करता, मैं तो वर्तमान सरकार से कहूंगा और वर्तमान मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आपसे हम लोगों को बड़ी आशायें थीं, हम लोग बार बार यह कहते थे कि उत्तरप्रदेश में 425 लोग चुनकर आये हैं क्या कोई इस तरह का आदमी नहीं हो जो मुख्य मंत्री बनकर यह काम कर सके । तो आपको दिल्ली से भेजा गया । आपको बहुत बड़ें कदम उठाने होंगे, प्रशासन को ईमानदारी से चलाइये, हर आदमी आपको मानेगा । अभी शुरुआत का मामला है और कहीं कच्चा साबित हुआ तो उसी तरीके से आपकी दुर्गति होगी जो भूतकाल के मुख्य मंत्रियों की हुई है ? मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि मऊ में जो पावर हाउस है वह 15 मेगावाट की क्षमता रखता है जो हमारे जिले में पड़ता है चार टरबाइन उसमें लगी है जिनमें एक चलती है और तीन बन्द हैं । अगर आप उन चारों टरबाइन्स को चालू कर दें तो आजमगढ़ की बिजली की समस्या हल हो सकती है । यही नहीं कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि तीन जिलों की, गाजीपुर, बलिया, और आजमगढ़ की समस्या हल हो सकती है । आजमगढ़ हमारा बड़ा गरीब जिला है । यहां छोटे-छोटे किसान बसते हैं । उनकी माली हैसियत बहुत कमजोर है । यह बुनकरों का जिला है । यहां हरिजनों की काफी संख्या है । अगर बिजली का मामला हमारे यहां कमजोर रहा तो हमारा जिला भूखा मर जायगा । यही मेरा निवेदन है कि इस जिले की ओर आप विशेष ध्यान दें । मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट (जिला इटावा)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर एक छोटे विधायक को भी बोलने का अवसर दिया ।

श्री अध्यक्ष––

विधायक सभी बराबर हैं । न कोई छोटा है, न कोई बड़ा ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट––

यह बिजली की समस्या बहुत दिनों से प्रदेश के सामने है और इसके समाधान के लिये जब से हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी आये हैं प्रयत्नशील हैं । इस सदन में बहुत से माननीय सदस्य

[श्री गौरीशंकर एडवोकेट]

बोले लेकिन मुझे दुःख है कि टीका टिप्पणी करने से पहले उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य की प्रथम पंक्तियों को नहीं पढ़ा जिनमें यह निवेदन किया गया है कि बिजली बहुत कुछ डिपेंड करती है पानी पर और पानी का स्तर कहां से पूरा होता है । वह पूरा होता है आसमान से जब वर्षा होती है । यह तो हो नहीं सकता कि कोई भी विरोधी दल का सदस्य या इस सदन का सदस्य एक बड़ा बांस लेकर आसमान में चला दे और कहे कि पानी बरस जायेगा । इसलिये अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इस परिणाम पर आते है कि बिजली का उत्पादन प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करता है । रिहंड डैम जिसकी गहराई 880 फिट है उसमें 834 फिट तक ही पानी का तस्र रहा और इस प्रकार उसमें पानी का पूरा स्तर न होने के कारण बिजली का उत्पादन कम हुआ । बिजली ऐसी चीज है जिस पर सभी चीजें निर्भर करती हैं । हमारे विरोधी दल के साथियों का एक बहुत बड़ा नारा चुनाव के दौरान आया था. . . .

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, इनसे चुनाव परन बुलावायें । आप सरकारी पक्षके सदस्यों को इसलिये टाइम देते हैं कि समय नष्ट हो ।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य पहली बार खड़े हुये हों बोलने के लिये, उनको जरा धीरज से सुन लें ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

जिस तथ्य को लेकर कहा गया चुनाव के जमाने में कि "यह देखो इन्दिरा का खेल, खा गयी शकर, पी गयी तेल" उसी तथ्य के ऊपर कहना चाहता हूं कि आज शक्कर के कारखाने बिजली से चलते हैं, दूसरे कारखाने बिजली से चलते हैं, बिजली ऐसी शक्ति है कि देश और प्रदेश के 80/90 प्रतिशत विभाग बहुत कुछ उसी बिजली पर ही निर्भर है । अतः हमारे विरोधी पक्ष में बैठने वाले साथियों से निवेदन है कि वे भगवान इन्द्र से जरा करीब हैं । वे उनसे प्रार्थना करें कि हमारे देश और प्रदेशों में (पांच प्रदेशों में जहां पानी की संकट पड़ा), कम से कम हमारे प्रदेश में तो जरूर, इन्द्र भगवान इतनी वर्षा कर दें कि हमारे यहां जलस्तर पूरा हो जाय और बिजली संकट आसानी से हल हो जाय ।

दूसरी बात जो हमारे साथी कहते हैं कि आज बहुत बिजली संकट है, उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि आज से 5/10 साल पहले बिजली का कितने कम स्थानों में इस्तेमाल होता था और आज कितने कितने स्थानों में होता है । आज से 10 साल के पहले का गांव पंखे में नहीं सोता था, आज से 10 साल पहले का विद्यार्थी बिजली के बल्ब से नहीं लालटेन से अध्ययन करता था, आज से 10 साल पहले गांव के लोग बिजली से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे । कहने का मतलब यह कि आज बिजली से बनने वाली चीजें गांव-गांव में फैल गयी है, और फलस्वरूप बिजली का इस्तेमाल पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है और इसीलिये भी यह बहुत बड़ा बिजली संकट आया है ।

एक बात मैं आज मुख्य मंत्री जी का ध्यान विशेषरूप से आकृष्ट करते हुए यहां अर्ज करना चाहता हूं कि आपके जमाने में जितनी द्रुत गति से बिजली संकट में सुधार हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ । लेकिन फिर भी प्रशासन में कहीं-कहीं कमी अवश्य है कि जिस कारण हमारे विरोधी साथियों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, उदाहरण के लिये, जैसे ट्रांसफार्मर की चोरी होती है या मशीनरी को जो कमी आदि है । इन सभी बातों के ऊपर सरकार को निगाह रखना जरूरी है । दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं (अजीतमल क्षेत्र) वह हमशा चुप रहा है लकिन धैर्य की भी कोई पराकाष्ठा होती है । 25–26 साल तक वहां कुछ

नहीं हुआ। यह ऐसा क्षेत्र है कि जहां चम्बल, जमुना, क्वारी और सेंध तथा पहूंज, ये पांच नदियां एक स्थान पर आकर मिलती हैं, जिसको पंचनदा कहते हैं । यहां चौरेला, सिंडौस, कचहरी, कारयावली, नोमरी, जाजेपुरा गढ़ी मंगद, विंडवा, जुहीखा और बोघलपुर आदि गांव इस इलाके में पड़ते हैं यह क्षेत्र भिंड से मिला हुआ है और मध्य प्रदेश का बार्डर है । जुहीखा और बोघलपुर पर एक अगर पुल बना दिया जाय तो मध्य प्रदेश से यह कनेक्ट हो सकता है । यहां पर य जो पांच नदियां मिलती हैं, उनकी इस अथाह जल शक्ति का सही इस्तेमाल हो सकता है, यदि वहां बांध बना दिया जाय । इससे बिजली संकट में अवश्य कमी होगी ।

मुझे खुशी है कि हमारे उस दल के साथियों में जिसमें चौधरी चरण सिंह जी भी हैं, जोकि हरिजन रूपी मुर्गियों को सदा हलाल करते रहे हैं, इस समय बुद्धि का विकास हो गया है और व हरिजनों के बारे में बात करने लगे हैं । यह इसलिये है, क्योंकि इस वक्त चौधरी साहब हाउस में नहीं हैं । इसी कारण उस दल के लोग इस वक्त हरिजनों के बारे में बात करन लगे हैं।

आज मुझे खुशी है कि उनके दिल में हरिजनों के प्रति प्यार जाग उठा है । उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बिजली क संकट को बहुत कुछ सुलझाया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

कितनी देर तक बहस चलेगी । सदन का समय 15 मिनट तो आप बढ़ा ही सकते हैं लेकिन कुछ अन्दाजा हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--

साढ़े 5 बजे तक खत्म कर दिया जायगा ।

*श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं चुनाव के पहले यह सोचता था कि सरकार बदलेगी । यह भी सुना था कि मुख्य मंत्री महोदय जो निहायत ही अच्छे ढंग से बातों को पेश करते हैं, विरोधी दल के नेताओं पर उनकी बातों का असर होता है । एक तरफ इस विजली की कटौती के बावजूद भी सर्दी का असर और दूसरी तरफ मुख्य मंत्री के भाषण का असर और उसका अन्जाम सदन में विरोधी पक्ष के इस छोटे दल के सदस्य भुगतते हैं । मैं क्या समझूं कि सत्ता पद के अन्य विधायक और मुख्य मंत्री कि मिसिल मिली-जुली है ? अन्य पार्टी के लोग बिजली पर अगर अलग-अलग बातें रखें तो ठीक है लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को जिन पर सारे उत्तर प्रदेश का भार है, सत्य पक्ष को ईमानदारी के साथ सदन में रखना चाहिये ।

इस भाषण में एक बात मिली केवल बुनकरों की । मैं एक बात पूछना चाहता था लेकिन लघु उद्योग मन्त्री जी सदन में मौजूद नहीं है । वे कभी-कभी वहां भाषण देने जाते थे जब मंत्री नहीं थे । मैंने ओम प्रकाश जी का भाषण सुना तथा अन्य एक सदस्य की बात सुनी । अजीब सी बेमेल सी बातें दोनों के भाषणों में थीं । इसमें सवाल है उत्तर प्रदेश के बुनकरों के कसबे की बात । सत्य बात कहनी चाहिये ताकि बात समझ में आ सके । इतना बड़ा प्रदेश है । हम यहां कूलर में बैठे हैं जब कि बुनकरों से लेकर किसान तक सब आग में झुलस रहे हैं तथा खेत भी झुलस रहे हैं । टांडा, मऊनाथ भंजन, अकबरपुर, आदि कुछ स्थानों का जिक्र है । 250 पावर लूम जहां हैं वहां 18 घंटे बिजली आयेगी । इसमें सब कसबे 250 पावर लूम के हैं ? लघु उद्योग मंत्री नहीं बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जिस कस्बे से मैं आया हूं उसके मुकाबले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भगवती प्रसाद]

अकबरपुर में कम पावर लूम है लेकिन वहां 18 घंटे बिजली आती है । मुस्लिम पापुलशन जो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं । टांडा में 18 घन्टे बिजली दी जाती है जलालपुर में पावरलूम ज्यादा हैं--वहां बिजली कितनी दी जाती है--1 घन्टे ।

हरिजनों की पोषक समाजवादी सरकार 8- मील से बुनकर काम करने आते हैं, पावर न मिलने से वापस चले जाते हैं । तो मैं चाहूंगा कि मानतीय मुख्य मंत्री जी सत्य से परे अधिक बातें न कहें । हमारे कथाकार मुख्य मंत्री करोड़ों की आबादी के, जो इस प्रदेश के गांवों में बसती है, रहनुमा होने चाहिये। वे कथाकार ज्यादा हैं। आज की मौजूदा परिस्थिति में बिजली और मानव का अटूट सम्बन्ध है । जो जीवनोपयोगी वस्तुयें है वे बिजली से बनती हैं । दिल्ली की पार्लियामेंट से लेकर इस प्रदेश की विधान सभा तक एक हमारी निगाहों के सामने हमारी रेंजीडेन्स में, मिनिस्टरों के बंगले में और यहां की रोशनी 5 साल तक हम लोगों के दिमाग में रही तो मैं समझता हूं कि उस कुर्सी पर बैठने और नाटकीय ढंग से हर बात को पेश करने वाले हमारे मुख्य मंत्री सत्य से परे अधिक बातें न कहें । हमारे बड़े-बड़े नेता भी उनकी बातें सुनते हैं लेकिन हमको तो घुटन हो जाती है। जनता से वास्तविक सम्पर्क करें । आज प्रदेश में बिजली की कमी है, खाद की कमी है, साबुन की कमी है, मगर हम विरोध पक्ष के लोगों को थोड़ा मुतमैन कर दिया करें । हम लोग भी चुनकर आये है । मुख्य मंत्री जी ही केवल इलाहाबाद से लेकर सभी सदन के माननीय सदस्य करोड़ों जनता से चुनकर आये हैं । हम यहां पर 25 रुपया रोज और 500 रुपया माहवार पाते हैं और मुख्य मंत्री . . . . । लेकिन हम जनता को भुला देते हैं । (लाल बत्ती होने पर) । आपने लाल बत्ती कर दी । इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रदेश की जनता की रहनुमाई करनी चाहिये । सत्य से परे सभी बातें नहीं करनी चाहिये ।

(विरोध पक्ष की तरफ से कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगर एक माननीय सदस्य को समय देता हूं तो सभी को देना पड़ेगा ।

एक सदस्य--

एक एक मिनट का समय दे दीजिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य प्रश्न कर लें मैं जबाव देने की कोशिश करूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह भी ठीक हैं । चर्चा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिये आप लोग प्रश्न कर लें और उनका जवाब मुख्य मंत्री जी से ले लें । अब श्री बांकेलाल ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं और कुछ निवेदन नहीं करना चाहता, केवल इतना विवेदन है कि जितनी देर तक आप बिजली किसानों को दें, उसके लिए एक निश्चित समय कर दें कि इतनी देर तक बिजली दी जाएगी । इतने घंटे तक इस समय से इस समय तक किसानों को बिजली दी जायगी । यों तो आपका निश्चित समय नहीं रहता है, जब जी चाहा बिजली आई नहीं तो नहीं ।

दूसरी बात यह कहनी है कि किसानों को 37–38 पैसे पर यूनिट बिजली का चार्ज देना पड़ता है और बड़े उद्योगपतियों को आप बहुत कम में बिजली देते है, जैसे बिड़ला और टाटा को आप 1.99 पैसा प्रति यूनिट बिजली देते हैं। इसकी बजह में आप से जानना चाहता हूं। आप अपने भाषण में इसकी सफाई कर दीजिएगा, बस यही निवेदन है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)––

मैं मानतीय मुख्य मंत्री जी से यह पहला निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 1700 मेगावाट की खबर उनक अधिकारियों ने दी है, मेरा कहना है कि वह गलत है। आपके पास 1 हजार मेगावाट ही है और आपकी आवश्यकता 3200 मेटावाट की है, क्योंकि आपने इन आंकड़ों में उन परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा है, जिसमें आपके संयंत्र खराब हो जाते है या संयंत्र बदलत समय आपको जो जरूरत है या दुरस्त करते समय रिजर्व इस्तेमाल पे किया जा सके। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अधिकारियों से, इसे मद्देनजर रखते हुए पुनः सरकार जांच करवा ले।

नबंर दो किसानों को जो बिजली दी जाली है उसमें क्या कठिनाई है कि वह सुबह 4 बजे से लेकर 10 बज तक देना सम्भव नहीं है।

नम्बर 3, जो बिजली न देने के सम्बन्ध में आपने प्रतिबन्ध लगाये हैं, क्या उसके बादभी शासन ने स्वयं और मंत्रियों ने सिफारिश करके ऐसे कामों के लिये बिजली दिलाई है लोगों को, जिस कामों के लिए बिजली न देने के लिये आपने अपने वक्तव्य में चर्चा की है। मेरा इस संबंध में कहना है बावजूद मेरे पत्र जो चीफ इंजीनियर और सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर को सम्बोन्धित था और जिसकी प्रति शासन के पास भी भेजी थी, जो परस्थिति है उसमें प्रदर्शनी लगवाने के लिए आप क्यों बिजली दे रहे है। गोरखपुर में बावजूद इस प्रतिवेदन के वहां के स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रार्थना रेजेक्ट करने के बावजूद भी, यहां के अधिकारियों ने उसको बिजली दी है। तो क्या कारण है कि उन प्रतिबन्धों का स्वयं आपके द्वारा पालन न करने का ?

चौथी बात यह है कि जो बिजली की कमी है और जब सरकार को मालूम हो गया कि जो संयंत्र इस्तेमाल किये गये और जिन्होंने मशीनरी खरीदी, उन लोगों के बारे में कोई जांच सरकार कराके इस बात का पता क्यों नहीं लगाती कि जितनी हमारी क्षमता है, उसको पूरा करने के लिये आगे और कोई गड़बड़ी न हो, और इसका कोई रास्ता निकाला जा सकें।

श्री अध्यक्ष––

यह तो लम्बा प्रश्न है। सवालों को दोहराइये नहीं।

श्री मुहम्मद मसूद (जिला आजमगढ़)––

जो बिजली दी जाती है वह रात को कभी दिन को, वक्त बदलता रहा है। तो क्या इसके वास्ते कोई कमेटी बनायी है जो वक्त मुकर्रर करती है ? यह कैसे होता है कि जाड़ों में रात को कर दिया, यह मुनासिब नही मालूम होता है। (व्यवधान) दूसरे यह कि जब सिर्फ छः घंटे बिजली देते हैं तो यह देखा गया है (व्यवधान) क्यों, आप यह तय करेंगे मुझे सवाल करने दीजिये। जब आप छः घंटे बिजली देते हैं, वह ६ घंटे भी बिजली नहीं मिलती है, स्टेशन वाले ऐसी गड़बड़ी करते हैं? सिर्फ एक घंटा या दो घंटे ही मिलती है। स्टेशन वाले यह चाहते हैं कि किसानों के ऊपर दबाव पड़े तब सालाना या महोना मुकर्रर करें, ऐसी सूरत में क्या यह मुमकिन नहीं है कि छः घंटे के दर्मियान एस0डी0ओ0 या किसी और को नियत कर दें बाकायदा टूर करता रहे इलाके में।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर जो तीन पये प्रति हार्स पावर टैक्स लगा है सब बिजली आपके पास नहीं है तो उस टैक्स को वापस लेंगे ? दूसरे कि छः घंटे ही बिजली दे रहे हैं तो क्या उसका एक चौथाई हिस्सा ही टैक्स लगायेंगे ? नम्बर तीन जिन जिलों में नलकूपों को बिजली बिलकुल नहीं द रहे हैं वहां वह टैक्स मांफ करेंगे ?

श्री वीरसिंह सेंगर (जिला जालौन)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप का नाम नहीं लिया गया तब कैसे बोल रहे हैं ?

श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आज ज मंत्री जी और शासन गल्ले के मसले में उत्तर प्रदेश में छापा मारन की बात करते हैं ताकि उनको गल्ला मिल जाय गल्ला है नहीं तो गल्ला मिलेगा कैसे (व्यवधान) उसके लिए आज भी है और जो यह भीख मांगने की परम्परा सदैव रही है वह तब खत्म होगी जब बिजली किसानों को दी जायगी। इतना ही नहीं बिजली जो भी दी जाती है रात में दी जाती है किसानों के साथ बड़ी उपेक्षा की जाती है। यदि किसानों से ज्यादा गल्ला पैदा करना है और देश की हालत सुधारना है और भीख मांगने का कलंक देश और प्रदेश से मिटाना है तो निश्चित रूपसे किसानों को दिन में बिजली दी जाय ताकि पानी का जरा सा भी नुकसान न हो। दूसरे इस बात की आवश्यता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली जो उद्योगपतियों को दी जाती है, उद्योगपतियों से कटौती करके बिजली किसानों को दी जाय तब कृषि बढ़ेगी और भीख मांगने से छुट्टी मिलेगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मैं आपके माध्यम से एक जानकारी चाहता हूं कि हरदुआगंज में एक बिजली का स्टेशन है। सरकारी स्थान है। क्या वहां का मेगावाट सेट, फिटिंग, मशीनरी, मय जगह के उत्तर प्रदेश के उद्योगपति श्री मोदी को सरकार ने दे दिया है और दे दिया है तो इसका कारण क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश--

पूरी बिजली नहीं दी जाती है और किसानों के ऊपर मिनीमम चार्ज का प्रतिबन्ध है तो उसको हटा दना चाहिये। जितनी बिजली खर्च की जाय उतना ही चार्ज किया जाना चाहिये।

दूसरे शहर के अन्दर बाजार का समय साढ़े सात बजे तक है और बिजली वाले 6 बजे बिजली बन्द कर देते हैं। इसलिय साढ़े सात से पहले बिजली बन्द नहीं होनी चाहिये।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि जिन दिनों में हरिजन बस्तियों में बिजली के खम्भे लगाये गये और कहा गया कि हरिजन बस्तियों को बिजली दी जायगी बल्कि नय ट्यूब वल लगान क लिय ब्लाकों की राय मांगी गई है और कहा गया कि प्रत्यक ब्लाक में 21/21

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ट्यूबवेल लगेंगे। एक ओर तो नये ट्यूबवेल लगाने की बात कर रहे है और हरिजन बस्तियों में खम्भे लग रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिजली की कमी है तो क्या यह समझा जाय कि आपको बिजली की कमी कब महसूस हुई। चुनाव के बाद या चुनाव से पहले। जिस तरह से अखबारों में वक्तव्य आया करते थे कि बिजली की कमी है तो कौन सी बात सही है ?

श्री वीर सिंह सेंगर--

श्रीमन्, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि प्रदेश में बिजली की कमी चल रही है। छोटे चक्की वाले जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट भरा गया है और 120 प्रति हार्स पावर की गारन्टी देनी पड़ती है। दस हार्स पावर के ऊपर 1200 रुपये देने पड़ते हैं। एक ओर तो बिजली नहीं दे पाते हैं और दूसरी चक्की वालों से 1200 रुपया लेते हैं। इस प्रकार उनको बड़ी परेशानी है। जब तक पूरी बिजली आप न दे तब तक मिनीमम गारन्टी समाप्त कर दी जाय चक्की वालों और पम्पिंग सेट वालों के लिये ?

श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)--

जौनपुर जनपद में बगले में दो जनरेटिंग सेट्स लगाये जा रहे उनको वहां न लगा कर लिपट केनाल में लगाये जांय जिससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके ?

श्री मलखान सिंह (जिला जालौन)--

जिला जालौन के कस्बा कोंच की आबादी 30 हजार से अधिक है फिर ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से उसको बिजली क्यों दे रहे हैं ?

कोंच में छात्रों ने अनशन किया था तो यह आश्वासन दिया गया था कि वाटर वर्क्स को 24 घंटे बिजली दी जायेगी। लेकिन नहीं मिल रही है और पानी का बड़ा भारी संकट है ?

कोंच में बिजली 5 घंटे दी जाती है उसका कोई समय निश्चित नहीं है उसका समय निश्चित होना चाहिये।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)--

अध्यक्ष जी, यह मेरी निजी जानकारी है कि जो नलकूप लग रहे हैं उनको कोई कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। किसी से कहा जा रहा है कि 8 महीने बाद दिया जायेगा और किसी से कहा जा रहा है कि 6 महीने बाद दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो यह कहा जाता है कि नलकूपों को बिजली बरोक टोक दी जा रही है तो क्या यह सही है यदि सही है तो इटावा जिले में नलकूपों को तुरन्त कनक्शन क्यों नहीं दिये जा रहे हैं। अगर सिंचाई के साधन मुहैया न किये गये तो यह खाद्य की समस्या कैसे हल हो सकती है।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ओबरा पावर हाउस जिसमें बिजली का उत्पादन कोयले की कमी के कारण कम हुआ। यहां से 25 किलोमीटर दूर सिंगरौली में कोयला था तो वह क्यों नहीं लाया गया ? उसके लाने का समुचित प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ? दूसरे, अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश में बिजली के चार्जेज अधिक है। तीसरे, बिजली के जो बिल भेज जाते हैं वह निश्चित रकम से अधिक के भेजे जाते हैं जैसे हमने 100 की बिजली का कन्जम्पशन किया तो 500 रु० का बिल भेज दिया जाता है। ये तीन बातें हमारी नोट कर ली जायं।

श्री जफर आजम (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिजली के मीटर्स की चोरी की जा रही है ? उससे सरकार का लाखों रुपय का नुकसान हो रहा है। बिजली की कमी से

[श्री जफर आजमी]

सारी कमियां हो रही है तो क्या सरकार युद्ध स्तर पर कोई कमेटी बनाकर इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जायगा ?

शफीकुल रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जिन ट्रांसफारमर्स की चोरी हो चुकी है वहां पर अभी तक पुराने ट्रांसफारमर्स के स्थान पर नयी लगाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इससे किसान सख्त परेशान है। संभल में, जैसा कि एस० डी० ओ० ने मुझे बताया कि 3 लाख रुपये के ट्रांसफारमर्स चोरी चले गये हैं लेकिन अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। मुझे मालूम हुआ है कि मुरादाबाद में बिजली की कटौती कर दी गयी है। मेरी गुजारिश है कि यहां पर बिजली की ज्यादा जरूरत है क्योंकि बरतन के बनाने का काम यहां पर होता है और यहां का माल फारेन भी जाता है। संभल में सींग का काम होता है। वहां पर भी बिजली देने का प्रबन्ध करें।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि क्या कनहर नदी से नहर द्वारा पानी ले जाकर रिहन्द डैम में डालकर रिहन्द डैम में जो पानी की कमी है उसको पूरा करेंगे। दूसरे लाइनों का जो छीजन 22 प्रतिशत है उसे कम करेंगे। तीसरे, किसानों से जो नलकूप के लिये बिजली लेते हैं उनसे एस्टीमेट का पूरा पैसा लिया जाता था। पहले 4 हजार तक की छूट रहती थी तो क्या 4 हजार तक की छूट पुनः देंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिजली की कमी और उसकी उपलब्धि पर तो अच्छा प्रकाश डाला है। मैं दो तीन सुझाव माननीय मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से देना चाहता हूं पहला तो यह है कि प्रदेश में जो बिजली की चोरी हो रही है उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिये। मुजफ्फरनगर, मेरठ, और सहारनपुर जिले में बहुत गांव ऐसे हैं जिसमें बिजली की लाइनें कई सालों से खींची खड़ी है लेकिन विभाग की तरफ से बिजली उनको नहीं दी गई। जब बिजली गांव में आती है तो डोरियां लगा कर बिजली की चोरी की जाती है। दूसरा जितने फज्यूमर्स हैं चाहे वे एग्रिकल्चरिस्ट्स हों या इंडस्ट्रियलिस्टस हों 75 फीसदी से भी अधिक मीटर रीडर्स की इमदाद से उसमें चोरी करते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके विभाग के जो अधिकारी हैं अगर वह रोक सकते हैं तो इस कमी को किसी तरह से रोकें। तीसरी यह है कि कभी 6 घंटे किसानों को बिजली दी जाती है और कभी 12 घंटे और 18 घंटे। अगर वह नियमित रूप से बिजली मिलती रहे तो भी बहुत वही बात है। मुझे यह बड़ी शिकायत है कि बिजली के लाइन मैन व लाइन इंस्पक्टर्स किसानों को फुसलाना चाहते हैं। जो पैसा देते हैं उनकी फीडर्स ज्यादा चलती हैं और जो पैसा नहीं देते हैं उनकी फीडर्स कम चलती है। इस दुर्व्यवस्था को दूर किया जाना है चाहिये। जितने घंटे किसानों को बिजली दी जाय, कोई ट्रिप आ जाय तो उसको छोड़ शेष पूरे समय नियमित रूप से मिलनी चाहिये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, बिजली के संबंध में जो चर्चा इस सदन में हुई निश्चय ही उससे हमें अपने काम करने में शिकायत मिलेगी ऐसा मेरा विश्वास है। मुख्य बातें जो सब माननीय सदस्यों ने कही हैं उसका अर्थ यह है कि बिजली का संचरन ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो, चले ज्यादा, चोरी कम हो, भ्रष्टाचार उसमें गड़बड़ सड़बड़ करते हैं वह लोग नहीं कर पावें और बिजली की

इस कमी को जल्द से जल्द जो आज उत्तर प्रदेश में है उसको हम दूर कर सकें। मान्यवर, इस संबंध म यह भी कहा गया कि रिहण्ड की प्लानिंग ठीक नहीं हुई और अब उसको कनहर नदी से ोक करन की चेष्टा करनी चाहिये। बड़ी नम्रता से यह कहा गया है कि सावजनिक रूप में रिहन्ड की गलत जांच क सिलसिले म सम्भवतः सबसे पहले मैंने बयान दिया और स्व स्वीकार किया कि हमारी ोजना की वह भूल हुई है और यह भी स्पष्ट कहा है कि इस भूल को सुधारन का कोई आसान रास्ता नहीं दीखता है। पारसाल कनाडा की मदद से कन्द्रीय सरकार यह कोशिश की कि रिहन्ड की जल क्षेत्र में कचमेंट एरिया में बादलों को बरसाने का बन्दोबस्त किया जाय। आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की जाय। दुनिया में इसका विज्ञान कई देशों न पकड़ लिया। थोड़ी-थोड़ी हमार दश में भी उसकी जानकारी हो गयी। लकिन पार साल उन लोगों ने जो उस काम को करने वाले हैं कहा कि कचमेंट एरिया में जो बादल आ रहे है, व सीडेबिल नहीं हैं, बांझ बादल हैं इसलिए बारिश नहीं हो सकी। इस साल यद्यपि हम आशा करत ह कि प्रदेश में ठीक समय पर बारिश होगी, रिहन्द क्षत्र में बारिश होगी लकिन हमने फरवरी क आखीर में और माच के आरम्भ में इस बात की चेष्टा की कि अगर वर्षा न हुयी, भगवान न करे ऐसा हो, कि सूखा पड़े, रिहन्द बांध क्षेत्र में बादल लाने की चेष्टा करें और उसक लिये 10 लाख हमने स्वीकार किया और केन्द्रीय सरकार से कहा है कि इस जलाशय को भरने के लिये वे आर्टिफिशियल रेन्स कराने की कोशिश करें।

कनहर नदी से पानी लाने की बात विभाग ने सोची और गंगा नदी से पानी लाने की बात सोची गयी लकिन गंगाका स्तर बहुत नीचे होने के कारण पानी को ऊपर लाने के लिए बिजली का इतना खर्च हो जायगा कि पैदा होने वाली बिजली से ज्यादा खर्चा हो जायगा। तो परिणाम यह हुआ कि गंगा स पानी लाने का विचार छोड़ दिया। कनहर नदी भी एक बहती नदी है, वह बर्फ से नहीं निकली है, बरसाती नदी है। इस नदी से पानी डालने की योजना के बारे में इरीगेशन विभाग के इन्जीनियर्स से पूछा गया लेकिन बदकिस्मती यह है कि कनहर नदी सिर्फ हमार उत्तर प्रदेश की नहीं है, यह कई राज्यों की हद म पड़ती है, मध्य प्रदेश, बिहार और इन दो राज्यों के साथ वार्ता करने के बावजूद कनहर नदी के पानी क इस्तेमाल की कोई बात बे नहीं पायी। अगर हम अकेले चाहें कि कनहर का पानी लाकर डाल दें तो इन्टरस्टटे डिस्प्यूट खड़ा हो जायगा। कुछ मिलने वाला उसमें नहीं है।

फिर रुपये की भी बात सोची गयी कि कितने लाख रुपया लगेगा। तो जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट्स हमारे इन्जीनियर्स ने तैयार किए उनसे ऐसा लगा कि इसमें बहुत पैसा लगने वाला है और वह पानी भी बरसात पर निर्भर करता है। तो 10 करोड़ रुपये से पानी को रिहन्ड डाम में लाना और अगर बारिश न हुयी तो सूखे की सूखे से लड़ाई चलने वाली नहीं है। इसलिए हमने हिमालय की तरफ देखा और निर्णय लिया कि हम हिमालय के उस क्षेत्र को जो गंगा और यमुना का उद्गम क्षत्र है जहां स व निकलती हैं, बरफ की चट्टानों के सहारे नहीं सैकड़ों वर्ष का जो वहां की बारिश का मापदंड है, यह सोचा गया कि वहीं एक क्षेत्र जहां अथाह जलराशि है, पर बांध बनाया जाय। इसलिए टिहरी में बांध बनाने की एक योजना बना ली गयी है जिसको हमने इस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है और आने वाले बजट में आपको दिखाई पड़ेगा कि इस सिलसिले में कौन कौन से कदम उठाये जा रहे हैं। इसके लिए मैं दोष मानने को तैयार हूं कि 1947 के बाद हिमालय का सहारा न लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरेला, तामिलनाडू की तरह, जहां बर्फ नहीं है, बरसाती नदियों का सहारा लिया गया, जो वाजिब बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की प्लानिंग स्टेटजी निहायत गलत थी और.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिल टिहरी गढ़वाल)--

बहुत अच्छा हुआ जो आपने हिमालय की ओर देखा लेकिन जो बिजली आप हिमालय से पैदा करेंगे, उसमें हिमालय वालों को भी बिजली देंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माननीय गोविन्द सिह जी ने बड़ा उचित प्रश्न पूछा है और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी योजना में, जैसा मैंने कहा, सारी बात खोलने का यह समय नहीं है। कल परसों वह आयेगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि असल उत्तर प्रदेश के अन्दर जो शक्ति है और शक्ति का भंडार है, अक्षुणण भंडार है वह न खतम होने वाला भंडार हिमालय की गोद में है और उससे बिजली पकड़नी पड़ेगी और गोविन्द सिह जी की बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हमारे प्रदेश को जीवन मिलेगा। अगर बिजली लेनी है और एसा भंडार पकड़ना जिसमें कोई कसर, कमी, देर कुदरत लाने न दे और लावे भी तो दूसरे देशों में जिस प्रकार से बरफ को तोड़ते हैं अणु के जरिये से तो अणु की ताकत तो हमने पकड़ ली है। अगर कभी वर्षा फेल कर जाय तो अणु की शक्ति भारत के हाथ में है, उसके द्वारा बरफ तोड़-फोड़ कर हम हजारों साल तक बरफ को बहा बहा कर ला सकते हैं। तो तमाम क्षेत्र हैं।

मनारी भाली, टेहरी का डैम--उस तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि वह बहुत देर की बात है। तो हम कोयले पर भी भरोसा करके बिजली बनाना चाहते हैं। लेकिन कोयले की बिजली पानी मांगती है। ओबरा का सारा पावर कम्पलेन्टस, बिजली की बनावट बहुत जल्द वह एशिया का सबसे बड़ा ताप-घर बन जायगा। कोयले और पानी से बनने वाली बिजली के हजार मेगावाट के सेल्स लगाने की चर्चा भी चल रही है और 300 मेगावाट तो बहुत जल्द आने वाली है इसी महीने में और बाकी 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा आ जायगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ओबरा में सिंघरौली में कोयले से बनावें और एस्टीमेट में दिया गया है कि 400 मेगावाट हम जोड़ना चाहते हैं। यमुना पर कितना बना रहे हैं यह हिसाब भी दिया। राम गंगा का काम पूरा हो गया, सिविल वर्क्स का काम पूरा हो गया। इंस्टारेशंस का काम पूरा हो जाएगा। ढाई सौ मीटर बनाना बाकी रह गया है, उसके बाद पानी लेंगे और गिरायेंगे और चक्का घूमेगा।

लेकिन पहाड़ कच्चा है। अन्दर लोहा और सीमेंट से बनाना पड़ता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आज सुबह बिजली वालों ने वचन किया है कि आशा है कि इस महीने के आखिर तक वह काम सौंप देंगे। इससे ओबरा का तीन सौ मेंगावाट का तापघर, यमुना का और रामगंगा का ताप घर यह मिलाकर हम अपनी पूरी कूबत पैदा कर देंगे। लेकिन हम साल भर तक इन्तजार नहीं कर सकते। ज्योंही मैं आया आज तो कई सदस्य आये। तो वह कोई करिश्मा की बात नहीं है। कई स्टप्स लेने पड़े, लेकिन यह बात सच है कि जो बिजली हमारी बन सकती थी उसकी क्षमता 80 परसेंट स्टेबिल हो गयी है और वह 15 फीसदी ज्यादा है उस बिजली से जो पहले उन्हीं ताप-घरों से बन रही थी। यह कोई कहानी-किस्सा नहीं है। वैसे तो सारा जीवन ही कथा है, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि यह तथ्य और सत्य है और माननीय सदस्य अगर पसन्द करेंगे तो असेम्बली का सेशन समाप्त होने के बाद में सर्वदलीय-दो प्रतिनिधि सब दलों से कहूंगा कि दे दीजिये जो कि उत्तर प्रदेश के हर बिजली घर में जाकर खद विवेचना कर लें कि यह खुली किताब है। इसमें एक पार्टी और दल का सवाल नहीं है, भविष्य का सवाल है। ठीक कहा था भाभी जी ने कि बिजली जीवन है और हमारी आशा है। अगर बिजली नहीं होती है तो उत्तर प्रदेश का कोई भविष्य भी नहीं है। उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत चर्चा उठाई गयी, सब का जवाब इतने थोड़े समय में दिया नहीं जा सकता पर चन्द बातों को मैं जरूर जिक्र करूंगा। इसके माने यह नहीं है कि जिन माननीय सदस्यों का मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं उनके प्रति मेरी कोई अनादर की दृष्टि है। भाभी जी ने कहा कि छोटे-छोटे पावर स्टशन की तरफ नजर नहीं डाल रहे हैं। मऊ का 12 मेगावाट का है। जबसे मने कार्य भार संभाला है उस छोटे पावर स्टशन की परवाह ही नहीं करते और बड़े-बड़े पावर स्टेशन की सोचते हैं। सोहावल, मऊ, गोरखपर, चन्दौसी, वह चलें या न चलें, इनसे क्या बनने बिगड़ने वाला है। तो जो बहुत सी चीनी मिल बन्द हो गयी हैं उनम से तीन ऐसी थी जिनको अगर हम.

कोयला दें तो बिजली मिल सकती थी। तो उनको हम कोयला दे कर बिजली बनवा रहे हैं कि चीनी बनानी बन्द कर दी लिहाजा बिजली बनाओ।

एक बड़ा भारी चार्ज लगाया गया कि आपने तो बिजली के पुराने संयन्त्र मोदी को दे दिया। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता। मोदी को ही नहीं दिये गये, कई और लोगों को भी दिये गये पर क्यों दिये गये, वह भी आपके सामने कहना चाहता हूं। 16 सितम्बर, 1967 को एक खत आता है केन्द्रीय सरकार की तरफ से, सेन्ट्रल वाटर बोर्ड की तरफ से, अंग्रेजी में है, जिसमें उन्होंने कहा है :—

"You may Kindly examine if all the genrating units would have to be retired during the fourth Plan and, of so, tentatine plan of retirement yearwise be indicated But it is desirable to spread retirement as uniformally as possible during the 4 years 1967-68 to 1970-71."

उन्होंने लिखा कि आपके जो बिजली घर बूढ़े हो चले हैं को रिटायर करना जरूरी है, और उनको रिटायर करना है उनको 66–67 से 70–71 के बीच कर दीजये। जब मैं कहता हूं कि यह पुरानी बात है तो मैं यह इसलिये नहीं कहता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाभी जी ने कहा कि मैं तो तुमसे ही पूछूंगा। ठीक है, आप मुझसे ही पूछेंगे लेकिन मैं भी तो वही जवाब दूंगा जो वास्तविकता है। अब कौन से सेट बेचे गये, कौन से रिटायर किये गये। उदाहरण के लिये मोदी का ही आप ले लीजिये। जो मोदी को दिया गया है हरदुआगंज में वह कब आया और कितना पुराना सेट है। इसके सिलसिले में मैं दो चीजें आपको बता दूं। यह स्वयं एक पुराना सेट था। यह मशीन पहले बंगाल में भाटयारा नामक स्थान पर काम कर रही थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां से उखाड़ कर यह हरदुआगंज में 1943 में आयी। इसकी उम्र अब 50 वर्ष से ऊपर हो चली थी और इससे बनने वाली बिजली का दाम बोर्ड को इतना ज्यादा पड़ रहा था कि बोर्ड समझता था कि उसका खर्चा उससे नहीं उठाया जा पायेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक बात मैं आपसे कह दूं कि यह बोर्ड मुनाफा करने के लिये बनाया भी नहीं गया था लेकिन अगर इसकी बिजली का दाम एक रुपया यूनिट पड़े और 37 पैसे में वह बेचे तो आडिट आब्जेक्शन होगा कि कास्ट प्राइस से कम पर कैसे बिजली दे रहे हैं। आप पूछ रहे हो कि मोदी कैसे बना रहे हैं। तो मोदी को अगर 1 रुपये यूनिट बिजली पड़े तो मोदी के यहां जो चीजें बनती हैं उनको अगर बिजली मिलती रहे तो अच्छा है बजाय इसके कि बिजली न मिले और फैक्ट्री बन्द हो जाय। तो आप देखेंगे कि ऐसे ही सेट रिटायर किये गये। 1967–68 में एक लिस्ट बनायी गयी। उस लिस्ट के मुताबिक हमने टेन्डर्स निकाले। टेन्डर्स में जिसका हाइयस्ट पैसा निकला उसको दिया। उत्तर प्रदेश की बाहर की किसी पार्टी को हमने नहीं दिया, यद्यपि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी ने कहा कि हम 22 लाख देंगे, और उत्तर प्रदेश के बाहर की एक पार्टी ने कहा कि हम 36 लाख देंगे, तो हमने यू0 पी0 वाले से कहा कि तुम 36 लाख दो और इसको ले लो। कलकत्ते की एक सेलन्ट्र जूट मिल 36 लाख देना चाहती थी। हमने कहा कि यू0 पी0 के अन्दर ही बिजली देंगे। बाहर नहीं जाने देंगे।

यह भी कहा गया कि मोदी को जगह मुफ्त में दे दी गयी, 300 क्वार्टर दे दिये गये। मैं कहता हूं कि एक भी क्वार्टर नहीं दिया गया। जो मकान दिया गया है वह वही दिया गया है जिसमें कि वह तापग्रह बना हुआ था। हम मोदी से उसका 50 हजार पया सालाना किराया भी ले रहे हैं। फिर यह उसी की बिजली है जो यहां आ रही है। जो खर्चा है, लास वगैरह है, वह हम वसूल कर रहे हैं। अब हम और आप एक बात को अच्छी तरह से समझ लें। उद्योगपति जब तक हैं तब तक उनसे बात करना पड़ेगी, इनसे काम लेना पड़ेगा। जब यह सब समाज के हाथ में आ जायेंगे, मुझ से ज्यादा प्रसन्नता किसी को नहीं होगी, मगर ऐसा दिखता नहीं कि अभी हो पायेगा।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

एक बात चोरी की कही गयी कि बिजली चोरी बहुत होती है। हमारे मित्र वीरेन्द्र जी ने भी कहा। मैं कहता हूं कि एक भी माननीय सदस्य ने ऐसी बात नहीं कही है जिसमें वजन न हो। अब तक सारे प्रदेश में बिजली का जो इन्तजाम था उससे यह पता नहीं चलता था कितनी बिजली जेनरेट हो कर आयी। इसका कोई हिसाब नहीं रहता था। अब हमने सारे प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया है और हर जगह एक एक मीटर लगा दिया है जिससे यह पता चलेगा कि उस क्षेत्र में कितनी बिजली जेनरेट हो कर आयी। उसके बाद हम देखेंगे कि उस क्षेत्र में जो बिल बने हैं व कितनी बिजली के बने हैं। उससे हमें यह पता चल सकेगा कि कितनी बिजली की चोरी हुई है। लकिन इतन बड़ प्रदेश के लिये हम कोई भी निर्णय लेंगे और कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ समय अवश्य लग जायेगा। हमें आशा है कि आपके सहयोग हमें आगे अपना काम करने में आसानी होगी।

इसके अलावा हमने सारे भारतवर्ष का हिसाब निकलवाया कि कहां कहां कितना लाइन-लास होता है। कितने कैपीसीटेर्स लगे हैं। अन्य प्रदेशों में जो लाइन-लास होता है वह इस प्रकार है --आन्ध्र में 24.77 परसेंट, आसाम में 17.87 परसेंट, बिहार में 23.58 परसेंट, जम्मू-काश्मीर में 21.00, हरियाणा में 27.39, केरल में 12.17 परसेंट, मध्य प्रदेश में 14 परसेंट है, उनके यहां भी लाइन लासेज कम हैं। महाराष्ट्र में 13 परसेंट, पंजाब में 35.46 परसेंट। केरल की जो आबादी है वह काफी घनी है। सौभाग्य से वहां मुझे जाने का अवसर मिला है। वहां एक गांव के बाद दूसरा गांव बहुत नजदीक नजदीक हैं। बिजली की लाइन वहां बहुत छोटी छोटी हैं। घनी आबादी है। इसलिये लाइन लासज वहां कम हैं। यहां एक तरफ से चलिये तो दूसरे ट्यूबवेल तक चलते जाइये। बड़ी लम्बी लम्बी लाइन हैं। एक्सटेंडेंट लाइनें हैं इसलिये यहां पर लाइन लासेज काफी होते हैं। उत्तर प्रदेश में लाइन लासज 23 परसेंट हैं ऐसा हमारा प्रयास है।

सदस्य कहते हैं कि बड़ा नुकसान होता है तो मैं कहता हूं कि यह नुकसान सबका है, सारे प्रदेश का है, हमारी 9 करोड़ 35 लाख जनता का है। अगर हमको फायदा होता है तो वह फायदा हम सबका होगा। कहा जाता है कि ट्रांसफारमर्स की चोरी होती है। बात सच है कि चोरी होती है। गांवों में ट्रांसफारमर्स गांव से बाहर दूर लगे होते हैं। इसलिये उनकी तथा तांबे के तारों की चोरी होती है। उनको देखने वाला कोई नहीं होता। इन चोरियों में कर्मचारी भी शामिल होते हैं क्योंकि एक्सपरटाइज की मदद तो चोर को मिलनी चाहिये तभी वह चोरी कर सकता है। एक तो गांवों में ट्रांसफारमर्स की चोरी होती है और दूसरे 25 हजार ट्रांसफारमर्स खराब पड़े हुये थे, गोदामों में, जब मैं यहां पर आया था। मैंने चोरी को रोकने के लिये कहा है कि ट्रांसफारमरों को खंभे से बेल्ड कर दो। पहले ट्रांसफारमरों को तारों से तथा बोल्टों से बांधा जाता था जिससे उसकी चोरी आसानी से की जा सकती थी। बेल्ड करने से उनके काटने में टाइम लगेगा। यह भी कहा है कि ट्रांसफारमरों को गांवों के पास में ही लगाया जाय। उनका कहना है कि इससे खर्च बढ़ेगा, यह कठिनाई उनको है। ट्यूबवेलों को अब पास पास लगाया जायगा छितरे-छितरे ट्यूबवेल अब नहीं लगेंगे कन्शट्रक्शन में लगेंगे, घने-घने लगेंगे ताकि हमारा लाइन लासेज कम हो। यह बात मैं स्वीकार करता हूं कि ट्रांसफारमर की इन खराबियों में यह हो सकता है कि उनके खरीद में भी दोष हो।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इनके खरीदने की विधि जटिल है, टेंडर होता है, फिर टेंडर स्वीकार किया जाता है, आडिट आदि होता है, ऐसे ही अनेक प्रश्न हैं। फिर भी 25 हजार ट्रांसफारमर जो खराब थे उनमें हमने कैंबेनिलिज्म किया है। कैंबेनिलिज्म का मतलब है एक से पार्ट्स निकाल कर दूसरे में लगाना। तो 5 हजार ट्रांसफारमर्स तो ठीक कर दिये गये हैं, 25 हजार में से। बाकी को ठीक कराने पर भी मैं जोर दे रहा हूं। पता लगाया जा रहा है कि वे कहां बने हैं तो उन्हीं कम्पनियों को ठीक कराने भेजा जायगा। जिन कम्पनियों में वे बने हैं,

वहां भेजने से हमारे कुछ पैसे की बचत भी होगी। इस तरफ भी हमारा ध्यान है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप तो क्या देते हैं, उधार, 10 हजार और हमारे राय साहब ने यह कहा कि 10 हजार में क्या करते हैं कि सूद ले लेते हैं, तो जो सूचना उनको मिली है वह पूरी नहीं मिली। वित्तीय कठिनाइयों के कारण बड़ी गड़बड़ी हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट बना उसके मातहत सरकार के ऋण का सूद जो बोर्ड को देना है तथा मजदूरी, आदि को जो देना है उससे बोर्ड पर बड़ा खर्च आ गया है। सूद जिसको श्री नारायण दत्त तिवारी वसूलने में बड़े तेज हैं उसका पेमेन्ट करना आदि।

लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बड़ा रुपया पूंजीपतियों पर बकाया है। तो इस संबंध में मैं आपको सारी वस्तुस्थिति से जानकारी दे दूं। बड़े लोगों पर कितना बकाया है और किस पर नहीं है आदि की सूची मैं पढ़ देता हूं--

बाजार में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का करीब 32 करोड़ रु० बाकी है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भारत इलेक्ट्रानिक्स का कर्जदार है। परन्तु मैं श्री टी० पाई० साहब का बड़ा अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने एक टीम श्री सोंधी साहब की अध्यक्षता में यहां भेजी। इसके लिये हम अपने इंजीनियरों, तकनीशियनों को जो ओबरा प्रोजेक्ट में लगे हैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। इस ओबरा प्रोजेक्ट की बिजली शक्ति को सारा देश मानता है कि उत्तर प्रदेश में इस प्रोजेक्ट से जो बिजली पैदा होती है उससे पानी मिलता है। पानी से सिचाई होती है और सिचाई से फसल अच्छी पैदा होती है जो कि आज जरूरी है।

बकायेदार हैं मुझको ज्ञात है कि बड़े लोगों के ऊपर लगभग 4 करोड़ रु0 बकाया है। मुकदमेंबाजी में है। 23 करोड़ रु0 पड़ा है। निजी नलकूपों और पंपिग सेट पर। ,11 करोड़ 50 लाख रु0 बाकी है। अब श्री यूसुफ जी कह सकते हैं कि बड़े-बड़े काश्तकारों को बिजली दे रखा है। जो काश्तकार अपने ट्यूबवेल लगाये हुये हैं वह तो बड़े होते ही हैं। लेकिन इस 32 करोड़ रु0 में से 11 करोड़ 50 लाख रु0 काश्तकारों पर बाकी है। 1 करोड़ 70 लाख रु0 नगरपालिकाओं पर बाकी है। उनकी स्थिति यह है कि यदि कहा जाता है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दो तो उनको रुपया भी बढ़ाने के लिये दिया जाय। अगर न भेजें तो श्री यूसुफ जी नाराज होंगे। जलालपुर के निवासी नाराज होंगे। परन्तु वे लाइट जला रहे हैं घरेलू बिजली पर 4 करोड़ 75 लाख रु0 बाकी है और छोटे तथा मध्यम उद्योगों पर साढ़े तीन करोड़ रु0 बाकी है। इस प्रकार यह बात सही नहीं है। कि जो कहते हैं कि बड़े पूंजीपतियों से बकाया वसूल नहीं कर रहे हैं। वसूली करने का जो फैसला किया गया है उसमें बड़ी कठिनाई आती है। हमने यह तय कर लिया है कि किसी के ऊपर भी किश्त नहीं करेंगे। हम सब वसूलेंगे। हां, अगर वह कोर्ट से स्टे ले आया तो लाचारी है। हम कोर्ट वाले केसेज में भी जल्दी से जल्दी अपने मामलों को फैसला करवायेंगे।

मजदूरों की बात की गई। एक भाई ने कहा कि हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने मजदूरों पर ध्यान हीनहीं दिया बल्कि भगवन्त सिंह अवार्ड आया तो हमने वैसा का वैसा लागू कर दिया। बाकी लोगों के टिटमेंट के केस बाकी हैं वह भी तय कर देंगे। देर लगती है लेकिन अंधेर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एम्पलायर और एम्पलाइज रिलेशन्स को अच्छा बनाने की जरूरत है इसके लिये वहां कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे टी0ए0 बिल्स पड़े रहते हैं, आदि। मैं यह स्वीकर करता हूं कि उनको अच्छा बनाने की जरूरत है और मुझे आशा है कि मैं उन्हें अच्छा बना सकूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि उनको ठीक करने के विषय में क्या करेंगे और नहीं करेंगे तो हमारी भी दुर्गति होगी। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अगर अपने काम में सफल नहीं हुआ तो अपनी दुर्गति स्वयं कराऊंगा। मुझे यह अच्छी तरह से मालूम है कि इस देश और प्रदेश की जनता अकर्मण्य और निष्फल व्यक्ति को प्रसंशा का पात्र नहीं बना सकती

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

और जो सफल हुआ सेवा करने में उसको ठोकर नहीं लगा सकती । आपकी बात बिलकुल सही है ।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ठीक करने के लिये मैंने सबसे पहले यह जाना कि कुल कितनी रकम है इसके ऊपर, तो मालूम हुआ कि 461.9 करोड़ रुपया है और इन्वेन्ट्री में 54.25 करोड़ था। हमने हुकुम दिया कि इसको इन्वेन्ट्री बहुत ज्यादा है। अब हम एक एक जगह का हिसाब बनवा रहे हैं। यही नहीं वहां पर सालों से फिजिकल चेकिंग भी नहीं हुई थी कि कितने पोल्स हैं, कितने कट-आउट हैं, कितना तार है, कितना ऐंगिल हैं, आदि। घनानन्द कमेटी रिपोर्ट जो पड़ी हुई थी उसमें से 44 रिकमेन्डेशन्स को लागू करवा चुका हूं और देखना यह है कि उनको अमल में लाने की जरूरत है। आप क्षमा करेंगे हम दोनों के दोनों इन्सान हैं। आते ही, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, चुनाव लड़ना पड़ा और बिजली भी देनी पड़ी। आपने केवल एक काम किया चुनाव का। मुझे तो आपकी सेवा भी करनी पड़ी। थोड़ा सा समय तो लगता ही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस समय हम आये हैं उस समय भाष्प बिजली घरों का उत्पादन 130 मिलियिन लाख यूनिट बिजली बनती थी और आज 150 मिलियन लाख बन रही है। अगर इसको आप देखें तो मालूम होगा कि टाटा हिन्दुस्तान भर में सबसे सुन्दर बिजली घर माना जाता है चाहें आप उन्हें बुरा ही कहें समाजवाद के नाम पर, लेकिन बम्बई के पास बहुत सुन्दर बिजली घर है। बिजलीघरों में दो फितरत होती है—एक तो यह है कि जब यह बिजली बनाता है तो पूरी बिजली नहीं देता यह खुद खाता भी है। बिजली खाता भी है बनाता भी है। दूसरी फितरत यह है कि एक नहीं दो दो मेन्टीनेंस होती हैं बिजली घर की। एक तो एनुअल रिपेयर्स जिसमें एक बार मशीन जो खोलना पड़ता है और दूसरी है प्रिवेन्टिव मेन्टीनेंस यानि खराब न होने पाये। प्रीवेन्टिव मेन्टीनेंस की बड़ी वोकनेसेज हैं। इंजीनियरों का भी मामला बहुत गुस्से में था। बहुत मुश्किल से इस स्थित पर आये हैं कि गुस्सा न्युट्रलाइज हो रहा है, अभी तक "गुस्सा प्रेम में नहीं बदला।" सारे इंसानों का बन्दोबस्त है। कोई डंडा मार कर काम नहीं चला सकते हैं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इंजीनियर्स प्रोग्रेसिवली जो उनके कर्तव्य हैं उनको देखें। जो बोनस या इसेंटिव की स्कीम हमने निकाली कि प्रोडक्शन बढ़ायेंगे तो इंसेन्टिव देंगे, यह स्कीम फल दे रही है।

मान्यवर बहुत समय हो गया। हां, दो माननीय सदस्य शारदा प्रसाद और ओझा जी ने गोरखपुर में तापघर बनने का प्रश्न उठाया था। जब संचार मंत्री केन्द्र में था तो यह बात सच है कि नरसिंह नारायण जी के प्रश्न के उत्तर में डा० राव जो कि मंत्री थे कहा था कि गोरखपुर में बिजलीघर बनाने वाले हैं। मेरे सामने की बात है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होने वाली है तो मुझे इसकी कोई जाब्ते से सूचना नहीं मिली है। हां, राष्ट्रपति शासन काल में एक टीम आई थी। राप्ती से पानी देना पड़ेगा। बलरामपुर में बंधा बन रहा है। कितना पानी राप्ती में रहेगा उसे देखने के लिए एक टीम आई थी। मुझे नहीं मालूम कि उस टीम ने क्या रिपोर्ट दी। जहां तक आपकी बदनामी की बात है तो वह मैं इसलिये नहीं होने दूंगा कि हम आपकी ओर से जिम्मेदारी लेंगे। आप बिलकुल चिन्ता न करें। आप भी प्रो० शिब्बनलाल के चेले हैं और हम भी सन् 42 में उनके चेले थे।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मैं किसी का चेला नहीं हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

तो आप हमारे भी गुरू हैं क्योंकि जो किसी का चेला नहीं वह सबका गुरू और हम गुरु को धोखा नहीं देंगे।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

नेशनल हेराल्ड में निकला था.....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जो स्थिति है वह आपके सामने रख दी। बाकी जैसा मैंने कहा जाब्ते से जोई सूचना मेरे पास नहीं है। जहां तक इस बिजली घर के लगने की बात है हम केन्द्रीय सरकार के सामने रखेंगे। आप यह समझ लें कि पूरब के विकास के साथ में अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। पूरब को मैंने काफी देखा है। माननीय सदस्यों ने एक शिकायत और की कि शहरों को ज्यादा बिजली देते हैं और गांवों को कम। गांव में बिजली समय से नहीं आती। कुछ बिजली बाहर से आती है। 65 मेगावाट दिल्ली (बदरपुर) से आती है, मध्य प्रदेश से आती है। वह कभी कभी बन्द हो जाती है और जब बन्द होती है तो कहकर तो बन्द होती नहीं। इसलिये इंजीनियर लोग कोशिश करते हैं कि उस 65 मेगावाट को कहां से पूरा करें। अगर ऐसा न करें तो मशीन सिन्क्रोनाइज हो सकती है। हमने साफ कह दिया है चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कि प्रशासनिक ढांचे नें क्या सुधार कर सकते हैं। किसान को बिजली मिलने के सम्बन्ध में, इंवेन्ट्री कंट्रोल के सम्बन्ध में, एक यूनिट बिजली पर कितना कोयला खर्च होगा उसके सम्बन्ध में पूरी तरह से नजर रखें ताकि हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली बनाने की जो क्षमता है उसमें कमी न आये। धिंगे साहब ने कहा कि हमारा हिसाब गलत है, 3200 मेगावाट का। ठीक है, वे योग्य आदमी हैं, लेबर फ्रन्ट पर काम करते रहे हैं और जो लेबर फ्रन्ट पर काम करने वाला है, वह काफी अच्छी डिटेल में जाने वाला व्यक्ति होता है। हमारी जो मांग है, वह हमारे पास अगर 1700 मेगावाट हो जाय तो ठीक है, 700/800 मांगने वाले और हो जायेंगे, क्योंकि बड़ा प्रदेश है और कृषि प्रधान प्रदेश है।

माननीय यूसुफ साहब ने एक सलाह दी है वह है बिड़ला को बिजली न दिये जाने के बारे में। उन्होंने कहा है कि बिड़ला जी को बिजली देने में उत्तर प्रदेश पक्षपात कर रहा है। केन्द्र का हुक्म है कि एल्मूनियम के लिये बिड़ला को बिजली देनी होगी। अनरेबिल यूसुफ साहब ने कहा कि बिड़ला इस सिलसिले में अपनी बिजली खुद बनावें। हमें उनको बिजली देना बन्द करना चाहिये। मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि हमने दिल्ली की सरकार से कहा है कि वे किसी तरह हमारा पिण्ड बिड़ला से छुड़ावें। वह हमसे छूटें और हम उनसे ताकि हम पूर्वी और पश्चिमी जिलों को ट्यूब वेल के लिये बिजली दे दें। न आपको कहना पड़े बार-बार और न हमें सुनना पड़े, क्योंकि आप कहते-कहते थक गये और हम सुनते-सुनते।

गर्ग जी प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हिन्दालको को ले क्यों नहीं लेते। अगर यह हमारी परिधि और शक्ति के अन्दर होता तो हम उसको ले लेते, हम चीनी मिलों को ले लेते और न जाने क्या-क्या ले लेते। मैंने परिधि और शक्ति दोनों बात कही है। हमें आशा है कि सुफ साहब की राय से हमारे लिये एक रास्ता बनेगा और हमें बिड़ला से छुट्टी मिलेगी और बिड़ला को उत्तर प्रदेश से।

श्री सन्त सिंह यूसुफ--

हमारे पास यदि इतना बिजली संकट है तो हम इस संकट को देखते हुए, बाहर से थर्मल पावर्स का अरेंजमेंट क्यों नहीं करते?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा--

हमने केन्द्र सरकार से निवेदन किया है कि हमको पोलैण्ड और रूस से थर्मल पार्टस् इम्पोर्ट किये जाय लेकिन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हरद्वार ने यह कहा है कि हम आपको 1100 मेगावाट देने को तैयार हैं। इस तरह उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। केन्द्र सरकार, प्लानिंग कमीशन, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, सभी से हम कोई महीना या हफ्ता नहीं जाता, जब हम

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

सके विषय में चर्चा न करते हों। इससे ज्यादा इस सदन में हम नहीं कह सकते क्योंकि यहां कहने से सारी बात भारत में हो जाती है। केन्द्र सरकार हमारी मदद करना चाहती है लकिन उन्हें यह भी सोचना पड़ता है कि कहीं हम यू० पी० का पक्ष तो नहीं करते। लेकिन हमने उनसे कह रखा है कि जो पिछली कमी रही है, उसको पूरा करन में कोई हिचकिचाहट न हो।

श्री राजन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मैं, मान्यवर, आपक माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि पिछले साल साढ़े-सात सौ मेगावाट बिजली के टर्बाईन भारत हेवी इलक्ट्रिकल्स, हरिद्वार ने बनाया था। क्या उसमें से 200 मेगावाट भी उत्तर प्रदेश को हर साल नहीं मिल सकता और इसके लिये हम केन्द्र पर दबाव नहीं डाल सकते? अभी चेकोस्लोवाकिया का डेलीगशन आया था और उन्होंने वहां के बन हुए टर्बाइन को देखकर कहा था कि आप अपना खर्च ले लें और अपने टर्बाइन हमको दे दें। भारत इलेक्ट्रिकल्स के बारे में गर्व के साथ में यह कह सकता हूं कि वह आज बहुत अच्छे टर्बाइन्स बना रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जिस यूनियन कनता गग जी होंगे वहां पर खराब चीज कैसे बन सकती है (हंसी) केन्द्रीय सरकार देने को तयार है लेकिन भारत इलेक्ट्रिकल्स पैसा मांगते हैं और उत्तर प्रदेश के पास दने को है नही, मांगने को सब कुछ है। हमारे बोर्ड की हालत खस्ता, सरकार की हालत खस्ता। अब अगर थोड़ा सा टक्स लगाया आज तो प्रेम से कितनी बातें आपने सुनाई (हंसी) आप तो 450 मेगावाट की बात कर रहे हैं भारत इलेक्टिकल्स ने तो 1100 मेगावाट देने को कहा है लेकिन उसके लिये रुपया लाइये। लिहाजा उत्तर प्रदेश के लोग कोशिश करें, किसानों से, मजदूरों से, क्लर्क तथा चपरासी भाइयों से कहिये थोड़ा कष्ट उठायें ताकि उत्तर प्रदेश का कल्याण हो सके। मुझे पूरी आशा है कि समस्त सदन से मुझे इसमें सहयोग मिलेगा।

नियम 52 तथा नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 52 के मेरे पास दो प्रस्ताव आये हैं। जब नियम 52 का प्रस्ताव आता है तो उसमें व्याख्यात्मक टिप्पणी जोड़ी जाती है एक में वह नहीं है इस कारण वह नियमानुकूल नहीं है। उसे जोड़ कर दें।

दूसरा श्री ओम प्रकाश सिंह का उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के बारे में है। जब शिक्षा का बजट आ गा तब आप उस समय अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों की राय होगी तो कभी मौका दे दिया जायगा।

नियम 51 में केवल एक स्वीकृत किया गया है सर्वश्री राम प्रकाश त्रिपाठी, ओमप्रकाश सिंह, मोहनलाल कपूर तथा जगन्नाथ सिंह परमार का जिसे इसी विषय पर पूर्व स्वीकृत सूचना के साथ जोड़ दिया जायगा और शेष अस्वीकृत कर दिये ग हैं।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 21 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
10 जून, 1974।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 271 पर)

तालिका 'क'

चीनी मिलों के द्वारा गन्ना मूल्य घटाने की तथा पुनः पूर्वस्तर पर लाने की सूचना

क्र0 सं0	चीनी मिल का नाम	गन्ना मूल्य रु0 2.00 प्रति क्वि0 कम करने की तिथि	गन्ना मूल्य पूर्वस्तर पर करने की तिथि	चीनी मिल के बन्द होने की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
	पश्चिम उत्तर प्रदेश				
1	इकबालपुर	5-4-74	11-4-74	..	घटाने की तिथि से पुनः बढ़ाया
2	मन्सूरपुर	5-4-74	11-4-74	2-5-74	,,
3	खतौली	5-4-74	11-4-74	3-5-74	,,
4	शामली	5-4-74	11-4-74	..	,,
5	दौराला	5-4-74	11-4-74	21-5-74	,,
*6	जसवन्त	5-4-74	11-4-74	10-5-74	..
*7	बेगमाबाद	5-4-74	11-4-74	20-5-74	..
8	सिम्भावली	5-4-74	11-4-74	15-5-74	घटाने की तिथि से पुनः बढ़ाया।
9	लक्सर	5-4-74	11-4-74	11-5-74	,,
10	मवाना	5-4-74	11-4-74	30-5-74	,,
11	बुलन्दशहर	5-4-74	11-4-74	26-4-74	,,
	मध्य उत्तर प्रदेश				
12	काशीपुर	6-4-74	11-4-74	..	घटाने की तिथि से पुनः बढ़ाया
*13	न्योली	1-4-74 (दूसरी बार रु0 2.00 प्रति क्वि0 घटाया)	22-4-74	14-5-74	..
14	अमरोहा	5-4-74	9-4-74	15-5-74	घटाने की तिथि से पुनः बढ़ाया।
*15	बिलारी	5-4-74 (द्वितीय बार)	11-4-74	7-5-74	..
*16	बहेड़ी	5-4-74	12-4-74	..	..
*17	बरेली	6-4-74	11-4-74	21-5-74	..
*18	पीलीभीत	5-4-74	11-4-74	..	..
*19	धामपुर	5-4-74	11-4-74	1-5-74	घटाने की तिथि से पुनः बढ़ाया।

*नोट:—इन्होंने घटाने की तिथि से पुनः बढ़ाने की अवधि का मूल्य पूर्वतः दरों पर नहीं बढ़ाया है।

1	2	3	4	5	6
20	स्योहारा	5-4-74	11-4-74	11-5-74	घटाने की
21	बिजनौर	5-4-74	11-4-74	11-5-74	तिथि से पुनः
*22	रोजा	5-4-74	22-4-74	..	बढ़ाया ।
*23	रजाबुलन्द	3-4-74	11-4-74	24-5-74	..
24	हरदोई	4-4-74	12-4-74	2-5-74	घटाने की तिथि से पुनः बढ़ाया ।
25	हरगांव	6-4-74	12-4-74	..	,,
26	बिसवां	4-4-74	12-4-74	..	,,
27	गोला	5-4-74	12-4-74	..	,,
28	ऐरा	5-4-74	12-4-74	..	,,
29	पलिया	5-4-74	12-4-74	..	,,
30	महोली	4-4-74	12-4-74	..	,,
	पूर्वी उत्तर प्रदेश				
31	सिसवांबाजार	5-4-74	5-4-74	24-4-74	घटाने की तिथि से पुनः बढ़ाया ।
32	फरेंदा	5-4-74	5-4-74	25-4-74	,,

*नोट:--इन्होंने घटाने की तिथि से पुनः बढ़ाने की अवधि का मूल्य पूर्वतः दरों पर नहीं बढ़ाया है ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 284 पर)

ब्लाक	नाम दुकानदार जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई ।	न्याय पंचायत	अवैध	कृत कार्यवाही
ब्रह्मपुर	(1) श्री राम प्यारे प्रभावती	राजधानी	चीनी/मिट्टी तेल	आरोप निराधार पाये गये।
	(2) राजमंगल	हरैया	,,	दुकान निरस्त पायी गयी ।
	(3) रामबूझ	ब्रह्मपुर	,,	आरोप निराधार पाये गये ।
	(4) नरेन्द्र पांडे	ठकुराई पुडरी	,,	दुकान निरस्त की गई ।
	(5) देवनरायण	विशुनपुर मटियारां	,,	निलंबित की गयी
	(6) बृजेश प्रसाद ओंकार नाथ	ब्रह्मपुर	,,	दुकान निरस्त की गयी ।
सरदार नगर	(1) बेनजीर अहमद	डुमरीखास	,,	आरोप निराधार पाये गये ।
	(2) उमाशंकर चौरसिया	चौरीचौरा	,,	,,
	(3) राधेश्याम विद्यासागर	बेलवाबाबू	,,	दुकान निलंबित की गयी ।
	(4) गौरीशंकर	डुमरीखास	,,	आरोप निराधार पाये गये ।
	(5) श्रीमती बेइली देवी	भोपा	,,	दुकान निलंबित की गयी ।
	(6) श्री रामप्रसाद केदारनाथ	भोवापार	,,	आरोप निराधार पाये गये ।
	(7) श्री वीरेन्द्र सिंह	..	,,	,,
	(8) बसंतलाल गुप्त	डुमरीखास	,,	,,
खोरा बार	(1) श्री गुलाब यादव	नौवाअब्बल	,,	दुकान निलंबित की की गयी ।
	(2) मुख्तार अहमद	बेड़गा	,,	दुकान निरस्त की गयी ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 287 पर)

चीनी विक्रेता का नाम जिसके विरुद्ध वर्ष 1973 में जिलाधिकारी को शिकायत प्राप्त हुई		गांव सभा	जांचोपरान्त कृत कार्यवाही
1	सर्वश्री जीतवार सिंह	सरसैला	दुकान निरस्त की गई
2	,, जसवन्त सिंह	मादई	,,
3	,, बाबू राम	बड़ागांव	,,
4	,, जगमोहन सिंह	सरसैला	दुकान निरस्त की गई और जमानत जब्त की गई।
5	,, हर प्रसाद द्विवेदी	हरचन्दपुर	,,
6	,, राजेन्द्र सिंह	अटरा कलां	दुकान निरस्त की गई।
7	,, मिश्री लाल	भदरेखी	त्याग-पत्र दे दिया है
8	,, मुलायम सिंह	गुसमरिया	,,
9	,, केशव सिंह	चुरधरी	दुकान निलम्बित की गई
10	,, राजेश सिंह	मल्थूआ	,,
11	,, दशरथ सिंह	गुसमरिया	जांच चल रही है
12	,, रामेश्वर सिंह	छौक	आरोप निराधार पाये गये
13	,, शोबरन सिंह	सिमहरा कासिमपुर	,,
14	,, सहदेवसिंह गंगाप्रसाद	आटा	,,
15	,, वकील सिंह	अमेदेपुर	,,
16	,, उदयराज सिंह	शिको रहमानपुर	,,
17	,, रामगोपाल	महेवां	,,

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 293 पर)

माह नवम्बर, 1973 से अप्रैल, 1974 की अवधि में इलाहाबाद में सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं को दिये गये चोकर की परमिट और उसकी मात्रा की सूची।

क्रम-संख्या	सरकारी संस्थायें	चोकर की मात्रा (कुन्तल में)
	विभाग का नाम	
1	पुलिस	76
2	मिलिटरी	525
3	राजकीय पशुपालन विभाग ..	126
4	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	35
5	जेल	47
6	सेन्ट्रल आर्डिनेन्स	7
7	मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट	7
	योग ..	823
	अर्ध सरकारी संस्थायें	
1	स्कूल/कालेज	91
2	एग्रीकल्चरल डेरी	280
3	नगर महापालिका	61
	योग ..	432

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ङ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 294 पर)

इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

ऐक्ट संख्या 2, 1899

इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 25 मई, 1974 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

ऐक्ट संख्या 2, 1899 की धारा 2 का संशोधन

2--इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (15) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय; अर्थात्:--

"(15) 'विभाजन के लिखत' से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है जिसके द्वार किसी सम्पति के सहस्वामी ऐसे सम्पत्ति को पृथकतः विभाजित करें अथवा विभाजित करने के लिए सहमत हों, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है--

(1) विभाजन करने के लिए किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित कोई अंतिम आदेश,

(2) किसी मध्यस्थ का अधिनिर्णय जिसमें विभाजन के लिए निदेश दिया गया हो, और

(3) जब कोई ऐसी लिखत निष्पादित किए बिना कोई विभाजन किया जाय, तो कोई लिखत अथवा लिखतें जो सहस्वामियों द्वारा हस्तांतरित हो या हों, और जिसमें सहस्वामियों के बीच ऐसे विभाजन के निबन्धन, चाहे ऐसे विभाजन की घोषणा के रूप में या अन्यथा अभिलिखित हों;"

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :--

"(1) जहां कि किसी विक्रय, बन्धक या समझौते की दशा में, संव्यवहार को पूरा करने के लिए अनेक लिखतें प्रयुक्त की जायें वहां हस्तांतरण, बन्धक या समझौते के लिए केवल मुख्य लिखत पर अनुसूची 1-ख में विहित शुल्क प्रभार्य होगा और अन्य प्रत्येक लिखत पर उक्त अनुसूची में

उसके लिए विहित शुल्क (यदि कोई हो) के बजाय पांच रुपये का शुल्क प्रभार्य होगा।"

नई धारा 10-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

शुल्क का नकद संदाय

"10-क—(1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि जिले में स्टाम्प की अस्थायी कमी है अथवा अपेक्षित अभिधन के स्टाम्प उपलब्ध नहीं हैं तो वह शुल्क का नकद भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगा और कोषागार के पदधारी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह सरकारी कोषागार या उप कोषागार में शुल्क का भुगतान करने के संशोधित करने वाले चालान को पेश करने पर शुल्क की वह रकम जो इस प्रकार नकद संदत्त की गई है लिखत या लिखतों पर पृष्ठांकित कर दे।

(2) किसी लिखत पर उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई पृष्ठांकन उसी प्रकार प्रभावी होगा मानों उसके सम्बन्ध में पृष्ठांकन में वर्णित रकम के बराबर शुल्क की रकम का भुगतान कर दिया गया है और ऐसी लिखत पर ऐसे भुगतान को धारा 10 की अपेक्षानुसार स्टाम्प द्वारा उपदर्शित किया गया है।"

धारा-47-क का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 47-क में, उपधारा (4) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

अनुसूची 1-बी का संशोधन

6—मूल अधिनियम की अनुसूची 1-बी में,

(1) आर्टिकिल 3 के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"पचास रुपये"

(2) आर्टिकिल 4 के खण्ड (क) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"दो रुपये"

(3) आर्टिकिल 5 के खण्ड (सी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"पांच रुपये"

(4) आर्टिकिल 6 के खण्ड (2) उपखण्ड (ए) के नीचे की दर की वर्तमान सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी रख दी जाय, अर्थात्:—

लिखत का विवरण	उचित स्टाम्प शुल्क	
	रुपये	पैसे
जब उधार या ऋण की धनराशि 200 रु0 से अधिक न हो ..	1	00
जब वह 200 रु0 से अधिक किन्तु 400 रु0 से अधिक न हो ..	2	00
जब वह 400 से अधिक किन्तु 600 से अधिक न हो ..	3	00
जब वह 600 से अधिक किन्तु 800 से अधिक न हो ..	4	00
जब वह 800 से अधिक किन्तु 1,000 से अधिक न हो ..	5	00
जब वह 1,000 से अधिक किन्तु 1,200 से अधिक न हो ..	6	00
जब वह 1,200 से अधिक किन्तु 1,600 से अधिक न हो ..	8	00
जब वह 1,600 से अधिक किन्तु 2,500 से अधिक न हो ..	12	50
जब वह 2,500 से अधिक किन्तु 5,000 से अधिक न हो ..	25	00
जब वह 5,000 से अधिक किन्तु 7,500 से अधिक न हो ..	37	50
जब वह 7,500 से अधिक किन्तु 10,000 से अधिक न हो ..	50	00
जब वह 10,000 से अधिक किन्तु 15,000 से अधिक न हो ..	75	00
जब वह 15,000 से अधिक किन्तु 20,000 से अधिक न हो ..	100	00
जब वह 20,000 से अधिक किन्तु 25,000 से अधिक न हो ..	125	00
जब वह 25,000 से अधिक किन्तु 30,000 से अधिक न हो ..	150	00
और 30,000 रुपये से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए	50	00

(5) आर्टिकिल 8 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"सैंतीस रुपये पचास पैसे"

(6) आर्टिकिल 10 के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"दो सौ पच्चीस रुपये"

(7) आर्टिकिल 12 के खण्ड (सी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"सैंतीस रुपये पचास पैसे"

(8) आर्टिकिल 15 के नीचे की दर की वर्तमान सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी रख दी जाय, अर्थात्:—

लिखत का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
"जहां प्रतिभूति धनराशि या मूल्य 10 रुपये से अधिक न हो	पैंतालीस पैसे
जहां वह 10 रुपये से अधिक किन्तु 50 रुपये से अधिक न हो	एक रुपया
जहां वह 50 रुपये से अधिक किन्तु 100 रुपये से अधिक न हो	तीन रुपये पचहत्तर पैसे
जहां वह 100 रुपये से अधिक किन्तु 200 रुपये से अधिक न हो	सात रुपये पचास पैसे
जहां वह 200 रुपये से अधिक किन्तु 300 रुपये से अधिक न हो	ग्यारह रुपये पचीस पैसे
जहां वह 300 रुपये से अधिक किन्तु 400 रुपये से अधिक न हो	पंद्रह रुपये
जहां वह 400 रुपये से अधिक किन्तु 500 रुपये से अधिक न हो	अट्ठारह रुपये पचहत्तर पैसे
जहां वह 500 रुपये से अधिक किन्तु 600 रुपये से अधिक न हो	बाइस रुपये पचास पैसे
जहां वह 600 रुपये से अधिक किन्तु 700 रुपये से अधिक न हो	छब्बीस रुपये पचीस पैसे
जहां वह 700 रुपये से अधिक किन्तु 800 रुपये से अधिक न हो	तीस रुपये
जहां वह 800 रुपये से अधिक किन्तु 900 रुपये से अधिक न हो	सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे
जहां वह 900 रुपये से अधिक किन्तु 1,000 रुपये से अधिक न हो	सैंतीस रुपये पचास पैसे
और 1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक 500 रुपये या उसके भाग के लिए	अट्ठारह रुपये पचहत्तर पैसे"

(9) आर्टिकिल 23 के नीचे की दर की वर्तमान सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी रख दी जाय, अर्थात्:—

लिखत का वर्णन		उचित स्टाम्प शुल्क	
		रुपये	पैसे
"जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल को उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य अथवा उस सम्पत्ति का जो ऐसे हस्तान्तरण की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, 50 रुपये से अधिक न हो	..	2	00
जहां वह 50 रुपये से अधिक किन्तु 100 रुपये से अधिक न हो	..	7	50
जहां वह 100 रुपये से अधिक किन्तु 200 रुपये से अधिक न हो	..	15	00
जहां वह 200 रुपये से अधिक किन्तु 300 रुपये से अधिक न हो	..	22	50
जहां वह 300 रुपये से अधिक किन्तु 400 रुपये से अधिक न हो	..	30	00
जहां वह 400 रुपये से अधिक किन्तु 500 रुपये से अधिक न हो	..	37	50
जहां वह 500 रुपये से अधिक किन्तु 600 रुपये से अधिक न हो	..	45	00
जहां वह 600 रुपये से अधिक किन्तु 700 रुपये से अधिक न हो	..	52	50
जहां वह 700 रुपये से अधिक किन्तु 800 रुपये से अधिक न हो	..	60	00
जहां वह 800 रुपये से अधिक किन्तु 900 रुपये से अधिक न हो	..	67	50
जहां वह 900 रुपये से अधिक किन्तु 1,000 रुपये से अधिक न हो	..	75	00
और 1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक 500 रुपये या उसके भाग के लिए	..	37	50

(10) आर्टिकिल 24 के खण्ड (2) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"जब प्रति अथवा उद्धरण किसी कृषिक पट्टे का अथवा कृषिक भूमि के किसी बन्धक विलेख या विक्रय विलेख का हो और मूल की विषय वस्तु का मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो तो तीन रुपये, अन्य किसी दशा में पांच रुपये ।"

(11) आर्टिकिल 25 के स्तम्भ 1 के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् —

"(क) यदि शुल्क जो मूल लिखत पर प्रभार्य हो, पांच रुपये से अधिक न हो ।"

(12) आर्टिकिल 25 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"पांच रुपये"

(13) आर्टिकिल 34–ए के स्तम्भ 1 के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(क) यदि शुल्क जो मूल लिखत पर प्रभार्य हो, दस रुपये से अधिक न हो"

(14) आर्टिकिल 34–ए के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"पांच रुपये"

(15) आर्टिकिल 35 के खण्ड (सी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के नीचे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु किसी भी दशा में जब, किसी पट्टे के करार पर, पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प लगाया जाय, और बाद में ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा निष्पादित किया जाय तो ऐसे पट्टे पर शुल्क पांच रुपये से अधिक न होगा;"

(16) आर्टिकिल 39 के खण्ड (ए) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"एक सौ रुपये"

(17) आर्टिकिल 39 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"तीन सौ पच्चीस रुपये"

(18) आर्टिकिल 45 में, स्तम्भ 2 में, परन्तुक के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(क) जब कोई ऐसी लिखत जिसमें सम्पत्ति को पृथकतः विभाजित करने का करार हो, निष्पादित की जाय और ऐसे करार के अनुसरण में

विभाजन किया जाय तो ऐसे विभाजन को प्रभावी बनाने वाली लिखत पर अथवा घोषणा के रूप में या अन्यथा ऐसे विभाजन की शर्तों को अभिलिखित करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत के सम्बन्ध में संदत्त शुल्क की रकम कम कर दी जायगी किन्तु प्रभार्य शुल्क पांच रुपये से कम न होगा;"

(19) आर्टिकिल 45 के स्तम्भ 2 में, वर्तमान खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ग) जहां विभाजन करने के लिए किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित किसी अंतिम आदेश पर या किसी मध्यस्थ के ऐसे अधिनिर्णय पर जिसमें विभाजन के लिए निदेश दिया गया हो, विभाजन की लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प लगाया गया है और तत्पश्चात् ऐसे आदेश या अधिनिर्णय के अनुसरण में विभाजन की लिखत निष्पादित की जाय तो ऐसी लिखत पर शुल्क पांच रुपये से अधिक न होगा।"

(20) आर्टिकिल 46 में मद (ए) के उप मद (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"एक सौ पचास रुपये"

(21) आर्टिकिल 46 में मद (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"सैंतीस रुपये पचास पैसे"

(22) आर्टिकिल 48 में दर की वर्तमान सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी रख दी जाय, अर्थात्:—

लिखत का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(क) जब किसी एकल संव्यवहार के सम्बन्ध में एक या एकाधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण कराने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे एक या एकाधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकार करने के लिए निष्पादित किया जाय;	दो रुपये पचास पैसे
(ख) जब खण्ड (क) में उल्लिखित मामले से भिन्न एकल संव्यवहार में कार्य करने के लिए एक या एकाधिक व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाय;	पांच रुपये
(ग) जब एक से अधिक संव्यवहार में संयुक्ततः तथा पृथक्ततः अथवा साधारणतः कार्य करने के लिए पांच से अनधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाय;	बीस रुपये
(घ) जब एक से अधिक संव्यवहार में संयुक्ततः तथा पृथक्ततः अथवा साधारणतः कार्य करने के लिए पांच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाय;	चालीस रुपये

लिखत का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(ङ) जब प्रतिफल के लिए दिया जाय और किसी स्थावर सम्पत्ति को बेंचने के लिए अटर्नी को प्राधिकृत किया जाय;	उतना ही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम के लिए किसी हस्तान्तरण (संख्या 23) पर हो ।
(च) किसी अन्य मामले में ।	प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति के लिए पांच रुपये

(23) आर्टिकिल 54 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"पचहत्तर रुपये"

(24) आर्टिकिल 55 के स्तम्भ 1 के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(क) यदि दावे की रकम या उसका मूल्य 2,500 रुपये से अधिक न हो"

(25) आर्टिकिल 55 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"एक सौ रुपये"

(26) आर्टिकिल 57 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे"

(27) आर्टिकिल 58 के सामने स्तम्भ 2 के वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु, जहां किसी समझौते के करार पर समझौते की लिखत की अपेक्षानुसार स्टाम्प लगाया जाय और तत्पश्चात् ऐसे करार के अनुसरण में समझौते की लिखत निष्पादित की जाय तो ऐसी लिखत पर शुल्क पांच रुपये से अधिक न होगा।"

(28) आर्टिकिल 61 के स्तम्भ 1 में वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(क) जब ऐसा शुल्क जो पट्टा पर प्रभार्य है, सैंतिस रुपये पचहत्तर पैसे से अधिक न हो ।"

(29) आर्टिकिल 61 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे"

(30) आर्टिकिल 62 के स्तम्भ 1 में खण्ड (सी) की वर्तमान मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद रख दी जाय, अर्थात्:—

"यदि ऐसे बन्ध पत्र, बन्धक विलेख या पालिसी पर शुल्क सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे से अधिक न हो।"

(31) आर्टिकिल 62 के खण्ड (सी) की वर्तमान मद (2) के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे"

परन्तु उस दशा में जब कई बन्ध-पत्रों, बन्धक विलेखों अथवा बीमें की पालिसियों द्वारा प्रतिभूति किया गया हित किसी एक ही लिखत द्वारा अन्तरित किया जाय तो एकल लिखित के सम्बन्ध में संदेय शुल्क उन शुल्कों का योग होगा जो संदेय होते यदि हर ऐसे बन्ध-पत्र, बन्धक विलेख या बीमे की पालिसी के सम्बन्ध में पृथक अन्तरण विलेख निष्पादित किए जाते।"

(32) आर्टिकिल 64 में मद "बी" के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"वही शुल्क जो सम्बद्ध सम्पत्ति की रकम या उसके मूल्य के बराबर रकम के लिए बन्ध-पत्र (संख्या 15) पर हो परन्तु वह पचहत्तर रुपये से अधिक न होगा।"

निरसन

7—इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्-द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 12, 1974

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार के निरन्तर बढ़ते हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया कि कुछ लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क की दरों को बढ़ाया जाय। यह भी आवश्यक समझा गया कि अपेक्षित अभिधान के स्टाम्पों की अस्थायी कमी होने की दशा में शुल्क का नकद भुगतान करने की व्यवस्था की जाय।

2—उक्त अध्यादेश के प्रतिस्थापित करने के लिए इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 294 पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1948 ई०

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलाया ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1948 ई० की धारा 3-घ का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3-घ की उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और दिनांक 1 अक्तूबर, 1974 से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण--खण्ड (ख) के अधीन कर-योग्य विक्रय-धन अवधारित करने के लिए वह धनराशि जिससे एक रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारी से माल क्रय किया जाय, उसके कुल विक्रय-धन से केवल तब कम कर दी जायगी जब वह साबित कर दिया जाय कि प्रश्नगत क्रय प्रथम क्रय नहीं है ।"

नई धारा 3-ङ का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 3-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

कतिपय संव्यवहारों पर क्रय-कर लगाया जाना

"3-ङ--प्रत्येक व्यापारी जो अपने व्यापार के दौरान किसी रजिस्टर्ड व्यापारी से कोई कर योग्य माल उन परिस्थितियों में खरीदता है जिनमें ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर धारा 3 या धारा 3-क या धारा 3-कक के अधीन कोई कर देय न हो, या किसी रजिस्टड व्यापारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से कोई कर-योग्य माल खरीदता है, और--

(क) ऐसे माल का उपयोग या तो बिक्री के लिए अन्य माल का निर्माण करने में अथवा अन्य प्रकार से करता है, या

(ख) ऐसे माल का निस्तारण राज्य में बिक्री से भिन्न किसी अन्य प्रकार से करता है, या

(ग) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री या क्रय के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप के सिवाय उन्हें राज्य के बाहर किसी स्थान को भेजता है,

तो वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर उसी दर से जिस पर यदि उपर्युक्त परिस्थितियां विद्यमान न होतीं तो उपर्युक्त धाराओं के अधीन ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर कर देय होता, कर का देनदार होगा।"

धारा 3—च का संशोधन

4——मूल अधिनियम की धारा 3—च में उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड तथा स्पष्टीकरण में जहां कहीं भी शब्द "विक्रय धन" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "विक्रय धन या क्रय-धन अथवा दोनों" रख दिये जाय और सदैव से रखे गये समझे जायें।

धारा 4 का संशोधन

5——मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय और दिनांक 31 मार्च, 1956 से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्:——

कर से छूट "4——इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित पर कोई कर नहीं लगगा——

(क) पानी [खनिज जल, फेनिल पेय (एयरेटेड वाटर), टानिक, वाटर, डिस्टिल्ड वाटर (सुगन्धित जल को छोड़कर), दूध (कण्डेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर या बेबी-मिल्क को छोड़कर], नमक, समाचार-पत्र, मोटर स्प्रिट या अन्य किसी माल की बिक्री पर जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा मुक्त करे, या

(ख) किसी ऐसे माल की बिक्री या खरीद जो आल इंडिया स्पिनर्स एसोसियेशन या गांधी आश्रम, मेरठ या उनकी शाखाओं द्वारा की गई हो या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों द्वारा की गयी हो जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा मुक्त करे :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) खण्ड (ख) के अधीन कोई छूट देते समय राज्य सरकार ऐसी शर्तें जिसके अन्तर्गत ऐसे शुल्क का, यदि कोई हो, जो प्रति वर्ष आठ हजार रुपये से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, भुगतान करने की शर्त भी है, आरोपित कर सकती है।"

धारा 4—ख का संशोधन

6——मूल अधिनियम की धारा 4—ख में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाये, अर्थात्:——

"(1) धारा 3, 3—क, 3—कक, 3—घ और 3—ङ में किसी बात के होते हुए भी,——

(क) यदि धारा 3—घ के अधीन कर-योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाये जो उक्त धारा के अधीन यथास्थित, अपने क्रय या प्रथम क्रय के क्रय-धन पर कर का देनदार हो, और उस व्यापारी के पास उसके सम्बन्ध में उप-धारा (2) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र हो, तो वह ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा पूर्णतः या अंशतः कर से मुक्त होगा, चाहे ऐसी रियायत या कर-मुक्ति बिना शर्त के हो या तदर्थ निर्दिष्ट की गई शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाये;

(ख) यदि किसी अन्य धारा के अधीन कर-योग्य कोई माल किसी व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यापारी को बेचा जाय और ऐसा अन्य व्यापारी

विक्रेता व्यापारी को नियत प्रपत्र में तथा रीति से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके सम्बन्ध में उप-धारा (2) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र है, तो विक्रेता व्यापारी ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा पूर्णतः या अंशतः कर से मुक्त होगा, चाहे ऐसी रियायत या कर-मुक्ति बिना शर्त के हो या तदर्थ निर्दिष्ट की गई शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाये ।

स्पष्टीकरण--इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, कर के संबंध में रियायत, या कर से मुक्ति, देने के लिए निर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों और निर्बन्धनों के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा हो सकती है कि उप-धारा (2) में अभिदिष्ट विज्ञापित माल द्वारा 4-क में यथा-परिभाषित ऐसी "नई इकाई" में, जिसमें ऐसे दिनांक के पश्चात्, जो दिनांक इस उप-धारा के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व या पश्चात् हो सकता है, उत्पादन प्रारम्भ हो, और ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय, निर्मित हो ।"

धारा 11 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 11 में,--

(1) उपधारा (2) में, शब्द "नोटिस द्वारा" और शब्द "उक्त इंकार का नोटिस" के स्थान पर क्रमशः शब्द "लिखित आदेशों द्वारा" और शब्द "ऐसे आदेश, जिसमें मामले का विवरण देने से इन्कार किया गया हो, की प्रति" रख दिए जायें,

(2) उपधारा (4) में, शब्द "उक्त इंकार का नोटिस" के स्थान पर शब्द "ऐसे आदेश, जिसमें मामले का विवरण देने से इन्कार किया गया हो, की प्रति" रख दिये जायें; और

(3) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:--

"(4-क) यदि पुनरीक्षण अधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, उपधारा (1), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन मामले का विवरण-पत्र तैयार करे और उसे हाईकोर्ट जो समाधान के लिए भेजे तो ऐसा अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को उस दिनांक से, जब हाई कोर्ट को मामला समाधान के लिये भेजे जाने के आदेश की प्रति तामील की जाय, तीन मास की अवधि के भीतर हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निदेश देगा और हाई कोर्ट को भी पक्षों पर तामील किये जाने के दिनांकों की सूचना देगा ।

(4-ख) उपधारा (4-क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हाई कोर्ट के समक्ष किसी पक्ष द्वारा उपस्थित न होने पर, हाईकोर्ट द्वारा ऐसे पक्ष की अनुपस्थिति में समाधान (reference) की सुनवाई की जा सकती है और उस पर निर्णय किया जा सकता है ।"

धारा 21 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) में, उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्पष्टीकरण में, शब्द "किसी दीवानी या अन्य सक्षम न्यायालय" के स्थान पर शब्द "किसी न्यायालय या अधिकारी" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझें जायें ।

प्रथम अनुसूची का संशोधन

9--मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में--

(1) क्रम संख्या 1 और 52 के सामने स्तम्भ 2 में प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायें और सदैव से रखी गई समझी जायें, अर्थात्:--

"1--मनुष्य अथवा पशु श्रम द्वारा चालित उपकरणों और वाटर पम्प से भिन्न कृषि उपकरण, जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब को छोड़कर उनके भाग और सम्बद्ध सामान भी है।

52--मशीनें, जिसके अन्तर्गत वाटर पम्प भी हैं, और मशीनों के ऐसे अतिरिक्त भाग जो ऐसी मशीन या उनके अतिरिक्त भाग नहीं हैं जिन पर इस अनुसूची की किसी अन्य मद के अन्तर्गत कर लगता हो"; और

(2) क्रम संख्या 118 के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

1	2	3
119	हियरिंग एड	नि0 अथवा आ0

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

10--मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, क्रम संख्या 16 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या 16-क और 16-ख तथा क्रम संख्या 23 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या 23-क बढ़ा दी जाये और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायें, अर्थात्:--

क्रम संख्या	विज्ञप्ति की संख्या	दिनांक
16-क	एस0 टी0-2933/10-902 (21)-57	1 अगस्त, 1958
16-ख	एस0 टी0-2934/10-902 (21)-57	1 अगस्त, 1958
23-क	एस0 टी0-1367/10-990-1956	1 अप्रैल, 1960

नियम 44-क का संशोधन

11--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, 1948 ई0 के नियम 44-क में, खण्ड (घ), जैसा कि वह उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 के प्रवृत्त होने के पूर्व था, सदैव से निकाल दिया गया समझा जाय।

वैधीकरण

12--किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, मूल अधिनियम की द्वितीय अनसूची के साथ पठित धारा 3-कख की उपधारा (1), धारा 3-घ की उपधारा (1), धारा 3-च, धारा 4 या धारा 21 के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य (जिसके अन्तर्गत जारी की गई कोई विज्ञप्ति भी है) या की गई कोई कार्यवाही अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी

समझी जायेगी मानो इस अधिनियम द्वारा उक्त उपबन्धों में किए गए संशोधन सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे ।

निरसन तथा अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1974 ई०

13—(1) उत्तर प्रदश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्-द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायेगा, मानो यह अधिनियम सभी सारवान् समयों पर प्रवृत्त था ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई0 की धारा 3–घ के अधीन कतिपय माल के क्रय-धन पर एक सूत्री कर लगाने की व्यवस्था है। उक्त ऐक्ट के अधीन बनाए गए नियम 44–क के अधीन क्रय-धन अवधारित किया जाता है जिससे कि प्रथम क्रय पर क्रय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित हो सके। उक्त नियम के खण्ड (घ) में यह व्यवस्था है कि क्रय-धन से वे सभी धनराशियां घटा दी जायें जिनसे एक रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारी से माल खरीदा जाय किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे माल पर धारा 3–घ के अधीन कर का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो। उच्च न्यायालय न यह निर्णय दिया है कि नियमों में यह उपबन्ध ऐक्ट की शक्ति के बाहर है। अतएव, यह आवश्यक था कि उक्त उपबन्ध को भूतलक्षी दिनांक से विधिमान्य करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाय।

2––सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि कर का अपवंचन करने के लिए कर-योग्य माल राज्य के बाहर के स्थानों को अपने नाम से परेषित किया जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कायवाही करना आवश्यक समझा गया। ऐसे माल के सम्बन्ध में क्रय-कर आरोपित करने का प्राधिकार देने के लिए ऐक्ट का संशोधन करना आवश्यक था।

3––पानी तथा दूध की बिक्री, बिक्री-कर से मुक्त है। यह विचार व्यक्त किया गया कि यह छूट फेनि पेय, मिल्क फूड आदि पर भी लागू होती है। यह आवश्यक समझा गया कि वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाय।

4––वाटर पम्पों की बिक्री पर कर लगाने के प्रयोजनार्थ उसे स ेव "मशीनरी" के अन्तर्गत माना गया। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वाटर पम्प कृषि उपकरण है। इसे भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

5––उक्त संशोधनों तथा कुछ अन्य पारिणामिक संशोधनों के लिए अध्यादेश जारी किया गया था। उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधयक, 1974 पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मन्त्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "छ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 295 पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे।

2—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 में, धारा 5-ए में उपधारा (2) में, शब्द "एक सप्ताह अथवा उसके किसी भाग के लिये" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक दो सप्ताह अथवा उसके भाग के लिये" रख दिये जायें, और शब्द "एक बटा बावन" के स्थान पर शब्द "एक बटा छब्बीस" रख दिये जायं। संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1933 की धारा 5-ए का संशोधन।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम 1935 धारा 5-ए में यह व्यवस्था है कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अधीन किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारिता हो, दिये गये परमिटों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आने वाली परिवहन गाड़ियों के सम्बन्ध में कर साप्ताहिक आधार पर लिया जायगा । किन्तु कुछ राज्य ऐसी गाड़ियों के सम्बन्ध में कर मासिक त्रैमासिक आधार पर लेते हैं । एकरूपता लाने के उद्देश्य से परिवहन विकास परिषद् ने अगस्त, 1971 में हुई अपनी नवीं बैठक में यह सिफारिश की थी कि ऐसी गाड़ियों के सम्बन्ध में दो सप्ताह की न्यूनतम अवधि के लिए कर लिया जाना चाहिए । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । तद्नुसार उक्त अधिनियम की धारा 5–ए को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव है ।

अतएव, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1674 पुरः स्थापित किया जाता है ।

राजमंगल पाण्डेय,
परिवहन मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ज"

(देखिये पीछे पृष्ठ 295 पर)

नार्दर्न इण्डिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

1973 के ऐक्ट संख्या 8 में नई धारा 30—ई ई का बढ़ाया जाना

2—नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873, जैसा कि उसे उत्तर प्रदेश में लागू होने के सम्बन्ध में संशोधित किया गया है, की धारा 30—ई के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

बृहत सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध।

"30—ई ई—(1) किसी ऐसे क्षेत्र में, जो गण्डक, शारदा सहायक या रामगंगा सिंचाई परियोजना, अथवा राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य वृहत् परियोजना के कमाण्ड के अन्तर्गत हो सिंचाई प्रभाग का प्रभागीय नहर अधिकारी एक योजना तैयार कर सकेगा जिसमें धारा 30—ए में निर्दिष्ट विशिष्टियां होंगी, और तदुपरान्त वह ऐसी सभी कार्यवाही कर सकेगा जो योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों और योजना के अनुसार जलसरणी तथा उससे सम्बद्ध सभी संकर्म सन्निर्मित और कार्यान्वित करायेगा, और ऐसी योजना के सम्बन्ध में धारा 30—बी, 30—सी, 30—डी और 30 ई की कोई बात लागू नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रभागीय नहर अधिकारी,—

(क) योजना को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित किसी भूमि का अधिकरण करने हेतु संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) ऐक्ट, 1948 ई0 के अधीन अधिकृत करने वाले अधिकारी से आवेदन कर सकेगा;

(ख) योजना को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित किसी भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जित करने के लिये राज्य सरकार को समावेदन कर सकेगा; या

(ग) खण्ड (क) तथा (ख) दोनों के अधीन, अर्थात् प्रथमतः भूमि अधिकृत किये जाने की और तत्पश्चात् अर्जित कराने की कार्यवाही कर सकेगा।

(3) प्रभागीय नहर अधिकारी उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों को किसी उप प्रभागीय नहर अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन तैयार की गयी योजना और ऐसी योजना के अन्तर्गत सन्निर्मित जलसरणी तथा अन्य संकर्म के सम्बन्ध में धारा 30—एफ, 30—जी और 36—ए के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 30—ए, 30—बी, 30—सी, 30-डी, और 30—ई में निर्दिष्ट किसी योजना और उसके अनुसार सन्निर्मित जलसरणियों तथा अन्य संकर्मों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

निरसन तथा वाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 13, 1974

3—(1) नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ज ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गयी बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

विधान सभा प्रदेश

उद्देश्य और कारण

गण्डक, शारदा सहायक, रामगंगा और अन्य वृहत सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में पानी का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये अल्प सूचना पर जल सरणियों का निर्माण करना कभी-कभी आवश्यक हो जाता है ।

नार्दन इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट, 1873, जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है, की धारा 30-ए से 30-ई में निर्धारित वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार नई जल सरणियों का सन्निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में कई महीनों का विलम्ब हो जाता है। इस प्रक्रियात्मक विलम्ब से बचने के लिए यह व्यवस्था करना आवश्यक है कि वृहत परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में प्रभागीय नहर अधिकारी जल-सरणियों के सन्निर्माण के लिए योजना तैयार कर सकें और उसे कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही तुरन्त कर सकें, और यह कि धारा 30-बी 30-सी, 30-डी और 30-ई की कोई बात ऐसी योजना पर लागू न होगी ।

तदनुसार नार्दर्न इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पुरःस्थापित किया जाता है ।

महमूद अली खां,

सिंचाई मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "झ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 295 पर)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह विधेयक उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24, 1964 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों द्वारा उत्पादित शीरे के संग्रहण, श्रेणीकरण और मूल्य को नियंत्रित करने तथा उसके संभरण और वितरण को लोक-हित में, विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

प्रस्तावना का निकाला जाना

3—मूल अधिनियम की प्रस्तावना निकाल दी जाय।

धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, शीरे के संग्रहण, संरक्षण, श्रेणीकरण, मूल्य, संभरण तथा निस्तारण पर नियंत्रण रखने से संबद्ध मामलों पर परामर्श देने के लिये एक परामर्श समिति संघटित कर सकती है।"

धारा 7 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) नियंत्रक, शुद्ध शीरे का समुचित संग्रहण, संरक्षण, श्रेणीकरण, संभरण अथवा निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शक्कर के कारखाने के अध्यासी से कारखाने के भंडारादि से किसी अपमिश्रित शीरे को, नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली युक्तियुक्त अवधि के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी अनुमति समय के भीतर उक्त अपेक्षा की पूर्ति करेगा।"

नयी धारा 7 का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"7—(क) कोई व्यक्ति, जिसे अपनी आसवनी के लिये अथवा औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिये शीरे की आवश्यकता हो, उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अपेक्षित है निर्दिष्ट करते हुए नियंत्रक को नियत रीति से आवेदन-पत्र दे सकता है।

शीरे के लिए आवेदन-पत्र

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और उस मामले में ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, नियंत्रक धारा 8 के अधीन आज्ञा दे सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र का निस्तारण करने में, नियंत्रक निम्नलिखित पर विचार करेगा :—

(क) शीरे की सामान्य उपलभ्यता ;
(ख) शीरे की विभिन्न आवश्यकतायें ;
(ग) शीरे की लोक-हित में सदुपयोगिता ;
(घ) सीमा जिस तक आवेदक की आवश्यकतायें यथार्थ हैं;
(ङ) आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनार्थ ऐसे शीरे के जिसे ;

आवेदक प्राप्त कर सकता हो, व्यपवर्तन की युक्तियुक्त संभाव्यता अथवा असंभाव्यता; और यदि आवेदन-पत्र पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाय तो वह उसके लिये कारणों को अभिलिखित करेगा।"

धारा 8 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(कक) खंड (क) में अभिदिष्ट व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह इस धारा के अधीन दी गई आज्ञा के अन्तर्गत उस संभरित शीरे का उपयोग धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये करे और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों का, जो नियत की जायें, अनुपालन करे।"

नयी धारा 10-क का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं को विनियमित करने के लिये निधि

"10-क—शक्कर के प्रत्येक कारखाने का अध्यासी धारा 10 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट अनुसूची में विभिन्न श्रेणियों के शीरे के लिये नियत मूल्य से नीचे उल्लिखित धनराशि अथवा ऐसी अन्य धनराशि, जिसे राज्य सरकार तदर्थ अधिसूचित करे, नियंत्रक द्वारा समय-समय पर जारी की गयी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा अनुरक्षण में उपयोग करने के लिये एक पृथक निधि में रखेगा :

	रु0
प्रथम श्रेणी शीरा प्रति 100 किलोग्राम	0.33
द्वितीय श्रेणी शीरा प्रति 100 किलोग्राम	0.27
तृतीय श्रेणी शीरा इसमें अपचायक शक्कर की मात्रा के प्रत्येक 40 किलोग्राम के लिये	0.20

धारा 15 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 15 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) धारा 14 के अधीन अभिगृहीत किसी शीरे या किन्हीं वस्तुओं के बारे में रिपोर्ट, ऐसे अभिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र, अधिकारिता-युक्त मैजिस्ट्रेट को की जायगी, जो ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् और शीरे का नमूना लेने के पश्चात् नियंत्रक की आज्ञाओं के अनुसार उसका निस्तारण करने के लिये ऐसे निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे।"

10—मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्:—अनुसूची का संशोधन

अनुसूची

(धारा 10 देखिये)

शीरे में शक्कर की कुल मात्रा प्रतिशत (अपचायक शर्करा के रूप में व्यक्त)			पात्रों में भरने तथा पार्श्व वायन के व्यय सहित प्रति क्विंटल शीरे का अधिकतम मूल्य
श्रेणी			
1		2	3
			रु0
प्रथम	..	50 प्रतिशत तथा उसके ऊपर	.. 1.00
द्वितीय	..	44 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक	.. 0.80
तृतीय	..	40 प्रतिशत से 43.99 प्रतिशत तक	.. 0.60

टिप्पणी—तृतीय श्रेणी से भिन्न किस्म के शीरे के लिये उसमें प्रत्येक 40 किलोग्राम अपचायक शर्करा की मात्रा का मूल्य 60 पैसे होगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1974

11—(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

निरसन तथा अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गयी बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानो वह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

यह प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का संशोधन किया जाय जिससे कि उस शीरे की जिसके लिये अधिनियम के अधीन परमिट जारी किये जाते हैं, उपयोगिता पर नियंत्रण करने की व्यवस्था करके अधिनियम के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सके। प्रस्तावित संशोधन, नियंत्रक से शीरे का परमिट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उन प्रयोजनों से, जो उनके द्वारा परमिट के लिय प्रार्थना पत्रों में दिये गये हैं, भिन्न प्रयोजनों में उसका प्रयोग करने से रोकेगा।

2--अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य राज्य में शक्कर के कारखानों द्वारा उत्पादित शीरे के संग्रहण पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था करना है। आवश्यक निधि के अभाव में इस उद्देश्य की पूर्ति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतएव यह आवश्यक समझा गया कि एक पृथक् निधि की व्यवस्था की जाय जिसमें शक्कर के कारखाने के प्रत्येक अध्यासी द्वारा संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था और अनुरक्षण में उपयोग करने के लिये एक निश्चित धनराशि रखी जायेगी।

3--चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित था, इसलिये मुख्यतया उक्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया गया था।

4--उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 पुरःस्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,

मुख्य मन्त्री।

विधान परिषद सचिवालय

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 57 वि० सभा--(1008)--1974-835.